खण्ड-443, अंक-2
शनिवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(24 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
जनपद बलिया के खेजुरी गांव में हुई घटना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास (जारी)	1
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज क्षेत्र के भवानीगंज में एक 33/11 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के निर्माण किये जाने विषयक श्री अब्दुल जब्बार आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	1
जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राजकीय मार्ग संख्या–26 एवं 28 पर कटरा से पहले मिलने वाली सड़क पर 52 कि०मी० सड़क निर्माण एवं राजकीय मार्ग घोषित किये जाने विषयक श्री रंगलाल चौधरी आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	1-2
जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत चन्द्रावल नदी पर नांदा देव पडोहरा के बीच पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश कुमार साहू आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2
जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी के अन्तर्गत नरी–पलरा सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण एवं ककनार नाले पर रपटा बनवाये जाने विषयक श्री राजेश कुमार साहू आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2
जनपद बांदा के अन्तर्गत केन नदी से निकली दौलतपुर पम्प कैनाल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कामता प्रसाद यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2
जनपद बांदा के अन्तर्गत पैलानी सिन्धन कला सम्पर्क मार्ग के बीच तुर्रा नाले पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सियाराम निषाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2
जनपद बांदा के अन्तर्गत कपसा–अछरौड मरौली सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण विषयक श्री सुदर्शन यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम बेलगढ़ा स्थित बेतवा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम प्रसाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम सैंधा के पास गोमती नदी के सगैरा घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	2

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम बरावनकला में राजकीय जूनियर हाई स्कूल की स्थापना किये जाने विषयक श्रीमती उषा देवी आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	3
उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	3-4
उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	4-10
सदन में हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में आवास एवं नगर विकास मंत्री के कथन तथा उस संबंध में रेडियो द्वारा प्रसारित सूचना में विरोधाभास होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तथा सूखा राहत कोष में विधायकों की सहभागिता की मांग	10-11
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ...	11-18
जनपद बलिया के खेजुरी गांव में हुई घटना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	19-21
जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री अरविन्द कुमार गर्ग आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	21
जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में पेयजल हेतु संचालित नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटरों का क्रय किये जाने विषयक श्री राजीव कुमार तायल आदि की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	21
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	21-61
सिंचाई बजट पर चर्चा हेतु और समय बढ़ाने की मांग	61-62
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	62-78
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	78-79
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ..	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–41 (निर्वाचन विभाग) (स्वीकृत) ...	79-80
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	80-114
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	115-118
उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन् दिये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	118-119
प्रदेश के राजकीय शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान न दिये जाने के संबंध में श्री उदय राज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा० शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	119-120
निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार बाल विकास योजना, अकबरपुर, कानपुर देहात द्वारा की गयी आ० वा० कार्यकत्री/सहायिकाओं की चयन प्रक्रिया में की गयी धांधली विषयक श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य ...	120-121
शारदा नदी के बांयीं तरफ शारदा नगर से शारदा पुल तक हो रहे कटान को रोकने के संबंध में श्री यशपाल चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	122
जनपद महोबा के कस्बा कबई में अनुसूचित जाति के कृषि योग्य पट्टे वाली भूमि को जिलाधिकारी महोबा की अनुमति बिना प्लाट बनाकर आवासीय भूमि के रूप में बेचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	122-124
जनपद आगरा के कस्बा किरावली में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम बनवाये जाने के संबंध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	124-126

विषय	पृष्ठ-संख्या
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपदों में स्थित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य	126-128
जनपद चन्दौली के सिंचाई विभाग के चन्द्र प्रभात खण्ड से सम्बन्धित बांधों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ...	128-129
जनपद बलिया के थानाध्यक्ष नगरा द्वारा ग्राम ताड़ीबड़ा में कु० रेनू सिंह पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं हवालात में बन्द करने के संबंध में श्री राम इकबाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	130-131
जनपद गोण्डा में फर्जी मुहर एवं फर्जी हस्ताक्षर द्वारा अंक पत्र बनाकर नियुक्तियां दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	131
जनपद हरदोई स्थित गर्रा नदी पर छिवरामऊ रसूलाबाद गांव के मध्य रसूलापुर गर्रा घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	131-132
जनपद गाजियाबाद स्थित कृष्णानगर मेरठ रोड के आबादी के ऊपर से हाइटेंशन लाइन को तत्काल हटाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	132-133

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	मदन भैया, श्री	बागपत
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	मायावती, सुश्री	सहारनपुर
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा०	जालौन	यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर	यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
आनन्द सेन, श्री.	फैजाबाद	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी	रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात	राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर	राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
काशी राम, श्री	रामपुर	राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर	लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर	विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	शब्बीर, श्री	बहराइच
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं	श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
		सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
		होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 24 अगस्त, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

जनपद बलिया की खजुरी गांव में हुई घटना को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम–311 में दी है । मान्यवर, कल कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें हमारे सम्मुख थी लेकिन इतनी गम्भीर घटना हो गयी है जिसके कारण नियम 311 में सूचना दी गयी है । इसकी अविलम्बनीयता इतनी है कि 1 हजार लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए हैं । जनपद बलिया के खजुरी गांव में मन्दिर पर 5 हजार लोग आग्नेयास्त्र लिये थे और लगभग 10 हजार हथियारबंद लोग इकट्ठा थे । इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें स्वीकार की हैं जिसके अनुसार नियम–56 और नियम–311 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी । हम सब अपेक्षा करते हैं कि सदन का कार्य उसी के अनुसार चलेगा । आपने नियम–311 की सूचना दी है और इसी विषय पर नियम–56 में सूचना आयी है । अभी मैं कार्य प्रारम्भ करा देता हूं और उसके बाद आप हम संसदीय कार्य मंत्री, हम सब कक्ष में बैठकर निर्णय कर लेंगे । अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो मान लिया जायगा कि सदन सहमत है । अभी काम प्रारम्भ हो जाय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज क्षेत्र के भवानीगंज में एक 33/11 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के निर्माण किये जाने विषयक श्री अब्दुल जब्बार आदि की हस्ताक्षरित याचिका†

*श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज क्षेत्र के भवानीगंज में एक 33/11 के० वी० ए० विद्युत सब स्टेशन के निर्माण किये जाने विषयक श्री अब्दुल जब्बार तथा श्री सुलमान अहमद निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राजकीय मार्ग संख्या–26 एवं 28 पर कटरा से पहले मिलने वाली सड़क पर 52 कि०मी० सड़क निर्माण एवं राजकीय मार्ग घोषित किये जाने विषयक श्री रंगलाल चौधरी आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राजकीय मार्ग संख्या–26 भइरिया से निकल कर भवानीगंज–चन्द्र दीप घाट से गौरा चौकी, मसकिनवा, कुसमौरा घाट से चौरी सिकन्दरपुर से होकर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–28 पर कटरा से पहले मिलने वाली सड़क पर 52

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

कि०मी० सड़क निर्माण एवं राजकीय मार्ग घोषित किये जाने विषयक श्री रंग लाल चौधरी तथा श्री मलिक इरफान अहमद निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत चन्द्रावल नदी पर नांदा देव पडोहरा के बीच पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश कुमार साहू आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत चन्द्रावल नदी पर नांदा देव पडोहरा के बीच पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश कुमार साहू तथा श्री गया प्रसाद साहू व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी के अन्तर्गत नरी–पलरा सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण एवं ककनार नाले पर रपटा बनवाये जाने विषयक श्री राजेश कुमार साहू आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक तिन्दवारी के अन्तर्गत नरी–पलरा सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण एवं ककनार नाले पर रपटा बनवाये जाने विषयक श्री राज किशोर पाल तथा श्री धीरेन्द्र कुमार साहू व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत केन नदी से निकली दौलतपुर पम्प कैनाल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कामता प्रसाद यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत केन नदी से निकली दौलतपुर पम्प कैनाल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक श्री कामता प्रसाद यादव तथा श्री अरिमर्दन सिंह निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत पैलानी सिन्धन कला सम्पर्क मार्ग के बीच तुर्रा नाले पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सियाराम निषाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत पैलानी सिन्धन कला सम्पर्क मार्ग के बीच तुर्रा नाले पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री सियाराम निषाद तथा श्री इफ्तखार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के अन्तर्गत कपसा–अछरौड मरौली सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण विषयक श्री सुदर्शन यादव आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत कपसा–अछरौड मरौली सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण विषयक श्री सुदर्शन यादव तथा श्री रमेश चन्द्र साहू व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नोट :– † छापी नहीं गयी।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम बेंलगढ़ा स्थित बेतवा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम प्रसाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम बेंलगढ़ा स्थित बेतवा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम प्रसाद तथा श्री मुन्ना लाल निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम सैंथा के पास गोमती नदी के सगैरा घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम सैंथा के पास सगैरा घाट पर गोमती नदी पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री जगदीश प्रसाद तथा श्री सियाराम निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम बरावनकला में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना किये जाने विषयक श्रीमती उषा देवी आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम बरावनकला में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना किये जाने विषयक श्रीमती उषा देवी तथा श्री कमलेश कुमार निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या–5 डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर वे अनुपस्थित हैं)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 इसमें कुछ नहीं है।

मद संख्या–7 इसमें कुछ नहीं है।

मद संख्या–8 इसमें कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :– † छपी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 9-9-2002 के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री अध्यक्ष–

श्री राम गोविन्द चौधरी संकल्प प्रस्तुत करें।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, यह जो विधेयक लाया गया है आज विधान सभा में इसमें केवल एक निदेशक की नियुक्ति के संबंध में है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है दर्शाया गया है कि सरकार को यह अधिकार नहीं था कि उसकी योग्यता क्या होगी लेकिन इस विधेयक में लाया गया है कि सरकार को उसकी योग्यता उसकी अर्हता और उसके सीवरेज और जल संभरण में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह शक्ति सरकार को दिया जाना है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि विधेयक छोटा हो सकता है या मुख्य मंत्री जी कह सकती हैं कि निदेशक की योग्यता उसकी विभागों की पूर्ण जानकारी के लिए छोटा सा विधेयक लाये हैं। मैं आपके मांध्यम से कहना चाहता हूं कि यह चीज होनी चाहिए सरकार को अधिकार भी मिलना चाहिए कि अधिकारी जो नियुक्त हो उसकी योग्यता क्या है उसको जानकारी है कि नहीं उस विभाग के बारे में यह सरकार का अधिकारी है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां पर अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और अन्य कार्यों पर सरकार सचेष्ट है। आज जो व्यवस्था है सीवरेज व जल संभरण के बारे में वह बिल्कुल आम आदमी की जिन्दगी को दुश्वार बना रही है। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ी सी वर्षा हुई इतना बड़ा सूखा हुआ उसके बाद थोड़े समय के लिए वर्षा हुई तो लखनऊ में लोगों के घरों में पानी भर गया। उससे लखनऊ जैसे महानगर में लोगों का दो-चार दिन जीना दूभर हो गया। कई मुहल्ले आज भी ऐसे हैं जिनके घरों में आज भी पानी भरा है। उनके घरों में आना जाना व निकलना दुश्वार हो गया है।

(इस समय 11 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए)

श्रीमन्, इस तरह की व्यवस्था सरकार जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में नहीं लाना चाहती है और न ही इस पर चर्चा करना चाहती है। अपने कुल बचाव के लिए जनता के हितों की उपेक्षा करके सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हो ? किस तरीके से हो, इस पर सरकार पूरी तरह से लगी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार विभाग के प्रति सचेष्ट है, उसके कार्यों के प्रति रुचि लेती है और विभाग को जनता के हितों से जोड़ देना चाहती है तो निश्चित रूप से इस विषय में विधेयक ले आना चाहिए कि हम सीवरेज की व्यवस्था किस प्रकार से कर रहे हैं। जिन नगरों में सीवरेज नहीं है, पानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है, वहां व्यवस्था करें। जिन शहरों में आज तक सीवर व्यवस्था नहीं बनी है वहां किस तरीके से करायें ? इस तरह से यदि जनता के हितों की रक्षा कर सकते हैं। आज सीवर की अव्यवस्था से नाना प्रकार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संक्रामक रोग इस प्रदेश में फैल रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी है । प्रदेश के महानगरों में, नगर पालिकाओं में, टाउन एरिया में सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त करने की चेष्टा सरकार नहीं कर रही है । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह विधेयक कम से कम वापस करें । अधिकारियों से राय लेकर या माननीय सांसदों, सदस्यों से राय लेकर एक वृहद् विधेयक आये । अधिकारियों के ही नहीं जनता से जुड़े सवालों को भी समाधान करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए । इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधान सभा में जब से यह सत्र शुरू हुआ है तमाम प्रकार के संशोधन इस सदन में रखे गये हैं । अगर यह संशोधन जनहित में रखे गये होते, जनता के फायदें के लिए रखे गये होते, तो हम उसका समर्थन करते, उसका स्वागत करते । आश्चर्य है कि अभी थोड़े दिन पहले महिला आयोग अधिनियम में संशोधन रखा गया । वह केवल इसलिए रखा गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई चहेता उस पद पर आ जाय । उसकी सारी योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया और मात्र यह कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा करता हो । जबकि उसमें व्यवस्था थी कि उसे स्नातक होना चाहिए । उसी तरह से इसमें भी मुझे डर है कि जो अधिनियम है उसकी उपधारा के खण्ड–2 में दिया है । मेरे पास अंग्रेजी वाला है मैं इसके क्लाज़–2 को पढ़ देता हूं । इसमें लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर टू बी एप्वाइन्टेड बाई द स्टेट गवर्नमेन्ट हू शुड बी क्वालीफाइड इन्जीनियर हैविंग सफीशिएन्ट एक्सपीरियेंस इन वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज । इसमें लिखा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर वह होगा जिसके अन्दर यह सब योग्यता होगा । प्रश्न यह है कि इस खण्ड को निकाल कर संशोधन जिस प्रकार से राज्य सरकार विहित कर रही है, इसका क्या अर्थ है ? इसका साफ अर्थ है कि अपने चहेते को नहीं बैठा पा रहे हैं इसलिए इसमें संशोधन कर रहे हैं । यह विधेयक ला ला कर, उसका अवमूल्यन कर रहे हैं । बड़ी गलत परम्परा पड़ती जा रही है । हमको सबको मिलकर इसको रोकना चाहिए । पूरे सदन को इसको रोकना चाहिए । इसमें जब स्पष्ट है कि क्वालिफाईड हो, इन्जीनियर हो, सीवर का अनुभव हो, उसको नियुक्त किया जाय । यह जो संशोधन रख रहे हैं इसके स्थान पर यह जोड़ दिया जाय । उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 में या उसके अधीन जारी किसी निदेश में निहित किसी बात के होते हुए भी, धारा (2) के खण्ड–क में निर्दिष्ट सदस्य की नियुक्ति ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से, ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जाए । मान्यवर, यह सारा क्वालिफिकेशन के आधार पर कर सकते हैं, यही मूल मंशा है कि जिसे सीवरेज का ज्ञान होगा, जल का ज्ञान होगा, जो क्वालिफाईड इंजीनियर होगा, लेकिन इसको अगर पारित कर देते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी । मैं सम्पूर्ण सदन से निवेदन करना चाहता हूं अवमूल्यन न करायें, जनतंत्र में मूल्य स्थापित किये जाते हैं, उनको गिराया नहीं जाता है । अब जितने विधेयक आ रहे हैं वह मूल्यों में गिरावट करके आ रहे हैं, इसको भी अगर संशोधित रूप से पारित कर दिया जाएगा तो सरकार को अधिकार मिलता है कि इंजीनियर को डायरेक्टर बना दें, आई० ए० एस० को डायरेक्टर बना दें । जहां तक मेरी जानकारी है कि आई० ए० एस० को डायरेक्टर बनाने की बात हो गयी है मान्यवर, देखने में तो यह छोटा सा संशोधन है, चारों तरफ आप देख रहे हैं आई० ए० एस० लाबी है हो सकता है आई० ए० एस० को डायरेक्टर बना दें । यह जो मूल रूप में है इसको उसी तरह रहने दिया जाए जो संशोधन लाया गया है मैं इसका विरोध करता हूं मूल अधिनियम अपने आप में पूर्ण हैं, इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, यह बड़ा इनोसेंट सा बिल है। जिसमें विशेष बात नहीं कही गई है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्ताव प्रस्तुत कर लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अभी तो संकल्प है।

श्री अधिष्ठाता–

संकल्प पर बोलिए।

* श्री लालजी टण्डन–

माननीय पाण्डेय जी ने कहा स्पष्ट कर दूं मैं स्पष्ट कर रहा था पिछली बार इस तरह हुआ कि कोई एम० डी० एप्वाइन्ट नहीं हो पाया ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर इसको किया है। श्रेष्ठता के आधार पर नियुक्ति कर दी जाए इसमें यह किया है व्यवस्था कोई परिवर्तित नहीं हुई है जो सर्वश्रेष्ठ चुना जाएगा यह नियुक्ति होगा इतनी सी बात है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रेष्ठता का क्या पैमाना रखा गया है कौन मेरिट में है इसका क्या पैमाना रखा है ?

श्री लालजी टण्डन–

यह प्रक्रिया पहले थी कि लेबिल एक के इंजीनियर हैं उनका चयन होता था उसमें श्रेष्ठता और ज्येष्ठता होती थी उसके आधार पर जो टाप मोस्ट तीन हैं उन तीन के पैनल को डी० पी० सी० में रखा जाता था जिसके सबसे ज्यादा अंक होते थे उसको लिया जाता था।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी प्रस्ताव तो रखें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैंने संकल्प प्रस्तुत किया, माननीय सदस्यों के विचार आये, माननीय मंत्री जी के विचार आये और पहले हमको तो सुन लें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं। जिन बातों की आशंका व्यक्त की गयी थी जैसा कि माता प्रसाद पाण्डेय जी के द्वारा और कुंवर रेवती रमण सिंह जी के द्वारा भी कहा गया था, तो उसकी पुष्टि हो गयी है। सरकार इस विधेयक के माध्यम से सारी शक्तियां अपने हाथ में लेनी चाहती है जिससे कि वह जब चाहे नियुक्ति कर ले। मान्यवर, जो योग्यता और मापदंड होना चाहिए था वह नहीं रखा गया है, उसे हटा दिया गया है। सरकार जिसे चाहे नियुक्त कर सकेगी। उसकी योग्यता क्या होगी, कौन-कौन से गुण होंगे इनके बारे में कहीं कुछ नहीं है। हमें इस बात की आशंका है कि सरकार अपने चहेतों को नियुक्त करने के लिए मनमाने ढंग से परदा डालकर जिसे चाहे दस्तखत करवा ले, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने तो कह दिया कि हम एक छोटा सा विधेयक लाये हैं। लेकिन इस प्रदेश में जल संभरण की क्या व्यवस्था है, कैसे हम उसकी पूर्ति करेंगे, कितना पैसा देंगे जिससे पानी की व्यवस्था हो जाय इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, आज सीवरेज से सारी नगरपालिकाएं, टाउन एरिया और नोटिफाइड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एरिया बजबजा रहे हैं [× × ×] सारी जगह बदबू और गन्दगी है [× × ×] इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि इसको वापस ले लें। निदेशक की नियुक्ति सही ढंग से की जा सके, लोगों के लिए जल की व्यवस्था हो, सबको साफ पानी पीने को मिले, जो सीवरेज के कारण नगरपालिकाएं, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया बजबजा रहे हैं उसका उपाय कराये, मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(मद संख्या–12 फिर पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। कई दिनों से देखा जा रहा है कि नियमावली का पालन नहीं होता है। [× × ×] आप तो अन्त में अपना विनिश्चय दे देते हैं और हम लोग भी विवश हो जाते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माता प्रसाद पाण्डेय जी ने चिन्ता व्यक्त किया है उससे सारा सदन ही नहीं बल्कि पीठ भी सहमत होगी। मान्यवर, जो चिन्ता श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने प्रकट की है मैं उससे सहमत हूं। [× × ×] यह सावन का असर है। सावन में तो बाबा भी देवर लगते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, पाल जी या तो सावन ही नहीं जानते हैं या फगुवा को नहीं जानते हैं, यह तो फगवा में कहा जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री सुखदेव राजभर जी से यही कहना चाहता हूं कि मेरी ससुराल इनके गांव में है। कल इन्होंने मुझे खिचड़ी खिलाई थी। मान्यवर, जब कोई ससुराल में जाता है तो अगर उसे कुछ खिलाया जाता है तो उसे कुछ नेग भी दिया जाता है लेकिन अगर उसे कुछ न मिले। मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, श्री टण्डन जी ने भी राखी बंधवाई, उन्होंने

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भी पूरा प्रदेश दे दिया । उन्होंने राखी बांधी लेकिन सात साल बाद । मान्यवर, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बाबा हैं ।

* श्री अमरजीत जनसेवक–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक बार एक स्थान पर दो लोग चले जा रहे थे एक से जब पूछा गया आप लोगों का आपस में क्या रिश्ता है तो उसने कहा हम साले बहनोई हैं तो उन्होंने कहा कि कौन साला है, कौन बहनोई है, तो जो साला था वह फटाक से बोल पड़ा कि मैं बहनोई हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि यह ससुराल में गये थे इसलिए शायद यह सावन नहीं फागुन समझने लगे । अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 4 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा ।

(2) यह 27 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,–

(एक) उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) एक प्रबन्ध निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा";

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2-क) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 में या उसके अधीन जारी किसी निदेश में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य की नियुक्ति, ऐसी अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से, ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जाय ।"

विद्यमान रिक्ति के संबंध में विशेष उपबन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध, प्रबन्ध निदेशक के पद में ऐसी किसी रिक्ति के संबंध में भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से विद्यमान हो।

स्पष्टीकरण–पद "प्रबन्ध निदेशक" का वही अर्थ होगा जो मूल अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2002

4—(1) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी टण्डन–

मैं माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत दिन बाद इस सदन में हास्य और टेंशन मुक्त वातावरण दिखाई दे रहा हं। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह का वातावरण बना रहे और जैसा श्री जगदम्बिका पाल जी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्थापित किया है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री टण्डन जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री जगदम्बिका पाल जी के बीच रिश्ता क्या है और कौन क्या है इसको जरा प्राइवेट में स्पष्ट कर लीजियेगा।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह तो कार्यवाही में आ गया है।

सदन में हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में आवास एवं नगर विकास मंत्री के कथन तथा उस संबंध में रेडियो द्वारा प्रसारित सूचना में विरोधाभास होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने तथा सूखा राहत कोष में विधायकों की सहभागिता की मांग

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अधिष्ठाता जी, हालांकि यह मौजू से बिल्कुल अलग बात है। माननीय टण्डन जी ने कल आश्वासन दिया था नलों के संबंध में वह रेडियो से कल खबर प्रसारित हुई कि 10 प्रतिशत वह जो देना है शहरी विधायकों को वह बहाल रखा है। आपने सदन में शहर और देहाती में कल रिलेक्स कर दिया था कि पैसा नहीं देना है शत प्रतिशत पैसा सरकार से ही होगा विधायक निधि से नहीं होगा। रेडियो से न्यूज आयी है कि 10 प्रतिशत देना है। मान्यवर, टण्डन जी या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसकी पुष्टि कर दें ताकि रेडियो वगैरह से ठीक हो जाय।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, पंचायती राज, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, कल आश्वासन दिया था कि इसमें माननीय विधायकों की निधि से पैसा नहीं लगेगा। किसी और निधि से पैसा डबटेल करके पैसा लगा दिया जाये। हम सब वार्ता करके कोई रास्ता निकाल देंगे कि विधायकों को नहीं देना पड़े।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है सारे विधायकों का मामला है। इसमें बात स्पष्ट ही हो जाये तो ज्यादा अच्छा हो जाये। वरना कन्फ्यूजन रहेगा तो अधिकारियों को परेशानी रहेगी। अगर आपको करना है तो स्पष्ट कर दीजिये अगर नहीं करना है तो स्पष्ट कर दीजिये बात साफ हो जायेगी। ऐसा न हो कि सत्र चलने के बाद टालने की बात हो।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, नेता विरोधी दल का सम्मान करते हैं जो वह कह रहे हैं वह होगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल माननीय टण्डन जी ने कहा था कि सूखे की स्थिति को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में 50-50 नल इस सूखे के संकट के समाधान के लिए कर देंगे। वे उत्तर देना चाहते थे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, कल माननीय पाल जी का यह एक सुझाव था कि जो सूखे के लिए पैसा जिलों में भेजा जायेगा उसमें केवल रि-बोर के लिये है। उनका सुझाव था कि यदि इसमें यह जोड़ दिया जाये कि जहां कोई नये की आवश्यकता है वहां पर नया लगाया जा सकता है। यह निर्देश हैं सामान्य तौर पर रि-बोर के लिये है। कहीं ऐसी आवश्यकता है कि उसमें रि-बोर के स्थान पर नया लगाना है तो नया लगाया जायेगा।

श्री विजेन्द्र सिंह–

राहत धनराशि मान्यवर, सूखे की खर्च हो चुकी है सभी विधायकों के पास उसका लेखा जोखा पहुंच चुका है। सूखे से अलग माननीय मंत्री जी घोषणा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय टण्डन जी ने जो कहा उसके संबंध में आपके द्वारा माननीय टण्डन जी से जानना चाहता हूं कि जो यह 70 करोड़ सूखा राहत में दिया है इसमें विधायकों से भी प्रस्ताव लिये जायेंगे या नहीं लिये जायेंगे क्योंकि अभी तक जो पिछला पैसा गया है वह पैसा जो है उसके लिये गांव के सभापति से ब्लाक प्रमुख से ही केवल प्रस्ताव लिये गये, विधायकों से प्रस्ताव नहीं लिये गये थे तो मान्यवर, अगर उस पैसे में कहीं सहभागिता विधायकों की नहीं होगी तो उससे क्या फायदा होगा। मैं चाहता हूं टण्डन जी से कि वह इसको स्पष्ट कर दें।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, यह निर्देश और कर दिये जायेंगे कि जो राहत की निधि है, जिस मद में भेजी जा रही है माननीय विधायकों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए ताकि ठीक ढंग से उसका व्यय हो सके।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, निर्देश भेज दिये जायेंगे नहीं, हो जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री प्रदीप कुमार–

मान्यवर, यह भी कह दें कि शहरी क्षेत्र में 50-50 हैण्डपम्प लगा दिये जायं जल निगम के एकाउन्ट से क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है तमाम महामारी, बीमारी फैल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, यह सब स्पष्ट हो गयी है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।

श्रीमन्, यह जो विधेयक आया है माननीय मंत्री जी के कहने से यह छोटा सा संशोधन है और मैं यह कहता हूं कि सरकार की मानसिकता ही छोटी हो गयी है। इसलिये मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आरक्षण की बात को लेकर तमाम तरह-तरह की भ्रांतियां हुई हैं। पहले पिछड़ा वर्ग,

दलित, अनुसूचित जनजाति को एक वर्ग में कह आंकड़े इस प्रदेश में देते थे फिर उनको अलग-अलग किया गया। दलित अलग, पिछड़ा अलग फिर दलित में भी यह अलग व्यवस्था कर दी गयी है। पहले यह व्यवस्था थी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होगा उसमें अध्यक्ष अनुसूचित जाति का होगा, उपाध्यक्ष जनजाति का होगा और 3 जो सदस्य होंगे उसमें एक महिला, एक अनुसूचित जाति और एक जनजाति का होगा। अब जो यह विधेयक ले आये हैं इसमें जो जनजाति का उपाध्यक्ष था इसमें अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष कर दिया और जो तीन सदस्य थे जिसमें एक जनजाति का सदस्य होना चाहिए तो उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का कर दिया। इस सरकार के लिये अनुसूचित जनजाति का विश्वास नहीं रह गया है। मान्यवर, इन्होंने जो इसमें दिया है कि चूंकि उत्तराखण्ड अलग हो गया है जनजातियों की संख्या कम हो गयी है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनकी संख्या कम नहीं हुई है मिर्जापुर, चन्दौली, सोनभद्र, बहराइच, खीरी, लखीमपुर, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, झांसी, पीलीभीत, बिजनौर और तमाम स्थानों पर ये हैं। मैं जानता हूं कि उत्तरांचल गठन के बाद जो इनकी व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति की संख्या घट गयी है तो यह जनजाति के हकों पर सीधा हमला है। जैसे इन्होंने एक और व्यवस्था की है कि जितने भी पद खाली हो चुके हैं उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की ही नियुक्ति कर ले और अब जनजाति के स्थान पर भी जो बेर्ड बन रहा है उसमें उनका हक छीनकर अनुसूचित जाति को लाने की व्यवस्था बेमानी है, सरकार की मानसिकता बहुत छोटी हो गयी है। इस प्रदेश को कितने जनपदों में बांटेंगे, कितने वर्गों में बांटेंगे, कितने हिस्सों में बांटेंगे, बांट-बांटकर इस प्रदेश की सरकार बंटाधार करने पर तुली हुई है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो उसमें थे, क्यों उनको हटा दिया गया। क्या प्रदेश में जातिवाद नहीं है ? अगर कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति का आता है तो उसकी बात कौन सुनेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी छोटी मानसिकता को छोड़ प्रदेश को जातिवाद में बांटना बन्द करे। मुख्य मंत्री कहती थीं कि हम समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे, दूसरी तरफ जातियों का बंटवारा करके इस प्रदेश के मनोबल को तोड़ने का काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्री जी से, अनुसूचित जनजाति के हक को हड़पने के लिए यह जो विधेयक ले आई हैं, इसको तुरन्त वापस करें। इसमें हां नहीं का सवाल ही नहीं उठता। यह जनविरोधी है, यह जनज़ातियों पर कुठाराघात है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाये। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों के हक को समाप्त किया गया है उनके अधिकारों को पुनः लौटाया जाये और जातियों के बंटवारे की मंशा छोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर सवाल है कि प्रदेश में उत्तरांचल के अलग हो जाने के बाद अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कम हो गयी है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश के 16-17 जिलों में कोल जाति के लोग रहते हैं। उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कोल जाति के लोगों को जनजाति की सुविधा मिली हुई है लेकिन हमारे प्रदेश में कोल जाति के लोगों को जनजाति की सुविधा नहीं हुई है। क्या इस विधेयक में सरकार यह संशोधन करेगी कि जो भी जगहें रिक्त होंगी उसमें कोल जाति के लोगों को सुविधा देते हुए उनके लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे। मैं चाहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इसको सरकार जल्दी में पारित न करे बल्कि इसको प्रवर समिति में भेजकर सरकार इस विधेयक को पारित कराये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह सरकार चीजों को अपनी नजर से नहीं देखती इसमें कोई बड़ा भारी कारण नहीं था बोलने का। यह जो आयोग है इसमें पहले से पूर्वानुधानित था कि अध्यक्ष होगा अनुसूचित जाति का और उपाध्यक्ष होगा अनुसूचित जनजाति का। इस विधेयक के माध्यम से उसे सरकार हटाना चाहती है। अनुसूचित जनजातियों का थारू जातियों का हक छीनकर इस सरकार को क्या मिल जायेगा, यह मैं नहीं समझ पाता। एक उपाध्यक्ष था, इस जाति का, उसको भी हटा रहे हैं उसको भी अनुसूचित जाति का कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, मैं नहीं समझ पाता हूं कि एक उपाध्यक्ष पद बना रहेगा तो उनके लिये बाधक क्या है ? यह इनका दृष्टिदोष है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम लोगों ने तो जनजातियों के लिए डा० लोहिया के नेतृत्व में बड़ी लाठियां खाई हैं, इसलिये मुझे कष्ट होता है, जब आप उनके लिए कटौती करते हैं। एक जाति को लाभ पहुंचाने के लिए यह अन्य जातियों के अधिकारों को छीन रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यहां एक भी जनजाति का विधायक नहीं है, उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं है तो क्या यही हमने सीखा है कि हम उनकी कोई बात ही न करें। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप बड़े दिल वाला बनिये, अपना दिल बड़ा करिये और जनजाति के हित में इसको बरकरार रखिये।

(मद संख्या–15 पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधेयक पर चर्चा नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता–

मैं चर्चा करा देता हूं। आप बोलिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन अध्यादेश पर जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अननुमोदन का प्रस्ताव राम गोविन्द चौधरी जी ने रखा है, उस पर बल देने के लिए अवसर दिया। इस सदन में हम लोगों की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, वह है विधायिका का कार्य और आप भी सहमत होंगे कि किसी विधेयक पर जितने अधिक से अधिक विचार आयें, उतना ही अच्छा है। हम लोग प्रदेश की जनहित की समस्याओं को, सवालों को प्रस्ताव के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाते हैं लेकिन जो विधेयक आते हैं, जिन्हें कानून का स्वरूप लेना है, जो अध्यादेश को प्रख्यापित करके बनेंगे, उस पर जितने विचार आते हैं, उतना ही अच्छा होता है। किसी विधेयक को संशोधन करने के लिए उस पर खुले दिल दिमाग से बहस होनी चाहिए आने वाले दिनों में यह विधेयक पारित हो गया तो उत्तर प्रदेश में इसका संदेश क्या जायेगा। उद्देश्य और कारणों में यह कहना कि आज इनकी संख्या नगण्य हो गयी है, यह ठीक नहीं है। प्रजातंत्र में सरकार का क्या उत्तरदायित्व है कि प्रदेश की जनता के किसी भी वर्ग को जनसंख्या के आधार पर न बांटा जाय। लेकिन आज की सरकारों ने यही नारा बना लिया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या, उसकी उतनी भागीदारी। प्रजातंत्र का यह मूल मंत्र नहीं था। आज इस आधार पर कि किसी जाति की संख्या कम है, उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, प्रदेश की किसी व्यवस्था में अंगीकार नहीं किया जायेगा तो यह प्रजातंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात है। हमारे बस्ती जनपद में आज भी बड़ी संख्या में थारू रहते हैं, जो जनजाति के लोग हों, उनकी कोई आवाज न हो, शासन में कोई मंत्री विधायक न हो, इसीलिये इस आयोग का गठन हुआ था, इसे इस सरकार ने नहीं बनाया था, इसका गठन 1995 में हुआ था। अब इसमें संशोधन हो रहा है, क्या यह दुर्भाग्य होगा यदि

कोई व्यक्ति जनजाति में पैदा हो गया है, थारू, कोल, भील, बुक्सा या बुन्देलखण्ड में रहने वाली जनजातियां, इन जातियों में पैदा होना क्या दुर्भाग्य है, और यह भी वह सरकार संशोधन करने जा रही है जो दलितों के उत्थान का बीड़ा उठाने जा रही है यदि इस तरह के प्रस्ताव आयेंगे कि केवल अनुसूचित जाति का होगा तो मैं समझता हूं कि यह संविधान की भावनाओं के भी विपरीत है, मर्यादाओं के विपरीत है, इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। हम तो चाहेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कहें कि हम इस विधेयक को वापस लेते हैं या इसे प्रवर समिति को भेज दिया जायेगा, उसके बाद हम लोग इसको पारित कर लेंगे।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मैं स्वयं अनुसूचित जाति का हूं और मान करके चलता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लगभग राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थित बरसों पहले एक ही थी और उसी को नजरिये में रखकर यह प्राविधान किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसमें भी एक थोड़ा सुपर, जैसे बड़ा ब्राम्हण और छोटा ब्राम्हण, जैसे शुक्ला और उपाध्याय, वैसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति थे। जिनका कोई कल्चर नहीं है, बड़े दबे-कुचले थारू हैं, वनवासी हैं, इनसे निकल कर बाहर आयें और उन्हें भी पदों पर रखा जायेगा तो उन्हें भी सम्मान मिलेगा। मान्यवर, उत्तरांचल अलग हुआ है, इस विषयक लिखा गया है कि चूंकि उत्तरांचल अलग हो गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नगण्य हो गयी है, इसलिए इन दोनों पदों पर अनुसूचित जनजाति की जगह पर अनुसूचित जाति के लोगों को रखा जाए। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन यह तो विशेष अवसर का सिद्धान्त है, अगर बड़ी जाति के लोग हमारा विरोध करते तो बाबा साहब अम्बेडकर इतना बड़ा संविधान नहीं बना पाते और दलितों का इतना बड़ा हक नहीं होता। मान्यवर, सत्ता बदलती है और बनती है। बाबा साहब ने इसलिए ही समर्थन किया था कि जो दबे-कुचले हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो संख्या है, वह गरीब और पिछड़ी है, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि छोटी जातियों को पदों पर रखा जा सकता है, उनसे एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, फिर उससे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मुझे अफसोस है कि जहां अनुसूचित जाति के लोगों को आम दलित जनता को लेकर चलना चाहती है, जहां अनुसूचित जनजातियों को विशेष अवसर देना चाहती है कि वहीं उन्हें अवसर से वंचित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति का हूं, ये लोग मेरे छोटे भाई हैं, इस तरह से उनके हक को न मारा जाए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप इस समाज के बारे में जानते हैं, इसके बावजूद आपके रहते इतनी बड़ी गलती हो जाये, मुझे विश्वास नहीं होता। मान्यवर, जो संशोधन माननीय राम गोविन्द चौधरी और माता प्रसाद जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए आपसे मांग करता हूं कि इस पर पुनः विचार किया जाए और अनुसूचित जनजातियों का जो हक है, उसको बहाल किया जाए क्योंकि जब आज मैं उनके हक की बहाली की लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो जब अनुसूचित जाति के हक जाने लगेंगे तो मान्यवर, कोई नहीं उठेगा।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने मुझे श्री राम गोविन्द चौधरी जी द्वारा रखे गये संशोधन पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मान्यवर, मैं बलरामपुर जिले के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, जो नेपाल से सटा हुआ है और जंगलों से भरपूर है, वहां पर थारू जनजाति के लोगों की 25 हजार आबादी है। जो बहुत ही निरीह और गरीब हैं। मान्यवर, उनके पास जमीन भी नहीं है जो खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें, एकदम भुखमरी के शिकार हैं। यह कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम हो गयी है, उत्तरांचल बनने के बाद, इसलिए आयोग के

उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दे दिया जाए । उत्तरांचल अगर बना है तो निश्चित ही अनुसूचित जनजाति की संख्या में कमी हुई है, तो इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि उनकी संख्या कम होने से उनके अधिकारों का हनन किया जाय, और अगर आयोग में उपाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया तो निश्चय ही उनके अधिकारों का हनन होगा और अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात, उनकी व्यथा, उनकी गरीबी, उनकी परेशानी को बतलाने वाला कोई नहीं रहेगा इसलिए मान्यवर, यह सरकार भेदभाव करके केवल दलितों की बात करती है मैं कहता हूं दलितों में अति दलित जनजाति के लोग हैं । बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जन जाति के दलितों के लिए जो अधिकार की बात की थी तो क्या यही उनका सिद्धान्त था कि जो संख्या में कम हों, गरीब हो, उनके अधिकारों का हनन किया जाय, यह सरकार गरीबों के अधिकारों का हनन करना चाहती है और अगर अनुसूचित जन जाति का विधायक चुन कर के नहीं आता तो क्या उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, मैं इसका विरोध करता हूं और अगर उपाध्यक्ष का पद समाप्त किया गया तो सड़क से, खेत और खलिहान से लड़ाई लड़ी जायेगी । यह सरकार दलित विरोधी, गरीब विरोध है । मैं राम गोविन्द चौधरी जी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

* श्री बीजू पटनायंक–

मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति का हूं लेकिन मेरे छोटे भाई अनुसूचित जनजाति के हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए और संविधान में भी लिखा है कि जो सबसे कमजोर, गरीब आबादी है उनको ऊपर उठाया जाय, जो बड़े हैं, वह बड़े हैं ही, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन सरकार की मन्शा है जो बड़े हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जो पढ़े हैं अरे इन अनुसूचित जाति के लोगों में तो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० हैं लेकिन यह सरकार उनके अधिकारों को छीन रही है जो अनुसूचित जनजाति के हैं और गरीब हैं, पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुए, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों ने जो बातें उठायी हैं, जन जाति के सम्बन्ध में, उसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी देंगे ही लेकिन माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो कोल जाति का उल्लेख किया है मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपने भाषण में इस चीज का भी ध्यान रखेंगे ।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों, चौधरी साहब, माता प्रसाद जी और तमाम वरिष्ठ सदस्यों ने.....

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, अभी तो इन्होंने प्रस्ताव रखा नहीं और भाषण देने लगे ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप उत्तर तो सुन लें, फिर प्रस्ताव भी रख देंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, तमाम माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्ताएं व्यक्त की हैं वैसे मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी साहब का बड़ा आदर करता हूं और माननीय माता प्रसाद जी हैं, मैं तो पिछली विधान सभा में भी था, लेकिन तब आप लोगों को संशोधन विधेयक पर इतनी ज्यादा आपत्ति नहीं हुआ करती थी और अब प्रत्येक संशोधन विधेयक पर आपत्तियां आती हैं ।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट)

यह अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम सदन के बीच में सारी चीजें आनी चाहिए । चौधरी साहब को जैसा मैं देख रहा हूं, चौधरी साहब बाल की खाल उधेड़ने का काम किया करते हैं, एक छोटे से छोटे संशोधन को बड़ा बनाने का काम करते हैं । जिस समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था, उत्तरांचल राज्य शामिल था लेकिन अब उत्तरांचल राज्य अलग हो गया है । इसलिए अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की आबादी मात्र 76 हजार रह गयी है । माननीय चौधरी साहब ने 17-18 जिलों के नाम गिनाने का काम किया है । जबकि उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में ही अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं । ये जनपद हैं–बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती, महराजगंज, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी । माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में लाने की बात कही । मान्यवर, इलाहाबाद और सोनभद्र में यह जाति अनुसूचित जाति में है । अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 76 हजार है और जो कुल जनसंख्या का 0.06 प्रतिशत ही है । अब इस प्रकार इनकी संख्या बहुत कम रही गयी है ....

श्री बीजू पटनायक–

आप उनकी नसबंदी करा दीजिये वह बिल्कुल खत्म हो जायें ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, जो पहले व्यवस्था थी उसमें यह था कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से कोई इस पद पर रहेगा । अब अनुसूचित जनजाति हटा दिया गया है क्यों कि अनुसूचित जनजाति की आबादी कम रही गयी है । जहां तक माननीय सदस्यों ने आशंकायें व्यक्त की हैं कि उनकी आबादी के हिसाब से सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति का होगा । कहीं भी अनुसूचित शब्द को हटाया नहीं गया है । इसलिए यह विधेयक गलत नहीं बना है । अतः सभी माननीय सदस्यों को इसका अनुमोदन करना चाहिए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आयोग के उपाध्यक्ष के पद के बारे में मंत्री जी को क्या कहना है, यह स्पष्ट कर दें ।

श्री कौशल किशोर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति की आबादी बहुत कम रह गयी है और प्रदेश में मात्र 6 जिलों में ही इनकी आबादी है । मान्यवर, लखनऊ जनपद में अनुसूचित जनजाति के 5000 लोग रह रहे हैं । मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनीनगर में आप चले जाइये वहां आपको मिल जायेंगे । मैं आपको इस बात की चुनौती देता हूं, वोटर लिस्ट में उनके नाम दिखा दूंगा । मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं । आप इसकी जांच करा लीजिए । लखनऊ के अन्दर पांच हजार से कम अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रह रहे हैं । अधिष्ठाता महोदय, मेरा सदन से अनुरोध है कि इसकी जांच होनी चाहिए, मंत्री जी ने केवल 6 जिलों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के नाम बताये, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या का सही आंकलन करवाइये । यह उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन प्रस्ताव करे और इनकी संख्या का सही आंकलन करवाया जाये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैंने जिन बातों की तरफ आशंका की थी, जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं सबकी राय वही थी, जो मैंने कहा था । एक नई बात सामने आयी, माननीय मंत्री जी ने कुछ जिलों के नाम बताये । अभी एक माननीय सदस्य ने चुनौती भरे शब्दों में कहा कि लखनऊ में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं । आप केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कहने से कोई बात सदन में न कह दीजिये । अनेक जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं । इसीलिए मेरा निवेदन है कि एक आयोग अनुसूचित जनजाति के लिए गठित करें जो इस बात को पता लगाये कि अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं ? उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति क्या है । आज तक वह कितने प्रतिशत आगे बढ़े हैं और उनका सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत है ? मैं जानता हूं कि आप आयोग का गठन नहीं करेंगे आपको केवल एक खास वर्ग विशेष से मतलब है । आज सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है जो अनुसूचित जाति के अति गरीब हैं, अति पिछड़े हैं जिनके पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है वह भीख मांगकर खाना खाते हैं ऐसे लोगों के हितों पर सरकार ने कुठाराघात किया है । यह सरकार केवल अध्यादेशी सरकार है किसी गरीब से इसको कोई मतलब नहीं है । आप गलत भावना से यह विधेयक लाये हैं । पिछली सरकार ने अति पिछड़ों, अति दलितों के लिए कार्य किया था लेकिन यह सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है आप बतायें कि कहां से आप उनको नौकरी देंगे । चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या भा० ज० पा० की सरकार हो कोई भी सरकार अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत नहीं दे रही है । ऐसे लोगों को एम० ए०, टेक्नीकल एजूकेशन और किताबें तथा पैसा देकर पढ़ाना चाहिए और नौकरी योग्य बनाना चाहिए । ऐसा न करके आप केवल भ्रम फैला रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा गलत है और गलत मंशा के लिए यह विधेयक लाया गया है । इसको वापस करें और मूल अधिनियम को बरकरार रखें । इसी के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा ।

(2) यह 21 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

1—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ख) उपाध्यक्ष, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से;

(ग) तीन अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से, और"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, धारा–1 में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद बलिया के खेजुरी गांव में हुई घटना को नियम–311 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, मैंने नियम–311 में एक अविलम्बनीय और असाधारण घटना के लिए नोटिस दिया था उसी सूचना पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो अनुमति दी उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारी सूचना पर हमको बोलने का अवसर दिया।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी चौधरी साहब की भावना का ख्याल रखते हुए कि वह और हम अध्यक्ष जी के चेम्बर में इस पर बात कर लें, अध्यक्ष जी के साथ वहां पर जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी। अभी हम और चौधरी साहब वहां बैठे नहीं हैं और चौधरी साहब यहां अपनी बात रखने लगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर संसदीय कार्य मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे तो उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। बलिया जनपद में खेजुरी थानान्तर्गत.....

श्री सुखदेव राजभर–

चौधरी साहब आप और हम अध्यक्ष जी के चेम्बर में चलें जो बात होगी उसी के अनुसार कार्यवाही चलेगी। आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपको कहीं न कहीं अनुसरण करना पड़ेगा।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

आप अधिष्ठाता महोदय की बुजुर्गियत का नाजायज लाभ ले रहे हैं। अध्यक्ष जी के यहां जो व्यवस्था होगी उसका पालन किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर अम्बिका चौधरी ने अपनी बात रखी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी।

(व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

वहां पर 43 दुकानों को जलाया गया है। लूट लिया गया है।

(व्यवधान जारी)

(श्री शारदानन्द अंचल के जोर-जोर से बोलने पर श्री राम इकबाल भी बोलने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजेकर 15 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 25 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसी असाधारण घटना के संबंध में जिस घटना में 42 लोगों को वहां से पूरी तरह से उजाड़ दिया गया.....

(व्यवधान)

मान्यवर, शान्त करायें मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं इन दुकानों को उजाड़ दिया गया । दस हजार लोग इस तरह से असलहे लेकर इकट्ठा हुए कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां से कायरों की तरह भाग खड़े हुए ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पढ़ी है आपसे अनुरोध कर रहा हूं आज चूंकि यह सूचना नहीं ली जाने वाली है सोमवार को आप दे दें नियमानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है जो सम्मानित सदस्य लोकदल के हैं उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के साथ बैठकर विचार विमर्श किया और इस प्रदेश को हरित बनाने का प्रस्ताव लाया गया, सदन चल रहा है कोई मंत्री घोषणा नहीं कर सकता है.....

श्री अध्यक्ष–

कहां हुआ है निर्णय, आप हवा में बात कर रहे हैं सदन के बाहर कोई बैठक हुई है उसका औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पाल जी जो कह रहे हैं उनकी बात में दम है यह, यह नहीं कह रहे हैं कि कहां गये यह कह रहे हैं सदन के बाहर नीतिगत घोषणा हो उससे सदन की कार्यवाही प्रभावित होती है.....

श्री अध्यक्ष–

नीतिगत घोषणा नहीं हुई, सरकार ने घोषणा नहीं की है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(व्यवधान)

एक सदस्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है बिना अनुमति के बोल रहे हैं लिखा नहीं जाएगा जो पहले कहा वह भी अभिलेख में नहीं है, जो मना करने के बाद कहा गया वह भी नहीं लिखा गया है ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी दल के नेता सदन के बाहर घोषणा करते हैं तो यह सदन से सम्बन्धित नहीं है।

श्री बाजपेयी जी आप उस समय उपस्थित नहीं थे जब मद संख्या–5 पुकारी गयी थी। अब आप मद संख्या–6 को रखें।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री अरविन्द कुमार गर्ग आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री अरविन्द कुमार गर्ग तथा श्री विवेक रस्तोगी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में पेयजल हेतु संचालित नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटरों को क्रय किये जाने विषयक श्री राजीव कुमार तायल आदि की हस्ताक्षरित याचिका †

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरठ महानगर में पेयजल हेतु संचालित नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटरों को क्रय किये जाने विषयक श्री राजीव कुमार तायल तथा श्री एन० सी० महेश्वरी निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या– 93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत 3,20,01,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,71,25,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है और सभी सहयोगियों का आशीर्वाद है कि आज आठवीं बार सिंचाई का बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं और यह भी सुअवसर है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम सिंचाई का बजट है। सिंचाई बजट की चर्चा में सदन के सभी सदस्य मुख्य रूप से जो उनके क्षेत्रों में सिंचाई की समस्यायें हैं, जो कमियां हैं उनका स्वाभाविक रूप से उल्लेख करते हैं और करना भी चाहिए। और पूर्ण रूप से टेल तक पानी का न पहुंचना, नहरों की सफाई के बारे में शिकायत, नलकूपों के बारे में शिकायत यही मुख्य शिकायतें हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य जो व्यवस्था संबंधी कमियां हैं उसके संबंध में उल्लेख करते हैं और यह स्वाभाविक है।

(इस समय 12 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'' पीठासीन हुए)

इन बिन्दुओं पर जो माननीय सदस्य के विचार आ जायेंगे उसके बाद मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। सूखे के संबंध में कई होंगे उसके बारे में विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन मान्यवर, जो तात्कालिक सिंचाई व्यवस्था है, या जो प्रशासनिक कठिनाइयां होंगी उनकी चर्चा करना, कुछ दूरगामी जो परिस्थितियां हैं, जो कार्य हैं सिंचाई विभाग से जुड़े हुए उनके बारे में विचार करना इस विभाग की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है। मान्यवर, हम यह जानते हैं कि यह बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है लेकिन अगर देखें तो कहीं न कहीं सिंचाई की सुविधाओं से जुड़ी हुई विषमता ने जन्म लिया है। मान्यवर, इस प्रदेश में सिंचन विषमता बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर आप देखें तो बुन्देलखण्ड में 39 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में 60 प्रतिशत और मध्य क्षेत्र में 69 प्रतिशत तथा पश्चिमी क्षेत्र में 84 प्रतिशत है। 150 वर्ष पुरानी गंगा नहरों की बेल्ट पर देखें वहां भी समस्या है लेकिन अन्य प्रदेशों की तुलना में समानता ज्यादा है। बुन्देलखण्ड में सिंचाई कम होने के कारण 2002-2003 की फसल अच्छी होने की सम्भावना कम है। मान्यवर, कृषि समृद्धि से समाज की समृद्धि एक साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए सिंचाई विभाग में प्राथमिकता से सिंचन व्यवस्था को सुदृढ़ करना पहली प्राथमिकता है। हमारा बुन्देलखण्ड भी अन्य क्षेत्रों की तरह जैसे पश्चिम का क्षेत्र है उसकी तरह सिंचित हो जाये तो उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सामाजिक विषमता वह दूर हो जायेगी ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 70 करोड़ हो गयी है और यह दो हजार 25 में कितनी हो जायेगी उसी आबादी को लक्ष्य बनाकर हमारा सिंचाई विभाग तैयारी कर रहा है नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी उसी के अनुसार योजना बनी और दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी सन् 2025 में इस प्रदेश की आबादी क्या होगी और उसके लिए कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी इसको ध्यान में रखकर दसवीं पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा तैयार करने का काम इस पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही शुरू कर दिया गया था। चूंकि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में यह शिकायत रहती है कि जब योजना शुरू होती है तो योजना बननी शुरू होती है लेकिन मान्यवर, हमने ऐसा नहीं किया हमने अनुभवों और शिकायतों से सबक लेते हुए 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में ही

10वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की और 2002-2003 में क्या कार्य करना है इसका पूरा स्टीमेट तैयार कर लिया। मान्यवर, 2025 को लक्ष्य बनाकर कि उस समय इस प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ से ऊपर होगी उसको ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस समय उत्पादन 400 लाख टन है यह उस समय 600 लाख टन करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखकर वृहद व मध्यम का बजट है। इससे 109.58 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है इस समय यह क्षेत्र 77.88 है। मान्यवर, पिछली बार बताया गया था कि आखिरी पंचवर्षीय योजना तक कुल 26 परियोजनाएं लम्बित थीं उनमें से 21 परियोजनाएं 1980 के पहले की थी.। यानी कि यह परियोजनाएं लम्बे समय से चली आ रही थीं। हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था कि 1980 से पहले इन योजनाओं को पूरा किया जाय। इसलिए मान्यवर, हमने कोई नई परियोजना नहीं ली। मान्यवर, 9वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 15 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य था उनमें से 11 पूर्ण हो गयीं, चार प्रकोप में चली गयीं, जो थोड़ी बहुत बची हैं वह इसी वर्ष जून, 2003 तक पूरी कर ली जायेंगी। मान्यवर, जो अब तक परियोजनाएं पूरी हुई हैं उनसे 9.25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई और यह 9.25 लाख हेक्टेयर क्षमता पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद सर्वाधिक है। मान्यवर, 6वीं, 7वीं, 8वीं इन तीनों परियोजनाओं में बहुत अधिक प्रगति हुई। इसलिए मान्यवर, पुरानी योजनाओं को पूरा करके 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की। मान्यवर, जो परियोजनाएं पूर्ण हुई उनको हम बता दें। गुन्टा नाला बांध परियोजना, मौदहा बांध–यह 1975 में प्रारम्भ हुई थी और पथरई बांध–ये 1981 में प्रारम्भ हुई थी ये बुन्देलखण्ड क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। पुनरीक्षित टोंस पम्प नहर–ये 1979 में प्रारम्भ हुई थी और चित्तौड़गढ़ जलाशय 1977 में प्रारम्भ हुआ था, घाघर नहर का आधुनिकीकरण 1976 में प्रारम्भ किया गया और ज्ञानपुर पम्प नहर 1974 में प्रारम्भ की गयी, शारदा सहायक 1967 में प्रारम्भ की गयी और सोन पम्प नहर बंद की गयी 1973 में। ये सभी पूर्वी क्षेत्र की परियोजनायें हैं। बेवर फीडर 1978 में और चम्बल डाल नहर 1978 में प्रारम्भ की गयी। यह पश्चिमी क्षेत्र की परियोजनायें हैं। ये 11 परियोजनायें पूरी हो गयी। इसी प्रकार नवीं योजना की एक संक्षिप्त रूपरेखा भी आपके समक्ष रख दूं। नवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कुल सिंचित क्षेत्र 77.88 लाख हेक्टेयर हुआ और इसमें कुल व्यय 3014.93 करोड़ रुपये हुआ। मान्यवर, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है दसवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय 6645 करोड़ अनुमानित है। इसे व्यय करके लगभग 10.50 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 5.50 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनःस्थापना की जायेगी और 0.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा का लक्ष्य है। मान्यवर, हम यह लक्ष्य किस तरह से प्राप्त करेंगे इसके बारे में माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि कौन-कौन से कार्यक्रम हम ले रहे हैं। मान्यवर, वर्षों से लम्बित शेष 15 परियोजनायें जो अभी अपूर्ण हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें से 4 परियोजनायें इसी जून माह में पूरी हो जायेंगी। इसमें हैं–राष्ट्रीय जल प्रबन्ध (शारदा नहर), हिन्डन–कृष्णा, ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण, मध्य गंगा। इसको–इन 4 परियोजनाओं को इसी 2003 के जून तक पूरा कर लिया जायेगा। शेष जो 8 परियोजनायें हैं वह शेष 8 परियोजनायें सन् 2007-08, दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी।

मान्यवर, वो परियोजनायें हैं राजघाट नहर परियोजना, उत्तर बुन्देलखण्ड/बन्देलखण्ड की नहरों को पक्का करना । लहचुरा शीर्ष का आधुनिकीकरण ये बुन्देलखण्ड क्षेत्र की हैं और राष्ट्रीय जल प्रबन्ध (शारदा नहर) और वाणसागर नहर योजना, सरयू नहर परियोजना, कडहर सिंचाई परियोजना ये पूर्वी क्षेत्र की हैं । हिण्डन कृष्णी दोआब की खरीफ नहरें, ऊपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण, मध्य गंगा नहर और टिहरी बांध परियोजना, नया ताजेवाला बैराज, पूर्वी गंगा नहर, आगरा नहर का आधुनिकीकरण ये पश्चिमी क्षेत्र की हैं और मध्य क्षेत्र में जरौली पम्प नहर ये 15 परियोजनायें हैं जिसमें से 4 इस वर्ष में पूरी होंगी और शेष वह आगे पूरी होंगी ।

मान्यवर, 12 नई परियोजनायें इस दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने का लक्ष्य है । इसमें वर्ष 2002-03 में दो, वर्ष 2003-04 में दस (10) । वर्ष 2002-03 में प्रारम्भ होंगी, जो प्रारम्भ की जायेंगी उसमें से अधिकांश बुन्देलखण्ड क्षेत्र की हैं । वह हैं–1–रसिन बांध, 2–भोपौली पम्प नहर क्षमता वृद्धि, वर्ष 2003-04 में प्रारम्भ होगी । 1–सिजार बांध, 2–कुरार बांध, 3–लखेरी बांध, 4–कचनौधा बांध, 5–भौरट उठारी बांध, 6–औगासी पम्प नहर का आधुनिकीकरण, 7–शारदा सहायक (द्वितीय चरण), 8–मध्य गंगा द्वितीय चरण, 9–बदायूं सिंचाई परियोजना, 10–हथिनीकुण्ड लिंक चैनल (द्वितीय चरण)

बदायूं क्षेत्र में अभी बिल्कुल सिंचाई योजना नहीं है उसका परीक्षण हो चुका है, उसका प्रोजेक्ट बन चुका है । बदायूं सिंचाई परियोजना के नाम से वह शुरू होगी इसी तरह हथिनीकुण्ड लिंक चैनल उसमें कार्य शुरू किया जायेगा । इस तरह से 12 परियोजनायें इस दो साल के अन्दर नई शुरू की जायेंगी । हमने नवीं योजना में कोई भी नई योजना की शुरुआत नहीं की गयी मुख्यतः पुरानी परियोजना को पूरा करना था सारा ध्यान उसमें लगाया था और लक्ष्य को प्राप्त भी किया है । लेकिन इस प्रदेश में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से सिंचाई सुविधा बढ़ानी पड़ेगी । नदियों में जो जल उपलब्ध है इस प्रदेश का वह हिस्सा बहुत नहीं रह गया है, नदियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं रह गया है क्योंकि परियोजनाओं को प्रारम्भ करके पूरी करके वह हिस्सा उठाया जा चुका है । कुछ परियोजनाएं हमारी हैं जो सभी स्तरों से स्वीकृत होनी चाहिए उसको स्वीकृति के बगैर ही बना दिया जिसको प्रदेश हित में, जनहित में, जबरदस्ती भी कह सकते हैं या थोड़ा अपना हित भी कह सकते हैं, इसलिए मान्यवर, एक नई परियोजना जिसकी बहुत दिनों से जरूरत थी सारे उत्तर प्रदेश और देश के लिए अगुवाई करके हम पूरी दसवीं परियोजना को वर्षा जल संग्रहीत परियोजना के रूप में विकसित कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास नदियों में पानी नहीं है । नई परियोजना नहीं बना सकते क्योंकि जल संसाधन मंत्रालय आपत्ति करेगी, इसलिए वर्षा का जल एकत्र हो और उसके द्वारा हम अपनी नई सिंचन क्षमता विकसित कर सकें इसलिए हमने नाम दिया है वर्षा जल संचय दसवीं परियोजना इसमें हम यह करेंगे कि जो पुराने बांध हैं उनकी हाइट को बढ़ायेंगे और जो हमारे बांध बलरामपुर में, सिद्धार्थनगर में, बुन्देलखण्ड में, झांसी में, ललितपुर में 100–150 साल पुराने हैं उनका पुनरुद्धार करेंगे और सिंचाई क्षमता को बढ़ायेंगे । और दूसरी मौसमी नदियां हैं जिसमें बरसात में पानी होता है और बाद में सूख जाती हैं तो हमने प्रयोग के तौर पर आगरा में किया है कि जो मौसमी नदियां हैं उसमें बीयर बनाकर एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर जैसा स्लैब हो, 2-3 किलोमीटर पर बनाकर पानी को राकेंगे । अभी हमने इसको आगरा में किया है, बीयर बनाकर इस कार्य को किया है और इसका प्रभाव यह हुआ कि वहां धान की खेती हुई और कुओं का जलस्तर ऊपर आ गया और जल स्तर ही नहीं ऊपर आ गया आगरा के लोगों का कहना है कि वहां के कुओं का पानी जो खारा था वह मीठा हो गया है । बड़ी

तेजी से मांग है कि इस तरह के बीयर सभी जगहों पर बनवाये जायं । मौसमी नदियों व नालों पर चैकडैम व बीयर का निर्माण कराया जाय इसके अन्तर्गत हमने जनपद बलरामपुर में 10 चेकडैम और जनपद सिद्धार्थनगर में 12 लिये हैं । जहां-जहां वर्षा का जल जिस रूप में संग्रहीत किया जा सकता है उसकी योजना इसके अन्तर्गत है और दसवीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से समर्पित होगी । मान्यवर, पिछले वर्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसमें इस सिंचाई से संबंधित लघु सिंचाई, ग्राम विकास हो, भूगर्भ जल हो इसकी एक समिति बनायी है जो इसका परीक्षण करेगी । ग्रामीण शहरी परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं, ताकि वर्षा जल को संग्रहीत करके सिंचाई सुविधा बढ़ा सके । मान्यवर, 2020–25 में जो आबादी होने वाली है, प्रदेश को उसके लिये खाद्यान्न चाहिए और वह बिना सिंचाई सुविधा बढ़ाये नहीं हो सकती । इसी क्रम में 10 पुराने बांधों की पुनर्स्थापना के लिए योजना बनाई है इसमें बुन्देलखण्ड से माताटीला सजनम, डांगिया, अर्जुन और पूर्वी क्षेत्र से रिहन्द, चन्द्रप्रभा, ओहर, कबरई, सिरसी और पश्चिमी क्षेत्र में शारदा सागर यह काफी पुरानी होने के कारण कमजोर स्थिति में आ गयी हैं उसमें और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है उसके कार्य को भी लिया है । इतना ही नहीं कई विधायक लोग थे उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में पम्प नहर का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए । वह दो साल से उस परियोजना को चला रहे हैं, उसकी फाइलें चल रही हैं लेकिन वह लगभग समाप्त होने वाली हैं अब उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किया जायेगा । वह जो नौ नहरें हैं उनमें जमानिया पम्प नहर, नरायनपुर पम्प नहर यमुना पम्प नहर, देवकली पम्प नहर, डलमऊ पम्प नहर, घाघरा पम्प नहर, कुआनों पम्प नहर, टाण्डा पम्प नहर और दोहरी घाट एवं दोहरी घाट सहायक पम्प नहर हैं । इन सभी का कार्य इस वर्ष या अगले वर्ष प्रारम्भ हो जायेगा, इसलिए उनकी क्षमता को पुनः प्रारम्भ किया गया । इनके पम्प भी काफी पुराने हो चुके हैं, अपना जीवन पूरा कर चुके हैं । अगर इनको बदला नहीं गया तो यह कभी भी फेल हो सकते हैं और पूरे क्षेत्र में सिंचाई बाधित हो सकती है । इसलिए पम्प नहरों की पुनर्स्थापना का भी काम लिया गया है । मान्यवर, अपने कानपुर के लोग भोगनीपुर शाखा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं इसी तरह से शारदा नहर के बारे में रायबरेली के लोग बहुत कुछ कहते हैं । जैसा कि सभी की टेल की हालत हो चाहे वह पैकेज का टेल हो चाहे समाज का वर्गीय टेल हो सभी जगह एक जैसी स्थिति है इसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है । टेल क्षेत्र के साथ भी न्याय हो उन्हें भी पूरा मिले इसलिए टेल पर चाहे जो हों चाहे वह वर्गीय सामाजिक टेल वाले व्यक्ति हीं चाहे नहर टेल के हों, सभी को न्याय मिले, इसलिए भोगनीपुर शाखा के लिए 5.58 करोड़ रुपये की नाबार्ड से स्वीकृति हो गयी है । इसी वर्ष कार्य शुरू हो जायेगा और 2004 तक वह कार्य पूर्ण भी हो जायेगा । इससे कानपुर, फतेहपुर लाभान्वित होंगे । इसके बाद आगरा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य मान्यवर, इसकी भी स्वीकृति हो गयी है । और इसकी क्षमता 2100 क्यूसेक से बढ़ाकर 4100 क्यूसेक कर दी गयी है । यह पांच वर्ष का प्रोग्राम है उसकी स्वीकृति हो गयी है वह 74.17 करोड़ रुपये की है । पांच वर्ष की योजना है पूरे आगरा नहर के आधुनिकीकरण की । इसी तरह से हरदोई ब्रांच (शारदा नहर) की योजना है उसकी भी योजना स्वीकृति के स्टेज पर है । यह योजना 36.5 करोड़ की है । यह योजनाएं 2 साल पहले से प्रारम्भ की गयी है । इससे हरदोई, उन्नाव व रायबरेली क्षेत्र लाभान्वित होंगे । एक योजना और है उस पर काम चल रहा है । कानपुर, इटावा व पश्चिमी इलाहाबाद की जो शाखा है उनकी क्षमता को क्रमशः 3600 से बढ़ाकर 4000 कर दिया गया है 3000 को बढ़ाकर 3200 क्यूसेक कर दिया गया है और 1785 को बढ़ाकर 2000 क्यूसेक कर दिया गया है । मान्यवर, एक जो विश्व बैंक की परियोजना को भी हम 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से । विश्व बैंक के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है । यह विश्व बैंक की योजना केवल सिंचाई के विकास की नहीं है, केवल

सिंचाई की समृद्धि इसमें नहीं है । बल्कि जिस क्षेत्र में यह कार्य होगा, करीब 6 हजार करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है जो वर्ल्ड बैंक के प्रति सिंचाई विभाग की विश्वसनीयता सिद्ध करता है । यह योजना 12 से 15 साल में पूरी होगी । सबसे पहले इसे हम प्रोजेक्ट रूप में लेंगे, वह जौनपुर ब्रांच व इमामगंज ब्रांच सबसे पिछड़े इलाके हैं, उसमें आर्थिक स्थिति कैसे बढ़े, रोजगार सृजन कैसे हो, पर्यावरण की स्थिति कैसे ठीक हो, आदि-आदि कार्य होंगे । इसका जो प्रोजेक्ट बना है उसमें 36 लाख हेक्टेयर में प्रथम चरण का कार्य होगा और यह प्रथम चरण 5 वर्ष का है यह 717.17 करोड़ का है, इसमें जल संसाधनों का पुनरीक्षण, 20 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, रोजगार अवसर प्रदान करना, कृषि आय में 58 से 92 प्रतिशत वृद्धि शामिल है, इसके अलावा विश्व बैंक की सहायता से पूरा सिंचाई विभाग अगले 2 साल में कम्प्यूटरीकृत हो जायेगा, मुख्यालय से शासन तक सारा सिस्टम कम्प्यूटरीकृत हो जायेगा, इसके लिये 50 करोड़ की व्यवस्था है । कहां पानी चल रहा है, कहां नहीं, कहां कौन सी सूचना मंगवानी है, यह सब इससे हो सकेगा, इसके अलावा प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा कैसे बढ़ सके, इसकी व्यवस्था दसवीं पंचवर्षीय योजना में सन् 2002-03 में रखी है । जो हमारा कृषि क्षेत्र जलजमाव के कारण प्रभावित होता है, वहां उपज नहीं होती, कहीं सीपेज के कारण नहीं होती, उससे वहां का कृषि कार्य प्रभावित होता है, कहीं खरीफ की फसल नहीं ले पाता है किसान और कहीं रबी खरीफ दोनों ही नहीं ले पाता, इसके लिये पिछले 2-3 वर्षों में मशीनों द्वारा ड्रेन सफाई 7 हजार कि०मी० का अभियान चला और 2002 तक 2690 किमी० की सफाई हुई है । पूरे प्रदेश में कुल 11.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है, जहां किसान दोनों फसल नहीं ले पाता । इस प्रकार 2690 किमी० की ड्रेन सफाई करके 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जलजमाव से मुक्त किया गया और दसवीं योजना के द्वारा पूरे प्रदेश को जलजमाव से मुक्ति का एक मास्टर प्लान बनाने की योजना है । जब तक पूरे क्षेत्र को जलजमाव से मुक्त नहीं किया जायेगा, तब तक 11.20 लाख हेक्टेयर में कृषि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए इस अभियान को और तेज किया जाना है ।

मान्यवर, टिहरी बांध की चर्चा बहुत दिनों से सुनी जाती थी, उसमें 2003-04 से पानी मिलने की सम्भावना हो गयी है, क्योंकि इस साल वहां जल भरने का काम शुरू हो गया है, इसे 4 प्रणालियों से पूरा किया जायेगा । ऊपरी गंगा नहर, आगरा के लोग बता रहे थे, माठ ब्रांच में, इसी तरह गंगा यमुना फीडर, जिसमें काम शुरू हो गया है । इसके माध्यम से टिहरी के पानी को माठ ब्रांच में छोड़ेंगे । इससे जो टेल के क्षेत्र हैं, जहां पानी की आज समस्या है, उसका हल होगा इसी के लिए गंगा यमुना फीडर बनायेंगे । इसके अलावा निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर में भी काम होगा, इसी तरह आगरा गंगा नहर में ले जायेंगे, इससे वहां खरीफ और रबी दोनों फसलों में पानी मिलने लगेगा ।

(इस समय 1 बजकर 05 मिनट)

बाढ़ सुरक्षा के बारे में कहे बगैर बजट की बात पूरी नहीं होगी, इसलिए यह चिन्तनीय स्थिति तो है बाढ़ के बारे में । मान्यवर, कुल 73.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है लेकिन उसमें सुरक्षा योग्य जो क्षेत्र है वह 58.72 लाख हेक्टेयर है यानि इतने क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है लेकिन इस प्रदेश में 54 साल के अन्दर हम लोग केवल 15.98 लाख हेक्टेयर भूमि सुरक्षित कर पाये हैं, जिस पर 470 करोड़ रुपये व्यय हुआ है । इस साल के बजट में बाढ़ सुरक्षा के लिये 78 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । एक भाई ने नदियों के कटान के बारे में कहा । नदियों के कटान को रोकने का

बहुत प्रयास होता है लेकिन यह देखा गया है कि वह प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हैं । इसलिए एक योजना बनायी ; यमुना नदी के क्षेत्र के लोग जानते हैं, 3 साल पहले योजना बनायी है और अब क्रमशः एक-एक नदी को लेकर और कटान क्षेत्रों को पीचिंग कर सुरक्षित किया जायेगा । यमुना नदी में पीचिंग से लाभ मिला है । राप्ती नदी में भी, इसमें 92 स्थानों पर यह कार्य करने के लिए 36 करोड़ की योजना नाबार्ड द्वारा स्वीकृत हो गयी है और अब इस पर काम शुरू कर रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह घाघरा है, जो 54 साल में टुकड़ों-टुकड़ों में काम हुआ है, पानी में पैसा बह जाता था लेकिन अब हम जो काम करना चाहते हैं वह पक्का करना चाहते हैं । काम देर से हो लेकिन सुदृढ़ हो । इस तरह से हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002-2003 में, 2025 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई है कि खाद्यान्न की कमी इस प्रदेश में न होने पाये । आबादी बढ़ाने को लोग रोकना नहीं चाहते, जिस क्रम से वह बढ़ रही है, इस प्रदेश को खाद्यान्न मिलता रहे, इसको ध्यान में रखकर सिंचन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । हमने इस साल के बजट के बारे में भी रखा और पूरे 5 साल का 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होगा, यह भी रखेंगे । यह हमने योजनाएं रखी और अब माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में अच्छे सुझाव देंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो भी आप सुझाव रखेंगे, हम एक-एक चीज, चाहे इस पार के माननीय सदस्य हों या उस पार के हों, क्योंकि आप इस प्रदेश के किसानों और प्रदेश की गरीब जनता के लिये सुझाव देंगे, हम उस पर क्या कार्यवाही करेंगे और क्या स्थिति है, इसको सभी सदस्यों को अवगत करायेंगे । मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जो बजट प्रस्ताव मैंने रखा है, उसका आप समर्थन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

कटौती का प्रस्ताव रखें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े धैर्य के साथ माननीय मंत्री जी को सुन रहा था । मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में ही कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि 8वीं बार सिंचाई विभाग का बजट इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं । बड़ी प्रसन्नता होती कि आज माननीय मंत्री जी के आठवीं बार बजट प्रस्तुत करने पर सदन का आभार उनके प्रति होता और प्रदेश की सिंचन क्षमता में ऐसी कोई प्रगति की गयी होती, मान्यवर, अगर सच्चे मन से देखें तो, और माननीय सदन भी इसकी अच्छी तरह से जानकारी रखता है कि आज तमाम प्रयासों के बाद भी हमारी सिंचन क्षमता घटी है । नहरों से जितनी सिंचाई आज से 10 साल पहले होती थी, उतनी शायद अब नहीं, हमने आज आठ वर्ष में प्रदेश की सिंचन क्षमता को घटाने का काम किया है । राजकीय नलकूप जो तमाम प्रयासों के बाद बड़े महंगे दामों में बन कर तैयार होते थे आज 28000 से अधिक राजकीय नलकूप खराब हो चुके हैं या बन्दी के कगार पर हैं, यह शासन की उपलब्धता है, हमारा सारा प्रयास था कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रफल को

सिंचित कर पाते और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां सिंचन के उपयुक्त साधन नहीं हैं, वहां की सिंचन क्षमता को बढ़ाने का काम करते, लेकिन हमारे मंत्री जी ने इसके लिये तमाम विषमताओं, क्षेत्रीय और भौगोलिक विषमताओं की बात कही है कि चार क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश बंटा है जिस तरह हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र आज भी सिंचाई के मामले में पीछे है। माननीय मंत्री जी अपनी पीठ आप थप-थपा लें, लेकिन पश्चिम क्षेत्र की सिंचन क्षमता बढ़ने का आधार मंत्री जी के प्रयास नहीं हैं अपितु वहां के किसानों के अपने स्वयं के प्रयास हैं जिन्होंने निजी क्षेत्रों में नलकूप स्थापित कर रखे हैं, लेकिन अगर असिंचित क्षेत्र में सिंचन की क्षमता का विस्तार करते तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का सौभाग्य होता। तमाम परियोजनाओं को पूरा करने की बात मंत्री जी ने बड़े विस्तार से कही। मान्यवर, पूरे नवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी योजना उत्तर प्रदेश में नई नहीं बनी जिससे एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता में वृद्धि की जाती। मान्यवर, यह सभी परियोजनायें सातवीं-आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बनी थीं, जिनको आपने आने के बाद ठण्डे बस्ते में डाल दिया था, अब नवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करना चाहते हैं जो अभी पूरी नहीं हुई है। मान्यवर, ट्यूबवेल के सम्बन्ध में और राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में आपने गहरी चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, वह तमाम एरिया जो कमाण्ड एरिया में आता था जहां सिंचाई के दूसरे अन्य साधन नहीं थे, वहां इन्हें लगाया गया था, वहां सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन इस सरकार ने नित्य नये प्रयोग करके उन सारे ट्यूबवेलों को कूड़े के ढेर में डाल दिया है। इन नलकूपों को पंचायतों को सौंपने का काम किया है। नलकूप बढ़ाना तो बहुत दूर उनको बनाने का काम आपने किसके सहारे छोड़ दिया है, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा 28-29 हजार राजकीय नलकूप हैं, इनकी देख-रेख कौन करेगा मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मंत्री जी इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त करेंगे, लेकिन तीन वर्ष में इसके जो परिणाम आपके सामने आये हैं मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने इन राजकीय नलकूपों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जहां सिंचाई के अन्य साधन नहीं थे वहां पानी का मुख्य साधन यही नलकूप थे लेकिन इस सरकार में बैठते ही, आठ साल के कार्यकाल में यह नलकूप तबाह और बरबाद हो गये हैं, कहीं किसी की मोटर खराब है, कहीं किसी की बोरिंग खराब है कहीं कुछ खराब है, कहीं कोई पुरसाहाल नहीं है और जो ठीक हैं उन पर दबंग लोग कब्जा किये हैं और अपने ही खेतों तक सीमित रखे हुए हैं। इन नलकूपों की देख-रेख की स्थिति इतनी खराब है और माननीय मंत्री जी ने इस पर कुछ भी बताने का काम नहीं किया है। उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी इन्होंने पंचायतों को दिया है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं हैं। जब सरकार के पास इतना बड़ा अमला था, इतने संसाधन थे, जे० ई० से लेकर इन्जीनियर इन चीफ तक इनका रख-रखाव करते थे, तमाम रख-रखाव के साधन भी थे, तब उनकी सिंचाई की क्षमता 50 प्रतिशत के लगभग थी, उसके बाद भी हम उनकी सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते थे। आज जब पंचायतों को सौंप दिये हैं, मंत्री जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपके राजकीय नलकूपों की सिंचन क्षमता का 10 प्रतिशत भी उपयोग प्रदेश की सिंचाई में नहीं हो पा रहा है, यह स्थिति राजकीय नलकूपों की है। अगर यह सरकार संवेदनहीन है तो मेरे कहने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता और ये नलकूप वहां लगे हैं जहां नहरों का पानी नहीं जाता, कमाण्ड एरिया क्षेत्र में लगाये गये हैं, जहां दूसरे संसाधन नहीं थे। आज एक नलकूप लगाने पर 50 लाख से अधिक व्यय होगा। 30 हजार के आसपास नलकूप बिल्कुल बेकार पड़े हैं। क्या सरकार इन नलकूपों को पुनः चलाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में कोई ठोस कार्ययोजना बनायेगी ? दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से मंत्री जी अवगत करायेंगे कि राजकीय नलकूपों के लिए क्या प्राविधान किया गया है ? इसमें दो आंसू टपकाने का भी काम नहीं किया गया है। इन नलकूपों की क्या व्यवस्था होगी ? माननीय मंत्री जी ने जो बजट साहित्य दिया है उस साहित्य की दो लाइनें आपके संज्ञान में लाना चाहता

हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास 67 हजार 280 कि०मी० लम्बाई की नहरें हैं और 47.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गयी जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 19 प्रतिशत है। नहरों से सिंचाई कुल 19 प्रतिशत है। मंत्री जी आप अवगत हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना तक उत्तर प्रदेश में कुल स्थापित सिंचाई क्षमता का 25 प्रतिशत से अधिक भू-भाग नहरों से सींचा जाता था। आपके 8 वर्ष के शासन काल में, आपके अपने साहित्य द्वारा 6 प्रतिशत सिंचन क्षमता घटी है, जबकि व्यवहारिक रूप से इससे कहीं ज्यादा कम हुई है। आज आप टेल तक की बात कर रहे हैं जबकि मध्य दूरी तक पानी नहीं मिलता है। पानी मुख्य नहर तक ही आ रहा है, रजबहों और माइनरों में पानी की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। पहले सिंचाई कल्याणकारी काम माना जाता था। हम स्वावलम्बी बनें, स्वाभिमान जागे, हम अपनी पेट की भूख के लिए दुनिया के सामने कटोरा लेकर न घूमें। हरित-क्रान्ति का नारा इसलिए दिया गया था कि यह प्रदेश स्वावलम्बी बन सके। सिंचाई की कीमत का मूल्यांकन पैसे के रूप में नहीं किया गया था। देश का आत्मसम्मान और आत्म गौरव के रूप में किया गया था कि हमारे देश के किसान स्वावलम्बी बन सके और अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए खाद्यान्न पैदा कर सके। लेकिन आपकी सरकार जो स्वराज्य की बात करती है, सिंचाई के मूल्य को उसके लाभकारी होने की बात पर तय कर रही है। नहरों से सिंचाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नहरों से आने वाला राजस्व नहरों की सिंचाई से होने वाले व्यय से कम है, लाभकारी नहीं है इसलिए रख-रखाव नहीं हो रहा है। मान्यवर, कल्पना करें, अगर प्रदेश में नहरों के संरक्षण और रख-रखाव की स्थिति यही रही तो उत्तर प्रदेश में जो हरित क्रान्ति की बात तो दूर चली जायेगी। हमारा किसान खेतों में कोई फसल भी पैदा नहीं कर पायेगा। माननीय मंत्री जी ने दम्भपूर्ण भाषा में कहा कि प्रदेश में इतनी सिंचन क्षमता को बढ़ा दिया। आजादी के 55 वर्षों के बाद अभी इस शताब्दी का या आजादी के बाद पहली बार सूखा-अकाल प्रड़ा और किसानों के आंसू पोछने के लिए आपका पूरा तंत्र कहीं 2 प्रतिशत भी कामयाब नहीं हुआ हो तो या सूखे खेतों में पानी पहुंचाने में सफल नहीं हो सका। आज भी उत्तर प्रदेश की सारी कृषि, प्रकृति के सहारे आधारित है और प्रकृति की कृपा पर है। आपने कहा कि चार सौ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, यह किसानों का परिश्रम और ईश्वर की कृपा है। यह सरकारी संसाधनों की कृपा से सम्भव नहीं हो सका है। इस सूखे की मार से सरकारी संसाधनों की कलई सबके सामने खुल गयी है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मान्यवर, आपने 20147 नलकूप ग्राम पंचायतों को दे दिये। राजकीय नलकूपों में 234 को शहरी क्षेत्रों में थे उनको छोड़कर 20147 नलकूपों को ग्राम पंचायतों को दे दिया। आपने क्या इनका पुनरीक्षण कराने का प्रयास किया कि इनका भाग्य क्या रहा। पंचायत को हस्तान्तरित करने के बाद उस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था में सुधार आया या नहीं। क्या उस क्षेत्र में फसलों को पानी मिला। चूंकि यह लाभदायक नहीं थे और इन पर होने वाला व्यय आने वाले राजस्व से अधिक था इसलिए सरकार ने इससे पीछा छुड़ा लिया। मान्यवर, नहरों के संरक्षण पर जो व्यय हो रहा है वह राजस्व से अधिक हो रहा है तो क्या नहरों को ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को हस्तान्तरित करेंगे। इसी तरह से बहुउद्देशीय कर्मी होते थे। सींचपाल पहले गांवों में जाते थे और प्रत्येक खेत के पैमाइश करते थे और लिखते थे कि धान कितनी भूमि में लगाया गया है, ज्वार कितनी भूमि में बोयी गयी है और नहर का कितना पानी लगा और इसी तरह से रबी की फसल में खेत पर जाकर, मेड़-मेड़ जाकर नाप करते थे कि कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोयी गयी है। लेकिन जबसे यह तुगलकी सरकार शासन में आयी है सींचपाल का पद समाप्त कर दिया गया और यह काम लेखपाल को दे दिया। लेखपाल ने खेत की मेंड पर जाने का कष्ट वहन नहीं किया और पूरे रकबे की जमाबंदी उठायी और कुल क्षेत्र से अधिक की जमाबंदी बनाकर जमा कर दी। अगर कोई किसान

2 एकड़ जोत का है तो 5 एकड़ की सिंचाई लगा दी। वह आदमी जिलाधिकारी से लेकर इक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक दौड़ा, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने सिंचाई कम करने के बजाय कहा कि यह हमारे वश की बात नहीं है यह काम राजस्व विभाग का लेखपाल करता है जो लिखा गया है वह सही लिखा गया है। फिर जब अगला वर्ष आया तो लेखपाल ने उसी जमाबंदी फोटो स्टेट कापी दोबारा जमा कर दी। पहले जहां पर उसने गन्ना दिखाया था दोबारा वहां पर अरहर दिखा दी और काम खत्म हो गया। इसी का नतीजा है कि सिंचाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है और किसान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि आपको मुख्य मंत्री बन जाना चाहिए था। आप नहीं बने यह आपके साथ अन्याय हुआ है। आप हताशा में हैं, चाहे जितने विभाग आपको सौंप दिये जायं आपका भला होने वाला नहीं है। भा०ज०पा० में आप भी टेल पर रह गये हैं आप तक पानी नहीं पहुंच पाया है इसलिए आप मुख्य मंत्री पद से वंचित रहे हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में आप जैसे लोग रह गये और उस कुर्सी को टण्डन जी ने आपको मिलने नहीं दिया। शायद इसी कुंठा का आप शिकार हैं इसीलिये बार-बार सिंचाई विभाग मिलने के बाद भी सिंचाई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आपने 15 परियोजनाओं की बात कही है। यह परियोजनायें 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गयी थीं। मान्यवर, एक रिपोर्ट छपी है जिसको मैं आपकी अनुमति से पढ़ रहा हूं।

फार्मर स्टेट बी०जे०पी० प्रेसीडेंट एण्ड ऐरीगेशन मिनिस्टर ओम प्रकाश सिंह इन हिज गेम आफ वन अप मैनशाप हैस गान टू दी एक्सटेंट आफ मिसलीडिंग दी कैबिनेट एण्ड दी पिपुल आफ दी स्टेट इन हिज ज़ील टू प्रोव हिमसेल्फ ए गुड परफार्मर हि लाइज टू दी कैबिनेट दैट सेवन आफ दी आनगोइंज मीडियम एण्ड मेजर एरीगेशन प्रोजेक्ट्स वेयर कम्पलीटेड बाई मार्च, 31 दिस ईयर।

मान्यवर, इसमें यह लिखा गया है कि मंत्री जी ने कैबिनेट को गुमराह करने का काम किया है। 15 परियोजनाओं पर कार्य चला लेकिन एक भी परियोजना से एक बूंद पानी का प्रवाह नहीं हुआ। इसकी जांच कैबिनेट ने एक अधिकारी को दी। अधिकारी ने जांच की ओर उसने कहा कि मंत्री जी ने कैबिनेट को गुमराह किया है। 15 में से कोई परियोजना पूर्ण नहीं है।

दि 15 इरीगेशन प्रोजेक्ट्स सेक्सनड बिटविन 1973 एण्ड 1990 आर : मध्य गंगा कैनाल मौदहा डैम, इस्टर्न गंगा कैनाल, सरयू कैनाल, राजघाट कैनाल, इनक्लूडिंग जखलौन पम्प कैनाल, अपर गंगा कैनाल, बाणसागर कैनाल, जरौली पम्प कैनाल, पथराई डैम, चम्बल दल कैनाल प्रोजेक्ट, शारदा सहायक (नेशनल वाटर मैनेजमेंट स्कीम), हिण्डन कृष्णी दोआब कैनाल, ज्ञानपुर पम्प कैनाल एण्ड कनहर कैनाल।

दी प्लानिंग डिपार्टमेन्ट विच ऐनीटर्स एण्ड इवेलूमाट्स दी प्रोग्रेस आफ आल डेवलपमेन्ट प्रोजक्ट्स एण्ड स्कीम्स हैज हाउइवर नेल्ड दी लाई आफ दी इरीगेशन मिनिस्टर इन दि रिपोर्ट सबमीटिंग टू दि चीफ मिनिस्टर दि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट हैज सेड दि मिसलीडिंगइन्फारमेशन आन दि स्टेट आफ इरीगेशन प्रोजेक्टस् बाई दि इरीगेशन डेप. वाज ए मेजर ब्लू टू दि पालिसी आफ इफ ट्रान्सप्रेसी एण्ड इवेन हैण्डेड जस्टिस परस्यूड दि स्टेट गवर्नमेन्ट।

जो सदन में बताया गया कि 15 में से 11 परियोजनाएं चालू हो गयी हैं मैं चाहूंगा कि इनकी भी जांच करा लें ताकि इनकी भी सत्यता मालूम हो जाए। मंत्री जी ने हर बजट भाषण में मैं पिछले कई सालों से उनका बजट भाषण सुन रहा हूं उसमें 'इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। हर बार आश्वासन दिया है कि 31 मार्च तक यह परियोजनाएं प्रारम्भ हो जाएंगी। आज पुनः स्वीकार किया कि

11 प्रारम्भ हो गई हैं चार बाकी मार्च 2003 तक चालू कर ली जाएंगी । यह हर बार दिवास्वप्न मंत्री जी ने सदन में दिखाने का काम किया है । इस संबंध में भी मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका गहराई से परीक्षण कर लें । मेरी अपनी जानकारी है कि इन 11 परियोजनाओं में अभी भी बहुत सा हिस्सा छूटा हुआ है जिससे इन परियोजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है । जब तक पैच वर्क पूर्ण नहीं होगा तब तक किसानों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलेगा । सिंचन क्षमता नहीं बढ़ेगी । इसको फिर से दिखवा लें । अगर आवश्यक समझें तो किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर भौतिक सत्यापन भी करा लें । इन अधिकारियों ने आपको पुनः गुमराह तो नहीं किया है । आपसे भयभीत होकर गलत सूचना तो नहीं दे दी । अगर ऐसा है तो सही सूचना मंत्री जी सदन में दें । दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी ने 6,648 करोड़ रुपये विश्व बैंक से कर्जा लेने जा रहे हैं । कर्जा स्वीकृत भी हो गया । शायद 148 करोड़ रुपये प्राप्त भी हो गया है । इससे सदन को बड़ा प्रसन्न हो जाना चाहिए कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विभाग ने आज सदन में समीक्षा प्रस्तुत की, लेकिन मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि यह 6,648 करोड़ रुपये की धनराशि जो विश्व बैंक देने जा रहा है, इनकी शर्तें क्या हैं ? उसके बाद जो सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी उससे राजस्व के रूप में किसानों से कितना पैसा वसूला जाएगा । उस सिंचाई के लिये मूल्य क्या निर्धारित किया जाएगा । क्या विश्व बैंक के दबाव में जो शर्तें तय हुई हैं वह इस सदन में मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बतायेंगे कि विश्व बैंक से यह जो शर्तें तय हुई हैं उसकी शर्तें क्या हैं ? इस पैसे का कितना अधिभार इस प्रदेश पर पड़ेगा । उसके मुकाबले कितनी अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि करेंगे । इसको मंत्री जी अपने भाषण में बताने की कृपा करेंगे । जहां तक प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्रश्न है । आज भी हमारे प्रदेश के किसान इनकी नहरों की तरफ नहीं आसमान की तरफ देखकर खेती करते हैं । बादल अगर हैं तो धान लगेगा क्योंकि वह जानते हैं कि जब सूख पड़ेगा, अकाल आएगा तब इनकी नहरों में पानी नहीं होगा । इनके ट्यूबवेल नहीं चलेंगे । क्योंकि यह दो घंटे बिजली देंगे वह ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचेगी नहीं । राजकीय नलकूप के सहारे रहने वाले किसान वैसे ही अपने भाग्य को कोस रहे हैं । उनके मोटर खराब है, कहीं चोरी चले गये हैं, तो दुबारा नहीं लग रहे हैं उनका कोई पुरसाहाल नहीं है । नलकूप चालक बहुउद्देशीय कर्मी हो गये वह नलकूप नहीं चलायेगा वह अपने को अधिकारी समझता है ग्राम विकास अधिकारी और वह प्रधान को अपनी उंगली पर नचाता रहता है । एक नलकूप के आपरेशन पर प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये खर्च होते हैं । लेकिन श्रीमन्, जरूरी है तो उनका भौतिक सत्यापन करा लें कितने चल रहे हैं और उनकी सिंचन क्षमता कितनी रह गयी है । इन ट्यूबवेलों के कितने घंटे प्रति माह प्रति वर्ष चलने का लक्ष्य निर्धारित था

पिछले दो वर्षों में कितने ट्यूबवेल कितने माह, कितने साल चले और उनकी सिंचन क्षमता कितनी रह गई । इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । जब से आपने इनको पंचायत को हस्तान्तरित किया है, कितने घंटे यह ट्यूबवेल चले हैं ? कितनी उपयोगिता ग्रामीण जनता या कृषकों के लिए उसकी रह गयी है, इसको भी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताने का कष्ट करेंगे, यह मेरा अनुरोध है । एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मान्यवर,जैसा आप जानते हैं कि 72.2 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है, जिसकी जीविका कृषि पर आधारित है । हमारी सारी अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि है । जैसा कि मान्यवर, आप भी जानते हैं कि कृषि बिना सिंचाई के नहीं हो सकती है । पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़, पूरी अर्थव्यवस्था की मेरुदण्ड सिंचाई है । सिंचाई जितनी सघन होगी उतनी ही बेहतर स्थिति किसानों की होगी । आज भी 55 वर्षों के बाद भी आपने जो सरकारी आंकड़े दिये हैं, उत्तर प्रदेश में निजी, सरकारी और तमाम दूसरे जो प्राकृतिक सिंचित स्रोत हैं, उनसे सिंचित क्षेत्र 65 प्रतिशत से अधिक नहीं है । हमारे

पड़ोस में हरियाणा पंजाब है, जिनका सिंचित क्षेत्र 90 प्रतिशत है । उन्होंने अपने सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की है । हमारे यहां यह 55 वर्षों बाद भी 65 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र हो पाया है हालांकि इस 65 प्रतिशत पर भी नहीं हो पाती है । हरियाणा और पंजाब हमसे आगे हैं । वहां 90–95 प्रतिशत के करीब सिंचित क्षेत्र है । हमको इनसे सीख लेनी चाहिए थी और अपनी सिंचित क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए था । इसी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में 17322 हेक्टेयर सकल सिंचाई क्षमता है जिसमें से शुद्ध 12012 हेक्टेयर है । उत्तर प्रदेश में 29,684 कुल हेक्टेयर सिंचाई सिंचित भूमि है उसकी कुल 24,619 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई हो पा रही है । आज नहरों की क्या स्थिति है ? नहरों का शुद्ध क्षेत्रफल जिससे 25.5 प्रतिशत सिंचाई होती है और 66.4% निजी और राजकीय नलकूपों से होती थी । 5% कुओं से, 0.10 प्रतिशत तालाब से और 2.4 प्रतिशत पोखरों से होती थी । लेकिन आज जो स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है । हम इन संसाधनों में वृद्धि नहीं कर पाये। 68 हजार नहरें थी, इनका ठीक से रख रखाव कर लेते तो जो नहरों का कमान्ड एरिया है, जहां तक पानी जाती है वहां तक सिंचाई करा सकते थे । यह जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 6 अरब से अधिक का कर्ज लेने जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता न होती । सरकार की उदासीनता ने, मैं कह रहा हूं इसको आक्षेप न समझा जाय । मेरा आरोप जरूर है कि आपके 8 वर्षों के कार्यकाल में नहरों की दुर्दशा हुई है । इनकी सिंचन क्षमता घटी है । राजकीय नलकूप बर्बाद हुए हैं, सिंचाई क्षमता में बड़ी गिरावट आई है । यह चिन्ता का विषय है । आप जैसे योग्य मंत्री, जो विभागाध्यक्ष भी हैं, भले ही हमारे सामने सदन की नेता अधिकारियों को रोज ताश के पत्तों की तरह फेंटती रही हैं और कार्य पालिका कुछ नहीं कर पाई । आपके 8 साल के कार्य काल में, आप साठ साल से इसी कुर्सी पर बैठे हैं । आपको कोई स्थाई मूल्यांकन करना चाहिए था । सिंचित क्षमता को कम नहीं होना चाहिए था । यह प्राथमिकता होनी चाहिए थी । मैं जानता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ, आपका दिमाग ज्यादा लगा है, बहुत सारे विभागों का बोझ आपके ऊपर है । सिंचाई विभाग बड़ा है, इसमें कोई रस भी नहीं है, आपकी रुचि भी नहीं रहती होगी । इस विभाग के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है मंत्री जी बैठे हुऐं हैं मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग तो प्रदेश का मेरूदंड है अगर इसको सही नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है, सूखे के कारण खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया, खेतों को पानी नहीं मिला खाद्यान की समस्या है आपने जो कल्पना की है तब तक तो आबादी 24 करोड़ हो जाएगी और तब 6 सौ लाख मीट्रिक टन खाद्यान की जरूरत होगी, तब कैसे इसको नियंत्रित कर पायेंगे, विश्व बैंक से आप कर्जा लेंगे, विश्व बैंक से कर्जा लेने के बाद क्या आप अतिरिक्त क्षमता बढ़ा पायेंगे, आपने जो बरसात के पानी का उपयोग करने की बात कही है कि बरसाती पानी इकट्ठा करने की सघन योजना है आप छोटी-छोटी परियोजनाएं बनाएं, जलाशय बनायें, बन्धे बनाएं, आपने प्रदेश के दो-चार-पांच जगह के नाम लिए हैं उससे कैसे सिंचाई होगी, उससे प्रदेश की सिंचन क्षमता कैसे बढ़ पायेगी । स्थिति यह है कि आपकी सरकार में आदेश हुआ कि गांव में तालाब खोदे जायेंगे, कागजों पर तालाब खोदे गये, कागजों में भुगतान हो गया, गांव में तालाब नहीं खोदे जा रहे हैं, पानी नहीं है सूखे में जानवर पानी के लिए तड़प-तड़प कर मर गये लेकिन जानवरों को पानी नहीं मिल पाया । तालाबों के पट्टे कर दिये गये, जलाशय बनाने की बहुत जरूरत है पुराने तालाबों का संरक्षण नहीं हो सका, पुराने तालाबों से थोड़ी बहुत सिंचाई हो जाती थी, जानवरों को पानी मिल जाता था लेकिन अब पानी न मिलने के कारण जानवर मर रहे हैं । आपके राज्य में पानी की बहुत दिक्कत हो गयी है । तालाब जो हैं भी वह सार्वजनिक उपयोग के नहीं रह गये हैं, यह देश और प्रदेश के सामने दिक्कत पैदा हो गयी है । आपको सारे प्रदेश की चीजों की जानकारी है लेकिन इसके लिए दूरदर्शिता की जरूरत है । ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों की व्यवस्था

करानी होती है निजी क्षेत्र में नलकूप नहीं हैं, कोई निजी क्षेत्र में नलकूप लगाना चाहता है तो उसकी इतनी लम्बी चौड़ी प्रक्रिया है कि आम आदमी बिजली का कनेक्शन नहीं करा पाता है.। जे० ई० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तमाम पेमेन्ट मांगते हैं इतने खम्भों में लाइन जाएगी, इतना लम्बा चौड़ा बजट है, तो अगर कोई निजी क्षेत्र में नलकूप लगवाना चाहता है तो नहीं लगवा पाता है तो इसका सरलीकरण किया जाए, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं और कोई नलकूप लगाना चाहता है तो वहां बिजली की लाइन की सहूलियत हो, रियायती दर पर बिजली का कनेक्शन मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाए । पंजाब और हरियाणा में निजी क्षेत्र में जो नलकूप लगे हैं उसके कारण सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है निजी क्षेत्र में विकास होना चाहिए । इससे उत्तर प्रदेश में सिंचन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । मान्यवर, जो अरबों रुपये की हैवी मशीनें पड़ी हैं, मशीनें जंग खा रही हैं उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है उनका उपयोग किया जाना चाहिए । विश्व बैंक से लोन लिया जाता है उससे अधिभार बढ़ता है पिछले वर्षों का ब्याज अदा नहीं कर पाये हैं 80 हजार करोड़ रुपया पिछले कर्जों के ब्याज को अदा करने में चला गया किसानों को किस मूल्य पर पानी मिलेगा इसको आप अपने उत्तर भाषण में स्पष्ट कर दीजिएगा । कल्याणकारी योजना है वाणिज्य की योजना नहीं है कि हानि लाभ में तय किया जाए । प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट बनाने का काम न करें । विश्व बैंक के दबाव में इतना न रहें कि विश्व बैंक जो शर्तें आपके ऊपर लादता जाए, जो शर्तें थोपता जाए वह आप मान लें और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय हो । जहां तक कटौती की बात है जितना पैसा हर साल देते हैं सबसे ज्यादा पैसा इस विभाग को दिया है इसलिए मैं मजबूरी में कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं और मैं तो यह कहता हूं कि इनको कुबेर का सारा खजाना भी दे दिया जाय उसके बाद भी यह सिंचन क्षमता को बढ़ा नहीं सकते हैं । इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अक्षयवर लाल गोंड)–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, वास्तव में माननीय मंत्री जी ने जो आठवीं बार बजट प्रस्तुत किया है और पिछले आठ वर्षों में जो कार्य हुए हैं वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय हैं । मैं अपने बड़े भाई डा० अशोक बाजपेयी जी को सुन रहा था । मैं भी चार बार से इस विधान सभा में चुनकर आ रहा हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

आप अपने विभाग पर जब आपका बजट प्रस्तुत होगा बोलियेगा ।

श्री अक्षयवर लाल गोंड–

उस पर भी बोलूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किये हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सिंचाई विभाग में जो सिंचाई के कार्य हुए हैं उससे सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है और उसी का नतीजा यह हुआ है कि पैदावार भी उसकी बढ़ी है । मान्यवर, बहराइच में श्रावस्ती में नहरों का जाल बिछ रहा है और उसके द्वारा जनपद में खाद्यान्न का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है । माननीय बाजपेयी जी अभी कह रहे थे कि शासन ने कितनी नहरें खोदीं, कितने नहरों को पानी दिया जा रहा है, कितने तालाब खुदवाये गये लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह सब कार्य हुए हैं और जितने भी प्रयास इस दिशा में किये गये हैं उसके लिए माननीय मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि गिरजापुर में

जो सरयू नहर परियोजना चल रही है वह काफी दिनों से चल रही है । अभी आपके प्रयास से नया माडल निकालकर पानी देने का काम शुरू हुआ उससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और लोगों में उत्साह भी जागा है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाय जिससे किसानों को फायदा मिले । इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह काफी प्रशंसनीय है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत किया उस पर जो डा० बाजपेयी जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देता हूं । मान्यवर, जो हमारा प्रदेश है वह बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है । और यदि केवल हमारे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो हमारे देश में जितने भी प्रदेश हैं वह उन सबसे आगे हो जायेगा । चाहे वह पंजाब हो या हरियाणा हो । आज जो हमारा प्रदेश कर्जे पर चल रहा है, कर्जे पर जी रहा है और केन्द्र के पैसे पर जिन्दगी जिसकी चल रही है उससे छुटकारा मिल जायेगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूं और आपसे यह निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें । यह मेरा विरोध नहीं है सुझाव है । मान्यवर, जो नलकूपों की बात आयी है, नलकूप में हमारे यहां जितने नलकूप हैं वह 40 प्रतिशत हमारे प्रदेश के खराब पड़े हुए हैं चाहे वह बिजली के कारण हो या चाहे निजी लोगों के कारण हो । हम लोग जिला योजना की बैठक में बैठते हैं या अधिकारियों के बीच में बैठते हैं, अधिकारियों को जैसे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारे यहां उनको 40 हजार, बीस हजार, बाईस हजार रुपया मिलता है और जो इंजीनियर हैं, जो सिंचाई के अधिकारी हैं वह तो जैसे, आज मंत्रिमण्डल वाले लूट रहे हैं, यह तो उस दिन से लूट रहे हैं जब से गठन हुआ है, लेकिन अधिकारियों की परमानेंट लुटाई चलती है । कहीं भी शिकायत करें उसका मतलब नहीं होता है । मान्यवर, अभी जो आंकड़े दिये गये उनमें कहा गया कि कुल 8340 नहरों में पानी जाता है । और इसका कहना चाहता हूं कि कुल 8037 नहरों में पानी जाता है । ये झूठे आंकड़े हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यथार्थ को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है । स्व० श्री केशव देव मालवीय जी ने बस्ती में लंगड़ी नहर कैनाल दी थी । उससे 16 किमी० दूरी तक की सिंचाई होती थी लेकिन आज हालत यह है कि मात्र 4 किमी० तक पानी जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो 16 किमी० का पानी जाता था उसमें आज सिर्फ 4 किमी० तक पानी जाता है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 12 किमी० का क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी और उनकी फसल कैसे होगी ? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी देश चीन हमसे दो साल बाद आजाद हुआ । हम लोग सन् 1947 में आजाद हुए और चीन 1949 में । हम जितना अनाज पैदा करते हैं आज चीन उसका ढाई गुना अनाज पैदा करता है ।

हमारे यहां 12 किमी० तक जो नहर का पानी जाता रुका पड़ा है वहां पर उस नहर को काट कर लोगों ने सड़क और घर बना दिये गये हैं यदि मा० मुलायम सिंह की सरकार बने और टेल तक पानी ले जाना चाहें तो क्या नहर को फिर से चालू करने के लिए उन किसानों के घर तोड़े जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको नहर बनाने के बाद उसको सुरक्षित रखने का काम भी करना चाहिए । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गांवों में जो बोरिंग हो रही है उसमें 40 प्रतिशत तक केवल फर्जी पैसा तो निकाल लिया जाता है लेकिन बोरिंग नहीं होती है । हमारे सत्तापक्ष और विपक्ष

दोनों तरफ के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है । आखिर यह पैसा कहां जा रहा है । मान्यवर, यह जो पैसा जा रहा है यह तो केवल माखौल बन कर रह जायेगा और हमारी जो योजनाएं हैं वह धरी की धरी रह जायेंगी । उसका फायदा किसानों को होने वाला नहीं है । मान्यवर, मेरे जिले बस्ती में हमारे सरयू नहर की खुदाई हो रही है यह सही है कि प्रगति पर है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जो इंजीनियर हैं वह खोदते चले जाते हैं दलितों के घरों को, अगर वह ब्राह्मण ठाकुर होता है तो इंजीनियर को खदेड़ देता है लेकिन वह छोटी जाति का होता है और उसका खेत घर खोद दिया जाता है । मेरे जैसा एम० एल० ए०, डी० आर० डी० ए० की बैठक में चिल्लाता रह जाता है । मान्यवर, अगर गांव से सटकर नहर जा रही है तो कम से कम उनके गांव वालों के निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए आप अपने विभाग को निर्देशित कर दीजिये कि दलितों की बस्तियों गरीब लोगों की बस्तियों में उनके निकलने की व्यवस्था अवश्य की जाये । मान्यवर, हमारा जो लंगड़ी पम्प कैनाल है वह 20 साल से पड़ी हुई है । केवल 4 महीने चलती है वह भी मुश्किल से और जैसे ही बाढ़ आ जाती है वह बंद हो जाती है क्योंकि उसकी ऊंचाई तक मशीनों की जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है । अधिकारी लिखते हैं, मैं लिखता हूं पैसा नहीं दिया जाता । वहां पर केवल एक मशीन लगी हुई है । मेरा जो नगर पूरब क्षेत्र है वह केवल मेरा ही नहीं है वह मुख्य मंत्री जी का, सिंचाई मंत्री जी का भी है, अगर वहां का किसान तरक्की करेगा तो उसका हिस्सा उत्तर प्रदेश में जायेगा । वहां आलू व गेहूं पैदा होगा । तो उसका शेयर मिर्जापुर में भी जायेगा । हमारी वह लंगड़ी पम्प कैनाल वह आप ठीक करा दें । केवल ज्यादा से ज्यादा 15–20 लाख रुपये उसमें लगेंगे और जिससे 16 कि०मी० क्षेत्र में किसान की रोजी-रोटी का इंतजाम होगा और बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आप को धन्यवाद देंगे । वह आप पूरी नहीं करते हैं इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर अपनी बात कह कर, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया–

मान्यवर, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस बजट में सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्रस्ताव है । जो सिंचाई हमारी कृषि का मुख्य आधार है, सिंचाई के बिना न तो किसी भी तरह से विकास किया जा सकता है न तो किसानों को पूरा लाभ दिया जा सकता है । माननीय मंत्री जी द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्राविधान इस बजट में किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या है वह मैं बता दूं । सरयू नहर विगत 15–20 सालों से बन रही है । किसानों की अधिकतर जमीन खोद देने के बाद भी सिंचन क्षमता का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है । अभी तक ये जनपद गोण्डा बहराइच के मुख्य इलाके से निकली हुई है । आप की जो माइनर्स निकली हैं उसमें काफी कुछ जमीनें खोदी जा चुकी हैं उसका तत्काल निर्माण पूरा कराया जाये जिससे किसानों को सिंचन क्षमता में वृद्धि का लाभ मिल सके ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 1984 में इन्डोडच परियोजना के अन्तर्गत 35 नलकूप लगाये गये थे । वर्तमान समय में विद्युत की सही आपूर्ति न होने के कारण इन नलकूपों का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है । अपने विभाग के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें । मान्यवर, इन्डोडच नलकूपों का लो-कलस्टर है उसमें पाइप लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है । किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है । जो इन्डोडच नलकूपों में पाइप लाइन बनी हुई थी वह 20 साल पहले की हैं (व्यवधान) मान्यवर, पाइप लाइन न होने के कारण इन नलकूपों की पूरी-पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि पाइप लाइन नहीं है इसमें पाल्हापुर और कन्जेमऊ (विकास खण्ड करनैलगंज) में तत्काल पाइप लाइन डलाई जाय ताकि उन्हें सिंचाई योग्य बनाया जा सके

और किसानों को सिंचन क्षमता का पूरा लाभ मिल सके। मान्यवर, 1962 में परसपुर धौराहा बांध का निर्माण हुआ था। यह बांध हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ आती है उसकी विभीषिका को बचाने के लिए बना था। वर्तमान समय में बांध की मरम्मत के लिए प्रत्येक वर्ष पैसा जाता है लेकिन जो धन वहां जा रहा है उसकी मरम्मत में उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं मांग करता हूं कि इस बांध की मरम्मत के लिए पिछले सालों में जो पैसा गया है उससे काम अगर नहीं हुआ है तो जांच कराकर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को दण्डित करने की कृपा करें। यह बांध 27 कि०मी० लम्बाई में बना हुआ है और पूरे क्षेत्र में आवागमन का मुख्य साधन है। इसमें तत्कालीन विधायकों द्वारा मांग की गयी थी कि इस बांध को यातायात के लिए खोला जाय और वहां पर 4 कि०मी० पक्की सड़क बन भी चुकी है। परसपुर धरौरा बांध की 23 कि०मी० का मार्ग बचा हुआ है उस पर पक्की सड़क बनाकर उसको आवागमन हेतु खोला जाय। इसके साथ ही मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा एक निवेदन है। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं यह सूची बहुत लम्बी है, मैं जरूर चाहूंगा कि सब बोलें, बड़ा महत्वपूर्ण बजट है। जब भी बोलें तो बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात रखें ताकि सबको मौका मिल सके।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आगरा मण्डल की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। खासतौर से आगरा में मथुरा जनपद की ओर। मान्यवर, हमारा जनपद टेल एन्ड पर है जिसके कारण कई-कई वर्षों से नहरों में पानी नहीं जाता है। अपर आगरा कैनाल सूखी पड़ी है उससे संबंधित रजबहा शेरगढ़ व सहार हैं उनमें शिल्ट जमा है गत वर्ष भी जो सफाई हुई है वह केवल कागजों पर ही हुई है। जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका पैसा अफसरों की जेब में या ठेकेदारों की जेब में गया है। मान्यवर, जब आपने आगरा में मीटिंग ली थी तो मैंने बताया था आज स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल नहीं हैं, नहरों में पानी उपलब्ध नहीं है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं फसल नहीं हो रही है, किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और आबपासी की वसूली की जा रही है जबकि पानी नहीं आया है वसूली के नाम पर किसानों को जेलों में डाला जा रहा है। यह जीता जागता उदाहरण है आबपासी के नाम पर किसानों को, दलितों को, बन्द कर रहे हैं तो आप कैसे दलित के पक्षधर हुए। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जब आपसे बात हुई तो आपने अधिकारियों को टाइट किया तो वह मेरे पास प्रस्ताव लेकर आते हैं और कहते हैं कि विधायक निधि से पैसा दीजिए। एक तो आपकी सरकार विधायक निधि को पैसा नहीं बढ़ा रही है और दूसरे नहरों की सफाई के लिए विधायक निधि से पैसा मांगा जा रहा है। मान्यवर, 70 लाख का प्रस्ताव आया हुआ है तो या तो हम नहरों को साफ करा लें या विकास के और कार्य करा लें। मान्यवर, शेरगढ़ व सहार रजबहा की सफाई कराई जाय। जे० सी० बी० मशीन से खुदाई कराई जाय वृन्दावन माइनर, जैत माइनर, मथुरा माइनर, कोटा माइनर, जुल्हंदी मथुरा स्केप, रालकर ड्रेन की। मान्यवर, हम चाहते हैं कि मथुरा स्केप पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसे खाली कराया जाये जिससे कि पोनरा कुण्ड में पानी भरा जा सके। वहां एक रालकर ड्रेन है उसकी सफाई नहीं हुई है और उसका नतीजा यह है कि यदि बाढ़ आती है तो सारा का सारा क्षेत्र परेशान होता है। जो अधिकारियों ने हमें बताया कि सहार रजबहा में पुल टूटा हुआ है

जिसकी वजह से पानी नहीं आता, 2 लाख रुपये में वह बन जायेगा । अकबरपुर से सहार गांव मार्ग पर एक पुल टूटा है । मैं चाहूंगा कि उसका भी निर्माण जल्दी कराया जाये । गंगा की नहरों के माध्यम से जो पानी आता है उसे अपर आगरा कैनाल में ट्रांसफर करायें जिससे क्षेत्र में पानी की कमी की तबाही से बचा जा सके । मेरे क्षेत्र में एक गोकुल बैराज पेयजल यमुना नदी पर परियोजना है वहां पर लाखों यात्री पूरे देश से आते हैं और उस प्रदूषित जल का आचमन करते हैं वहां बिल्कुल पानी नहीं है और पानी न होने के कारण आज मथुरा व वृन्दावन शहर में बहुत परेशोनी है । वहां के पेयजल की व्यवस्था यदि गंगा नहर से करायी जाये तो स्थिति सुधर सकेगी । इसलिए मान्यवर, आप मथुरा की तरफ ध्यान दें जिससे कि वास्तविक स्थिति को सुधारा जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करता हूं । कारण यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसमें जो नाम आये हैं उसमें से कुछ तो दल की तरफ से आये हैं और कुछ विरोधी दल की तरफ से आये हैं हम दोनों को ध्यान देना है । यदि बोलते समय ध्यान रखेंगे और 2-2 मिनट बोलेंगे तो सबको अवसर मिलेगा । इसलिए मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

श्री इन्द्र देव सिंह–

इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कृषि क्षेत्र अगर भारत का शरीर है तो सिंचाई आत्मा सिंचाई से ही कृषि जीवन्त होती है । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वास्तव में वैज्ञानिक सोच पर आधारित है । एक दिशा है किसानों के भविष्य के हित साधन की । इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में अधिकांश नहरों में पानी टेल तक पहुंचा है । ज्यादातर नहरों की सफाई हुई है । मंत्री जी ने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को सिंचाई के साथ जोड़ा है यह वास्तव में बहुत व्यवहारिक सोच है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो सिंचाई की विषमता है और उसके साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में जो विषमता है इन दोनों को जोड़ करके आर्थिक समृद्धि लाने के लिए जो योजना बनाई है उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं ।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में नवीं पंचवर्षीय योजना में 9.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है जो अपने आप में एक रिकार्ड है और यह भी एक रिकार्ड है कि माननीय मंत्री जी सातवीं बार सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । मान्यवर, सिंचन क्षमता में वृद्धि के लिए जितनी योजनायें चालू की गयी थी,. उसमें से अधिकांश पूरी होने को आ गयी हैं, अब कुछ नई योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं । मान्यवर, कुछ विचारकों ने कहा है कि तृतीय विश्व युद्ध यदि होगा तो वह पानी के लिए होगा । इसका सीधा अर्थ यही है कि आने वाले समय में मानव जाति को पानी के लिए भयंकर संकट का सामना करना होगा । अगर हम लोग योजनाबद्ध तरीके से पानी के संरक्षण के लिए कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला समय भयंकरतम होगा । इस दृष्टि से मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने इस बात पर प्रस्तुत बजट में गहन चिन्तन प्रस्तुत किया है कि आने वाले समय में पानी का संरक्षण हो और उसके लिये योजना बने । जैसा कि उन्होंने बताया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना का नाम ही वर्षा जल संचयी योजना के नाम से जाना जायेगा, मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि इसके लिए उन्होंने जगह-जगह पर चेक डैम व जलाशयों की

व्यवस्था की है । इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं । मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हर वह किसान जिसके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन है, के 1 प्रतिशत भूमि में तालाब या गड्ढा अवश्य बनायें जिससे जल संचय हो । तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय का हम लोग सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय अशोक बाजपेयी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और देवरिया जिले, जो बिहार के समीप हैं, मैंने बचपन में देखा था कि रहट और ढेकू से सिंचाई होती थी, लेकिन अब नहरों का जाल बिछ जाने से सिंचन क्षमता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष एक विचार रखना चाहता हूं कि नहरें हैं, सिंचन क्षमता भी बढ़ी है, लेकिन नहरों की सफाई न होने की वजह से उसमें इतनी सिल्ट भर जाती है कि नहरों में पानी होते हुए भी, कई गांव तो बह जाते हैं और फसलें बर्बाद हो जाती हैं और तमाम गांव में पानी ही नहीं पहुंचता है। इसलिये जब तक आप सिल्ट निकलवाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक नहरों के होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता । आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें सिल्ट निकालने की व्यवस्था भरपूर नहीं की गयी है ताकि नहरों में ठीक ढंग से पानी जा सके । मान्यवर, देवरिया के दक्षिण इलाके में नहर नहीं है, मैं इस बजट प्रस्ताव में देवरिया के सलेमपुर तहसील, भाटपार तहसील, रुद्रपुर और बराज तहसीलों में नहरों का जाल बिछाने की मांग करता हूं । मान्यवर, आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह नहरों की देखरेख समुचित रूप से करें । नहर अगर टूट जाती है, हजारों किसान बर्बाद हो जाते हैं, उनके खेतों में इतनी सिल्ट जमा हो जाती है कि दो-दो सीजन,. दो-दो फसलें उनकी बर्बाद हो जाती हैं, दो-दो सीजन निकल जाने के बाद भी उनके खेतों से सिल्ट नहीं निकल पाता । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कोन्वलिया बाबूराय बन्धा, कोन्वलिया भरत राय बन्धा, मिस्वा बंधा और एच० पी० बन्धा हैं । मान्यवर, अगर इन बन्धों की समुचित देख रेख नहीं करायेंगे तो बड़ी भयानक समस्यायें पैदा हो जायेंगी । अगर बन्धा टूट जाता है तो सैकड़ों गांव बह जाते हैं । मान्यवर, इस साल तो प्रकृति ने सूखा ही कर दिया है लेकिन पिछले साल सैकड़ों गांव में इतना जल-जमाव हो गया था कि लोगों का जीवन दूभर हो गया था । मान्यवर, छोटी गण्डक के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वह कटने की स्थिति में हैं, इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं डॉ० अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री विजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक विनम्र प्रार्थना है, मान्यवर, अगर आप एक-एक करते चलेगें तो, यह कोई राजनैतिक सवाल नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है कि हम बेहतर सुझाव देंगे कि इतनी कम रकम में कैसे आप अच्छा काम कर सकते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि दो सदस्यों को इधर से और एक सदस्य को उधर से बुलायें । तीन और एक का रेसियों रखें तो और भी अच्छा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैंने इस कारण कहा कि माननीय मंत्री जी बजट पेश करने के पहले सरकारी पक्ष के सभी विधायकों को नाश्ते पर आमंत्रित करके उनके सुझाव अधिकारियों के सम्मुख ले चुके हैं लेकिन हमारा सुझाव बड़ा मूल्यवान है.....

श्री अधिष्ठाता–

इतनी अच्छी तरह से चल रहा है । मैं इतना कहूंगा कि जिसको पुकारा जाता है उसको बोलने दीजिये ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर डा० अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं भी इतने दिन से सदन में देख रहा हूं, आज शान्ति से चल रहा है । जितना भी समय लगेगा, मैं बैठा हूं, समय दूंगा लेकिन जो बोल रहा है, सुनने की कृपा करें, व्यवधान न आने दें ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मैं एक कहावत से अपनी बात शुरू करता हूं । किसी कवि ने कहा है कि "उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान" मान्यवर, जहां के 70 प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हों और 60 प्रतिशत इस कृषि पर निर्भर हों । कृषि तभी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है जब सिंचाई के साधन हों। हमें खुशी है कि सिंचाई विभाग एक प्रतिभाशाली मंत्री महोदय के पास हैं और उन्होंने इसमें सुधार करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं और ऐसे प्रश्न मैं नहीं समझता कि आपके संज्ञान में आने से कैसे रह गये हैं । मान्यवर, केवल किसान वही नहीं हैं जिसके नाम पर जमीन हो अपितु किसान वह भी है जो गांव में मूल रूप से निवास करता है और खेती के कामों में लगा हुआ है मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 1947 के बाद से आज तक हर तरह से देश में चेन्ज आ गया है, समाज में परिवर्तन आ गया, लेकिन जिस तरीके से हजारों किमी० तक नहरों की सफाई का काम किया जाता है, उसमें अब आप पारदर्शिता घोषित करें । किन-किन नहरों में कितने किमी० तक की सफाई के लिए धन आवंटित किया गया है, पहले यह सदन में घोषित करें, जिससे यहां के सम्मानित सदस्यों को यह जानकारी रहे कि हमारे रजबहों या नहरों की सफाई में कितनी धनराशि आवंटित हुई है । मान्यवर, दूसरा एक छोटा सा सवाल यह है कि नहरों की जो कटान होती है वह विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से होती है, और जब उसकी कटान से लाखों हेक्टेयर भूमि बरबाद होती है, किसानों की फसल बरबाद होती तो उनका मुआवजा देना तो दूर, उन पर सिंचाई की दर दुगुनी लगा दी जाती है मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में भी अपने भाषण में कुछ कहें । मान्यवर, आजादी के उस समय में हमारे प्रदेश की आबादी बहुत कम थी, उस तक पुल के जो निर्माण हुए थे आबादी के लिहाज से हुए थे, आज कितनी आबादी है, नहरों के किनारे गांव के गांव बसे हुए हैं, उनकी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नये पुलों का निर्माण होना चाहिए । मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप कुछ पुल उपलब्ध भी करा रहे हैं । अगर वास्तव में आप चाहते हैं विपक्ष अपना कटौती

का प्रस्ताव वापस ले तो आप उसकी बातों को उनकी समस्याओं को स्वीकार कर उनका निदान करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम सब उसका स्वागत करेंगे । करमन नदी की सफाई के लिए एक करोड़ 80 लाख रुपये खर्च हुए हैं लेकिन क्या वास्तव में उसकी अपेक्षित सफाई हुई है । मान्यवर, सेमनपुर, रफायतपुर, केशोपुर, निसूजा से सम्बद्ध इन चार पुलों का निर्माण आज तक नहीं हुआ है तो करोड़ों रुपया सफाई में खर्च करने से कोई औचित्य नहीं बनता पुनः मध्य गंगा में आपने सफाई कराई है यही विश्व बैंक का पैसा है, तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इन चारों पुलों का निर्माण करायें । मान्यवर, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह नहरों की सफाई की घोषणा की बात करते हैं, उसके बाद सफाई होती है तो सिर्फ कागजों पर सफाई होती है । मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जून के महीनों में सफाई की घोषणा करें तो निश्चित ही सफाई समय पर होगी और इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, समय हो रहा है ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नगला जुआर माइनर, किनमौसा माइनर, राजावल रजबाहा, सादाबाद माइनर, सूरजा कारौली माइनर, ताहीगढ़ रजबाहा व सुदामा माइनर हैं उनकी सफाई समय रहते कराने की घोषणा करें जिससे वर्तमान में चल रही रोपाई कार्य भी पूरा हो सके और किसान आवंटित धनराशि से किये हुए सफाई का लाभ उठा सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया समाप्त करिये ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने 17 करोड़ आबादी को खाद्यान्न देने की बात कही है, यह अच्छा उद्घोष है । आप सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ेगा ? जहां-जहां आपकी माइनरों की टेल जाती है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है लेकिन आपने उसको सिंचित क्षेत्र घोषित कर दिया है । इससे सिंचित क्षेत्र घटेगा, बढ़ेगा कहां से ? मान्यवर, टेल तक पानी पहुंचाने की कोशिश करें जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़े और जिससे हमारे प्रदेश को लाभ मिल सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये । डा० विनोद तिवारी को बुला लिया है ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसी के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं डा० अशोक बाजपेयी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० विनोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं बहुत आभारी हूं । मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं

उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने आठवीं बार सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट को प्रस्तुत किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके तजुर्बों की, जो उनकी जानकारियां हैं, एक लम्बे समय से एक विभाग में कार्य करने का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा, ऐसी आशा करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बमनी नदी जो नेपाल से आती है। जिस समय हमारे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर पीलीभीत में आती है इस नदी की कटान और वेग इतनी तेज होती है कि कई गांव कट जाते हैं। थाना हजारा, शास्त्री नगर, आजाद नगर, भरतपुर, अशोक नगर ये सब कट गये हैं जबकि धुरिया पलिया कट रहा है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस आवश्यक विषय पर तत्काल केन्द्र सरकार से बात करके नेपाल सरकार पर दबाव डालें कि वहां का पानी आकर हमारे क्षेत्र के नगरों का नुकसान न करे। 3 गांव के लोग सड़कों के पटरियों पर पड़े हुए हैं। उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव कट गये हैं और कृषि योग्य भूमि बराबर कट रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र को तत्काल इस समस्या से निजात दिलाने का प्रयास करें। शारदा नदी से कटान के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट नाबार्ड में भेजा गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि तत्काल इस योजना को स्वीकृत करायें और बाढ़ से बचाव का कार्य शुरू करायें। धुरिया पलिया कट रहा है, पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है परन्तु समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक प्रोजेक्ट बनाकर सिंचाई विभाग को भेजा है, धुरिया पलिया के इस प्रोजेक्ट को तत्काल स्वीकृत कराकर कार्य कराने का प्रयास करें। एक निवेदन करना चाहता हूं कि उत्पादन की दृष्टि से पूरनपुर तहसील प्रदेश में अकेला है और वहां की स्थिति यह है कि नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो इस सत्र के बाद विधान सभा क्षेत्र का एक प्रोग्राम बनायें और जितनी नहरें खुदी हैं उनको देख लें। टेल तक पानी पहुंचाने के एक सुझाव के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। अन्त में मा० मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। नहरों की पटरियों को पक्का करने का प्रस्ताव सिंचाई विभाग का है। मान्यवर, मेरे यहां हरीपुर, किशनपुर, हरनाई नहर की पटरी को पक्की कराने की व्यवस्था की जाय ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके। इसी तरह से हरदोई ब्रांच पर बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है जहां पर बहुत से अधिकारी और नेता जाते हैं लेकिन उसकी पटरी जर्जर है उसको पक्का कराने की व्यवस्था की जाय। इसी के साथ आपने जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राम लाल अकेला–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि सिंचाई विभाग के बजट पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस सदन को माननीय मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने हेड से टेल तक किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अकाल के इस वक्त में जब आसमान में बादल नहीं हैं ट्यूबवेल को बिजली नहीं मिल रही है इसलिए किसान नहर की तरफ देख रहा है लेकिन सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी से

बात करते हैं तो उनके पास एक ही जवाब रहता है कि नहरों की सफाई के लिए हमारे पास एक नया पैसा नहीं है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र बछरावां धान की फसल पर आधारित है। वहां नहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं और उसके कारण 90 प्रतिशत धान की रोपाई नहीं हो सकी जिसकी वजह से किसान रो रहा है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रायबरेली में कई वर्षों से रायबरेली रजबहा से फुलेली, रामपुर, रसूलपुर गांवों को पिछले तीन वर्षों से पानी नहीं मिला है जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है परन्तु किसानों की सिंचाई लिख दी गयी है। हमारे क्षेत्र में राजामऊ रजबहा है जिसका हेड बरबाद हो गया है और उससे संबंधित जितनी माइनर हैं वह सब बंद पड़ी हुई हैं और उनके रजबहों में एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरे क्षेत्र में बछरावां ड्रेन है जिसका रख रखाव ठीक से नहीं किया जाता है जिससे हमारे क्षेत्र के किसानों की भूमि जलमग्न हो जाती है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जौनपुर हमारे क्षेत्र से जाती है। उसके किनारे की हजारों एकड़ भूमि सीपेज के कारण बरबाद हो गयी है और वह ऊसर बंगर हो गयी है। इस सीपेज से बचाने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। जिस किसान के पास 2 बीघे जमीन है वह सब की सब बरबाद हो गयी है जिससे वह एक-एक रोटी को मोहताज है। मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय डा० बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुख देवी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया। मेरा विधान सभा क्षेत्र लखना है जो इटावा में है। वहां पर नहरों की सफाई नहीं हुई है। 2001-2002 में कोई सफाई नहीं हुई है जिससे किसानों को असुविधा हो रही है। हमारे क्षेत्र में जो नलकूप हैं वह सभी खराब हैं। इन नलकूपों को ठीक कराया जाय। मेरा क्षेत्र बीहड़ क्षेत्र है और वहां के किसान भाई बहुत गरीब हैं। मेरे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने के लिए कोई योजना बनाई जाय ताकि बीहड़ क्षेत्र के किसानों को पानी मिल सके और वह खेती कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री अजय कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने नये सदस्य के रूप में मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे आज पहली बार बोलने का मौका मिला है। मैं वरिष्ठ साथियों को नमन करूंगा व जो नये सदस्य हैं उनका स्वागत करूंगा। अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं किसान परिवार से आये अपने योग्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के लिए विशेष प्रयास किये हैं। लेकिन अभी और कुछ किये जाने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के लगभग 72 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। उसकी स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। जब तक इस आबादी की स्थिति नहीं सुधरेगी हमारा प्रदेश और देश खुशहाल नहीं हो सकता है। सिंचाई कृषि में ऐसा महत्वपूर्ण निवेश है जिसके बिना खेती सम्भव नहीं है। मैं कई दिनों से चर्चा में देख रहा हूं कि जब सदन में सूखे की बात होती है तो सारी समस्या पानी की है। जब तक इस पानी की समस्या का निदान नहीं होगा तब तक हमारी खेती में विकास नहीं हो सकता

है । मान्यवर, मैं पश्चिम के उस महत्वपूर्ण इलाके से आता हूं छपरौली इलाका है मेरा । जो पूर्वी यमन नहर का क्षेत्र है । टेल का इलाका होने के कारण पूरी क्षमता से हमें पानी नहीं मिल पाता है । जहां हमें पूर्वी यमन नहर से 1600 से अधिक क्यूसेक पानी मिलना चाहिए वहीं यह मात्र 250–300 क्यूसेक पानी मिल पाता है । जिस क्षेत्र के किसान ने पूरे प्रदेश और देश को राजनैतिक उर्वरकता का संदेश दिया वह किसान आज प्यासा है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आबपासी किसानों पर जो आती है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जब तक फसल की रिक्वायरमेंट का आधे से अधिक पानी नहीं मिलता तब तक आबपासी नहीं ली जानी चाहिए । दूसरा जो सिल्ट नहरों में है जिसके कारण पानी रुकता है ऐसी नहरों की जैसे मीरापुर नाला, खदरावली आदि सफाई कराई जाए । ताकि कम से कम पानी सिंचाई हेतु अधिक से अधिक मिले और किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकें । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देते हुए व बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री धूराम–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं । मंत्री जी ने जो बुन्देलखण्ड की बात कही है वह सराहनीय है । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि लैचुरा बांध जो है उसके 500 मीटर नीचे मिनी लैचुरा बांध बनाया जा रहा है । 500 मीटर में पानी की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है । चूंकि पुराने लैचुरा बांध की क्रस्ट मिनी लैचुरा बांध के बराबर है । इसमें 110 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । जो पुराना लैचुरा बांध है उससे कवरई बांध बनाया जाएगा, अर्जुन बांध में पानी जाएगा । इसमें 110 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है ।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप दूसरों की बात सुनें जिससे लोग आपकी भी बात सुनें ।

श्री धूराम–

मान्यवर, पुराने लहचुरा से ही उसमें पानी दिया जा सकता है । यह जो प्राविधान इसमें किया गया है, यह केवल अधिकारियों ने खाने की नीयत से यह प्रोपोजल बनवाया है । अगर आपको यह 110 करोड़ रुपये खर्च करने हैं तो पुराने लहचुरे से जो नहर निकलती है जिसकी क्रिस्ट 8 फिट नीची है, जिसमें पानी जा सकता है । आप बस्ता जो बनवाया है इसमें क्रिस्ट और ऊंची बनाई जावे ताकि जहां के गांवों को उससे वर्षों से जो पानी मिलता है, उसी तरह से मिलता रहे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री धूराम–

मान्यवर, मीरहा बांध से संबंधित कन्टूर सर्वे करवाया जाय । मान्यवर, यहां पर 8 मीटर पानी भरा जाना है लेकिन उसमें 4 मीटर ही पानी भरा जा रहा है । मेरा निवेदन है कि यदि इसमें 4 मीटर और पानी भरा जावे तो जो 15 गांव हैं वह इससे लाभान्वित होंगे । अधिकारी लोग 4 मीटर पानी भर कर काम चला लेते हैं । इस साल 8 मीटर पानी भरा जाय । जिससे हमीरपुर और महोबा तहसील सिंचित हो सकती हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(तीन-चार सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री धूराम–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सुझाव और देना चाहता हूं कि जब विश्व बैंक की सहायता से बड़े-बड़े पुल और बन्धे बनते हैं तो पुल बनने के बाद उस पर बड़ी-बड़ी गाड़ियां लोगों की गुजरती हैं। विश्व बैंक की सहायता से जब आप बांध बनवाते हैं और उनका पैसा अदा कर देते हैं तो वह किसानों के लिए फ्री हो जाना चाहिए सिंचाई के लिए। मोदहा बांध में नावों का ठेका कर दिया है। कुछ गांव इधर हैं और कुछ उधर हैं। इस ठेके को बन्द कर दिया जाय। ऐसे शासनादेश हैं कि सरकार की तरफ से नाव चलवाई जाय। किसानों को आवागमन की परेशानी हो गयी है।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय श्री राम किशुन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है, अब और कुछ नहीं।

श्री राम किशुन–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल में हमारा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां धान की पैदावार होती है और इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है, वह क्षेत्र है चन्दौली। इस बजट में चन्दौली जहां सिंचाई का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, कुछ सुविधाएं आपके द्वारा दी गयी हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यवर, वहां पर सिंचाई के बजाय जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। इसके चलते हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष बर्बाद होती है।आपने अपने बजट में जल निकासी की बात कही है लेकिन स्पष्ट नहीं किया। जिस जनपद चन्दौली को गड़ई नदी बर्बाद करती है और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जहां से मंत्री होते हैं। उसके पड़ोस में हमारा क्षेत्र है। मान्यवर, अपने यहां बांध में पानी इकट्ठा करते हैं और जब पानी छोड़ते हैं तो गड़ई नदी में तो किसान बर्बाद होते हैं। इसके बारे में भी बजट में प्राविधान होना चाहिए। आपने बंधों के नवीनीकरण की बात कही है। मिर्जापुर के बांध का नवीनीकरण किया, उसको बनाने का काम किया लेकिन चन्दौली में चन्द्रप्रभा, भैंसोडा नगरा (जो कि सोनभद्र में पड़ता है) उनके रख रखाव और सीपेज के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इन बन्धों के मरम्मत करने का इन्तजाम किया जाय। पिछले वर्ष में थोड़ी भारी वर्षा हो गयी थी, इतनी तेजी से बांध में पानी भर गया था जिसको छोड़ने से चन्दौली प्रभावित हो गया था।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री राम किशुन–

मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। नारायणपुर पम्प कैनाल है एशिया की सबसे बड़ी कैनाल है। मान्यवर, इस पम्प कैनाल के एक पम्प की क्षमता 20 हजार घंटे की है वह क्षमता समाप्त हो चुकी है वह चालीस हजार घंटा चल चुकी है मान्यवर, बिजली विभाग की लापरवाही से जो 20 एम० वी० का ट्रांसफार्मर है उसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। मान्यवर, एक पम्प की 20 क्यूसेक पानी देने की क्षमता है वह क्षमता से नहीं चल पा रहा है उसका रख-रखाव न होने के कारण बहुत सी फसल बर्बाद हुई है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं मान्यवर, जो मिल्कीपुर की पम्प कैनाल है इसको नारायणपुर सब स्टेशन से बिजली देते हैं सब जगह बिजली उसी से मिलती है जब कोई खराबी आती है तो पूरी पम्प कैनाल को बन्द करके सब स्टेशन की .....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम किशुन–

बिजली ठीक होती है इससे 12–13 गांव जो उससे जुड़े हैं उसको बिजली नहीं मिल पाती है। मिल्कीपुर पम्प कैनाल से सिंचाई नहीं हो पाती है, 12–13 गांव हैं और जहां नारायणपुर पम्प कैनाल से पानी जाता है, जो पैसे की वसूली होती है और वह मिल्कीपुर से भी होती है और नारायणपुर पम्प कैनाल से भी होती है। श्रीमन्, कुण्डा पम्प कैनाल है उसकी क्षमता ऐसी नहीं है वह पानी नहीं दे पाती है। वहां का किसान बरबाद हो गया है जहां तक पानी की निकासी का सवाल है आप बिजली नहीं देंगे तो पानी कैसे आएगा हमारे जनपद में बीसों ट्यूबवेल लगे हैं बिजली 20 घंटे नहीं देंगे चार घंटे बिजली देंगे तो कैसे जरूरत पूरी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम किशुन–

जो मिल्कीपुर कैनाल है उसको औद्योगिक नगर सब स्टेशन से जोड़ दिया जाए।

(व्यवधान)

मिल्कीपुर औद्योगिक नगर जो रामनगर पास है उससे जोड़ने की कृपा करें। नारायणपुर सब स्टेशन है जहां 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है।

(व्यवधान)

(श्री राम किशुन और श्री कौशल किशोर दोनों माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे थे जिस कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।)

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में नहरों में दस साल से पानी नहीं आया है और कोई सिंचाई का साधन नहीं है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दीजिएगा, मैं कौशल किशोर जी को बुला लिया है।

श्री राम किशुन–

हमारे यहां जो बधवा नाला है उसकी खुदाई की व्यवस्था करा दें तो निश्चित रूप से चन्दौली की जो जल प्लावन की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य यह उचित नहीं है। आपको मैं कई बार समाप्त करने का अनुरोध कर चुका हूं।

श्री राम किशुन–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, अगर कहीं सबसे ज्यादा धान पैदा होता है तो वह चंन्दौली में पैदा होता है लेकिन जल भराव के कारण पिछले दस वर्षों से किसान की कमर टूट रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

जिस तरीके से कुछ माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं उससे अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा न करें कि दस सदस्यों का समय एक ही माननीय सदस्य ले ले।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, हमारा मलिहाबाद क्षेत्र आम फल पट्टी का क्षेत्र है और वहां पर पिछले दस सालों से नहरों में पानी नहीं आ रहा है इंजीनियर एस० एस० अली पिछले सात आठ वर्षों से वहां पर तैनात हैं और वह नहरों का पैसा खाते हैं। जो उच्च अधिकारी हैं वह उनको बचाने का काम कर रहे हैं। वहां पर जो सरकारी नलकूप हैं उसमें लो वोल्टेज बिजली दी जाती है जिससे नलकूप नहीं चल पाते हैं और वह आम फल पट्टी क्षेत्र, सैकड़ों बीघा बाग और हजारों पेड़ बड़े पैमाने पर सूखे से ग्रसित होते हैं। सिंचाई का साधन नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नहरों की भी बड़े पैमाने पर कमी है इस पूरे प्रदेश के अन्दर। वहां पर नर्सरी है तथा हर प्रकार के पेड़ों की सप्लाई की जाती है लेकिन फिर भी जो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मलिहाबाद के अन्दर प्रत्येक प्रकार की सिंचाई की सुविधा देने का काम करें, नहरों की सफाई तथा नये नलकूप लगाये जायें। मान्यवर, जो नलकूप बनाने का काम करते हैं, कर्जा देते हैं, निःशुल्क बोरिंग देते हैं उसमें आपके ग्राम सेवक, ब्लाक के लोग, बैंक के लोग बड़े पैमाने पर झूठ बोलते हैं और पैसा खा लेते हैं जिससे किसान लोग कर्जा अदा नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में 84 प्रतिशत सिंचन क्षमता है। लेकिन वह आपकी कृपा से नहीं है। वहां पर किसी ने राजनीतिक आन्दोलन नहीं चलाया। किसानों के नेता श्री महेन्द्र सिंह टिकैत ने वहां पर किसान आन्दोलन चलाया था जिसकी वजह से 84 प्रतिशत सिंचन क्षेत्र है। लेकिन इन जातिवादी राजनीतिक दलों ने बड़े पैमाने पर किसानों का आन्दोलन न चलाकर हरिजनों पिछड़ों और साम्प्रदायिकता का आन्दोलन चलाया और किसानों को ध्वस्त करने का काम किया। जो पूर्वांचल और मध्यांचल का आन्दोलन चल रहा था जहां

पर प्रदेश के किसानों ने अपने सवाल को लेकर काम कर रहे थे इन्हीं साम्प्रदायिक और जातिवादी लोगों ने रोकने का काम किया जिससे पूरे प्रदेश के किसानों को नुकसान हुआ है । इसलिए दोबारा आन्दोलन चलाने के लिये बड़े पैमाने पर एक जुट होना पड़ेगा तभी किसानों की समस्या का समाधान हो सकेगा । आज यदि कृषि मंत्री सिंचाई मंत्री ध्यान दिये होते तो जो पूरे प्रदेश में सूखा का प्रकोप था यह हो नहीं पाता । जो माननीय मंत्री जी ने 8 अरब 91 करोड़ 27 लाख 16 हजार का बजट प्रस्तुत किया है मैं इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि इसकी कटौती करके एक रुपया कर दी जाय । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम इकबाल–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने वर्ष 2002-2003 का जो बजट पेश किया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बजट काफी प्रगतिशील और उत्साहवर्धक है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बात सच है कि जितनी सिंचित सिंचाई का लक्ष्य है उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है । माननीय सिंचाई मंत्री जी, का यह प्रयास है कि हम 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को सिंचाई की सही हालत में ले आयें । मान्यवर, सरकारी नलकूप 48.5 के आसपास नलकूप खराब हो गये हैं । 56.9 प्रतिशत सरकारी नलकूपों से सिंचाई होती थी मेरा अनुरोध है कि जो सरकारी नलकूप खराब हो गये हैं उनको ठीक करते हुए चलाने की सही व्यवस्था करें । मान्यवर, मेरे क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें हैं मेरा क्षेत्र नहरों से पटा पड़ा है । यह जरूर है कि इस साल सूखे से किसानों को काफी परेशानी हुई है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नहरों को 24 घंटे पानी पहुंचाया जाय । मेरे क्षेत्र में फुलवरिया, प्रसादपुर माइनर सतररूड माइनर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है । पेकरी में जो ड्रेन है उसकी सफाई भी करा दें तो 50 हजार के करीब किसानों का भला हो जायेगा । शारदा नहर परियोजना का पानी टेल तक पहुंचाने का आश्वासन मुझे दिया गया है । बलिया जिले में शारदा नहर हमारे क्षेत्र से निकलती है जो काफी कटी फटी हुई है, अतः आपसे अनुरोध है कि कुछ तो खुदवा दीजिये । इससे कम से कम 150 गांव मालामाल हो जायेंगे । मेरे क्षेत्र में एक गांव कोइरा है । मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं और आज भी अनुरोध कर रहा हूं कि इस गांव को कटान से बचा लीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री कपिल देव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । अधिकतर लोगों का जीवन-यापन कृषि पर आधारित है और कृषि तभी विकसित हो सकती है जब सिंचाई के अच्छे साधन हों । मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि यह देश के विकास के लिए, सिंचाई के विकास के लिए सबसे उपयुक्त बजट है । यदि सामाजिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाये तो यदि सिंचाई के लिए क्षेत्र को ठीक से सिंचित कर दिया जाये तो अच्छी फसलें पैदा होंगी और लोगों का सामाजिक आर्थिक उत्थान होगा । इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूं । इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं । मऊ जनपद के समस्त नलकूप प्रायः सूखे पड़े हैं । मान्यवर, जो अरबों रुपये लगाकर के इसका निर्माण कराया गया है उसका आज भी इस समय उपयोग नहीं हो रहा है । क्योंकि किसी के पास न तो मोटर है न टंकी है न पंखा है इस तरह

से वह बिखरी पड़ी हुई हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा के अन्तर्गत एक कमल सागर गांव चलका नलकूप है इसकी रि-बोरिंग हुई है लेकिन वह एक दिन भी नहीं चला है। हमारे विधान सभा के अन्तर्गत दोहरी घाट पम्प कैनाल के समस्त माईनर पटी पड़ी हैं टेल तक पानी पहुंच नहीं सकता है, मिट्टी आकर पट गयी है और मिट्टी की झराई नहीं हो पाती है। उसकी सफाई होनी चाहिए जून के महीने में मान्यवर, दोहरीघाट के माईनर नत्थूपुर, विषहा गांव के पास पुल ध्वस्त हो गया है जिस पर मानव का चलना दुर्लभ है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर के दे दीजियेगा।

श्री कपिल देव–

वहां जो समस्त टूटे पुल हैं उनका निर्माण कराया जाये इसके साथ-साथ वहां जनसंख्या की बढ़ोत्तरी हो रही है। गांव के लोग नहरों के किनारे बसते जा रहे हैं जगह-जगह पर पुल बनना आवश्यक है। मान्यवर, फतेहपुर माइनर पर समस्त राजबाहा की पटरी क्षतिग्रस्त है। जिस कारण जनमानस को दिक्कत है उनको ठीक कराया जाये। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दो ताल हैं जिसमें हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है और जिस कारण किसान प्रभावित हैं। मान्यवर, हाहा नाला की सफाई नहीं हो पाई है वहां हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। वहां ध्यान दिया जाये। मान्यवर, इसके अलावा बैरियाडीह पुल पर पोल बनकर खड़ा है छत डालनी बाकी है उनको पूर्ण कराया जाये। हाहा नाला की सफाई करायी जाये। मान्यवर, शारदा नहर पट गयी है इसकी सफाई करायी जाये। मान्यवर, हमारे यहां की नहरों की सफाई करायी जाये और उसे ठीक कराया जाये। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उदय राज–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, 10 वीं पंचवर्षीय योजना में माननीय सिंचाई मंत्री जी के द्वारा जो बजट रखा गया है और उसमें मा० बाजपेयी जी के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके पक्ष में बोलने के लिये जो आपने अवसर दिया मैं उसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, बजट भाषण में चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो चाहे वह बुन्देलखण्ड रहा हो सारे उत्तर प्रदेश में सिंचन क्षमता बढ़ाने की बात कही है। मान्यवर, अगर सच्चाई उठाकर देखी जाये तो आज उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि जो सिंचित होती है वह उतनी नहीं हो रही है। आज से 50 साल पहले जिन नहरों का निर्माण हुआ था वह नहरे कट चुकी हैं और उससे जनता प्रभावित है (व्यवधान) मंत्री जी इस बारे में स्वयं बतायेंगे कि कितनी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया है। क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक भी नई परियोजना की स्वीकृति मंत्री जी द्वारा दी गयी है। मान्यवर, मंत्री जी के द्वारा अगर किसानों की तरफ ध्यान देने का काम किया गया होता तो निश्चित रूप से प्रगति दिखाई देती। मान्यवर, मध्य उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं किया गया है। इनके विभाग में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, नहरों की सफाई के लिए जो पैसा आ रहा है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने का काम कर लें तो सुधार हो सकता है। शारदा नहर प्रणाली के लिए मार्च तक माननीय मंत्री जी ने 50 करोड़ 33 लाख खर्च करने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि उस नहर से हरदोई ब्रांच और पुरवा

ब्रांच निकलती है। स्वामी प्रसाद मौर्या जी बैठे हैं शायद उनके क्षेत्र में भी पुरवा ब्रांच गयी हो। जहां एक तरफ आप टेल तक पानी देने की बात कहते हैं, स्वामी प्रसाद जी से पूछ लीजिये पुरवा ब्रांच से क्या उनके यहां टेल तक पानी जाता है ? इसमें जितने क्यूसेक पानी की आवश्यकता है उतना दिया जाये। माननीय मंत्री जी मेरे यहां हरदोई ब्रांच कई बार फट चुकी है उसको आप दिखवायें और नहर की सफाई कराने का काम करें तभी इस पर सुधार हो सकता है। इसके साथ ही बाज़पेयी जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, 2-3 सुझाव देना चाहता हूं एक तो शारदा नहर परियोजना है वह हमारे जिले में बस्ती से होते हुए संत कबीर नगर तक जाती है मेरा सुझाव यह है कि इसका आफिस आधा बलरामपुर में आधा गोण्ड़ा में आधा बस्ती में है अगर कोई जरूरत पड़ जाये तो कम से कम इतनी बड़ी परियोजना हमारे क्षेत्र में जाती है। इसको बलरामपुर से अलग करके वहां दफ्तर रखिये लेकिन बस्ती और सिद्धार्थनगर में जो दफ्तर हैं उसे बस्ती से आप सम्बद्ध कर दें ये सुझाव हैं यह जनहित में हैं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राप्ती नदी में दो बड़े गांव माली मैनहा और तिघरा का कटान हो जाता है यह 10,000 की आबादी के गांव हैं रात में मेरे पास माली मैनहा से टेलीफोन आया कि राप्ती पूरी तरह से काट रही है, मान्यवर, मैंने पत्र लिखकर भिजवाया है आप जब जवाब दें तो इसके बारे में कुछ घोषणा अवश्य करें। तीसरी बात सरयू नहर के पानी की निकासी के नाम पर दो ड्रेनों की खुदाई हुई है। मान्यवर, 30 ड्रेन को लिखकर दिखाया गया है लेकिन मौके पर ड्रेन नहीं है। आप एक-एक ड्रेन की जांच करा लें। उनका इरादा था कि बरसात होगी और पानी से पट जायेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जायेगा लेकिन पानी बरसा नहीं इसलिए मेरी मांग है कि कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उसकी जांच करा लें तो स्थिति साफ हो जायेगी इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं स्वयं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उप नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं यह विचार कर लिया जाये कि ढाई घंटे चर्चा चल चुकी है, कितनी देर और चलाना है। इसलिए आप यह बतायें कि कब तक यह चर्चा चलनी चाहिए ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सिंचाई से ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग प्रदेश के लिये कोई नहीं हो सकता, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समय चाहे जितना कम कर दें लेकिन अधिक से अधिक सदस्यों की बातों को हो जाने दीजिए। अभी मान्यवर, बहुत से सदस्य बाकी हैं। अभी तो किसी महिला सदस्य को अवसर नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता–

उपनेता, प्रतिपक्ष ने एक बात रखी है। मैं समझता हूं कि वह बात आप स्वीकार करें अन्यथा ऐसे आप बोलेंगे तो सब उठकर खड़े हो जायेंगे, सब बोलेंगे और कोई नहीं सुन पायेगा। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि कितने बजे तक इसको चलायेंगे, बजट अभी कई हैं सबको पास करना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 4 बजे तक ।

श्री दद्दू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इस लोक कल्याणकारी किसान हितकर विभाग का कारोबार संभाला है और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, निश्चित रूप से उसके गुणात्मक परिणाम सामने आये हैं । सिंर्फ सफाई के मामले में जो पांच वर्ष पहले घोटाले हो जाते थे बड़े-बड़े घपले हो जाते थे, पता नहीं चलता था कि पैसा कहां गया । जिस तरह से प्रदेश से मानीटरिंग की गयी है और प्रत्येक प्रतिनिधि से सूचना संकलित की गयी है वह पहले नहीं हुआ । मंत्री जी ने प्रत्येक जनप्रतिनिधि से प्रत्येक सदस्य से सीधे संवाद स्थापित किया उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि हुई है । हम उनकी इस कार्यशैली के लिए सदन में उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

और मान्यवर, जो वर्षों से परियोजना अधूरी पड़ी हुई थी उनको भी पूरा करने का प्रयास किया गया है, फिर भी अभी काफी अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा । मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं और बुन्देलखण्ड में सिंचाई की काफी कमी है । पहले से बेहतर हुआ है परन्तु अभी कमी है यही कारण है कि बुन्देलखण्ड में कुल बोये गये क्षेत्र का 38.69 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है । इसलिए किसानों के सामने विषम परिस्थिति खड़ी हुई है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा हूं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र और चित्रकूट क्षेत्र में कुछ परियोजनायें बनी हैं मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगाा कि मऊ क्षेत्र में मारो बांध का स्पेज रोकने के लिए एक परियोजना को स्वीकार करने का काम करें । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट)

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने के लिये समय दिये जाने का आग्रह करने पर–व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि मेरे क्षेत्र में गया नाम का गांव है, यू० पी० एस० आई० डी० सी० ने उस गांव को एक्वायर कर लिया है, वहां पर गऊघाट बनाने की वजह से काम रुका हुआ है । मेरा सुझाव है कि वहां गऊघाट की बजाय मध्य गंगा नहर की आर० सी० सी० की बन रही है, उस पर एक 6 फीट चौड़ी पुलिया बनावा दी जाय ताकि भैंसों के आने जाने का कार्य हो सके, इसके न होने से लोगों में बड़ा असंतोष है । मेरा दूसरा अनुरोध है कि बहुत सी सिंचाई की छोटी-छोटी नहरें हैं, विभाग के अधिकारी उनके लिए भी कहते हैं कि विधायक निधि से पैसा लाओ । यह बहुत अनुचित है । मेरा सुझाव है कि यदि बहुत बड़ा काम नहीं है तो उनको विभाग द्वारा अपने माध्यम से कराया जाना चाहिए ताकि

किसानों को टेल एण्ड तक पानी मिल सके । आपने मुझे सिर्फ एक मिनट दिया, इसके लिए आपका आभार और धन्यवाद ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं । माननीय अशोक बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सिंचाई विभाग प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने के लिए समय दिये जाने का अनुरोध करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बिना पुकारे जो बोलेगा, उसका नोट नहीं किया जायेगा । सबको घर जाने की जल्दी हो तो मैं सीधे कटौती के प्रस्तावक को पुकार लूं । अब 4 बजे तक का समय तय हो गया है, 2-2 मिनट सदस्य बोलेंगे तो 25–30 सदस्य बोल लेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सिंचाई विभाग किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है । किसानों की जो भी आर्थिक स्थिति की बढ़ोत्तरी हुई है, उसमें सिंचाई विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है । इसीलिए बहुत दिन से यह मांग होती रही है कि सिंचाई, कृषि और बिजली ये तीनों विभाग एक मंत्री के जिम्मे दे दिये जायें । बहुत दिन से चल रहा है । किसान से जुड़े हुए ये तीनों विभाग हैं, चाहे सिंचाई है वह भी, बिजली है वह भी और कृषि है, वह भी । जब तक तीनों का समन्वय नहीं होगा, किसानों की दशा सुधरने वाली नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहते हूँ कि यदि किसान के प्रति चिन्तित यह सरकार है और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो, जो अब तक नहीं हुआ, नए सिरे से ही सही, सिंचाई, कृषि और बिजली विभाग एक मंत्री के जिम्मे दे दिये जायें । जिससे वह तीनों विभाग का समन्वय करके किसानों की दशा को सुधार सकें । मान्यवर, नदियों का जो सवाल है, नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है । यह जो नहरों की बात की है, इस बात का आभास करें कि जो नदियां हैं जिनका जल स्तर लगातार घटता जा रहा है और जिस दिन यह बिल्कुल समाप्त होने की कगार पर होगा तो ये नदियां कैसे चलायेंगे । दूसरे नदियों की सफाई नहीं हो रही है, बहुत दिन से प्रस्ताव है कि नदियों की सफाई हो जिससे जो बाढ़ की समस्या होती है, उससे बहुत हद तक बचा जा सके क्योंकि थोड़ा सा पानी आ जाने पर वह भर जाती हैं और किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो जाती है । नहरें सिल्ट से भरी हुई हैं, उनमें थोड़ा भी पानी चलता है तो नहरें टूटने लगती हैं । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र केवल टेल पर ही नहीं आता, दोहरी घाट सहायक परियोजना की जो नहरें हैं, उनमें एक बूंद भी पानी टेल तक नहीं आया है । दूसरी बात माननीय अधिष्ठाता महोदय जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी ओर मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बाढ़ से हमारे क्षेत्र के हजारों गांव प्रभावित हो जाते हैं, कम से कम 8 जगहों पर जहां भीषण कटान होती है, हजारों लोग बेघर हो गये हैं, सैकड़ों गांव नदियों में विलीन हो गये हैं । सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि 51 लाख रुपया मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है ।

(श्री जयवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आज तक कटान के संबंध में कोई भी काम हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुआ है । सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, नहरों की सफाई नहीं हुई है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, आप का लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जयवीर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । साथ ही माननीय सिंचाई मंत्री जी, जो बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं, उन्होंने विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की एक समस्या के बारे में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । मेरा विधान सभा क्षेत्र जनपद मैनपुरी और जनपद फिरोजाबाद के मध्य आता है और फिरोजाबाद के पास सेरसागंज के आसपास का क्षेत्र आलू उत्पादन के लिए और अन्य कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है । उस क्षेत्र में पिछले 8–10 सालों से जल स्तर गिरने की बड़ी समस्या पैदा हो गयी है । मान्यवर, इसी समस्या के दृष्टिगत वर्ष 1996 में जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था उस समय उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने उस क्षेत्र के गिरते हुए जल स्तर की विकराल समस्या के दृष्टिगत, जहां रेगिस्तान बनने की स्थिति पैदा हो गयी थी, उन्होंने वहां दरिगापुर मारौल से कटैना हर्षा तक नहर खुदवाने की घोषणा की थी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नहर को शीघ्र खुदाई कराने हेतु इसी बजट के अन्दर व्यवस्था करेंगे । इसी के साथ ही मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं ।

*श्रीमती गीता सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारी तमाम परियोजनायें, तमाम नहरें जो आज भी अधूरी पड़ी हैं जैसे सरयू परियोजना जो थी आज भी बाधा का कारण बनी हुई है । मान्यवर, 20 साल पहले यह परियोजना शुरू की गयी थी उसकी खुदाई तो की जा चुकी है लेकिन पानी आज तक नहीं दिया जा सका है, जबकि नेपाल का बार्डर होने से पानी बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है और हमारे किसानों को वक्त से पानी दिया जा सकता है और हमारा पूर्वांचल उससे सुखी हो सकता है । इसी तरह मान्यवर, बलरामपुर में स्थिति भगवतपुर बांध की है जिसमे लगातार कटाव जारी है और कटते-कटते उसकी यह स्थिति आ चुकी है कि किसी भी समय सैकड़ों गांव के हजारों लोग पानी में बह सकते हैं । हम सरकार से अधिष्ठाता महोदय, आपसे यहां बैठे मीडिया से भी अनुरोध करूंगी कि जो हमारी योजनायें अधूरी हैं, परियोजनायें अधूरी पड़ी हैं, उन पर पहले ध्यान दें और सरकार का पैसा, सरकार ताकत पहले इसमें लगाये बजाय इसके कि आप रोज एक नई योजना बनायें लोगों को झूठे सपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिखायें, उसे सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हुई अपनी बात को समाप्त करती हूं।

*श्री अजीम भाई–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय अशोक बाजपेयी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी क्षेत्र की एक समस्या रखना चाहता हूं। यहां पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि मेरी समस्या को जरा ध्यान से सुन लें। फिरोजाबाद विधान सभा में सिर्फ एक हाथरस माइनर जाती है। हाथरस माइनर से सिंचाई का काम होता था, यह माइनर पिछले 10 सालों से बन्द पड़ा है। अब लोग अपने प्राइवेट ट्यूबवेल के जरिये अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर, टुण्डला और फिरोजाबाद इन तीनों क्षेत्रों में लगभग 40 कि०मी० का माइनर का एरिया है जहां पानी नहीं जाता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब यह माइनर चालू था तो फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र का जलस्तर भी ऊपर था। पिछले 10 सालों से यह माइनर बन्द पड़ा है और उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आती है। जिससे उस क्षेत्र का जलस्तर गिरता जा रहा है। मान्यवर, फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र को डार्क क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कहीं-कहीं माइनर टूट गये हैं, कहीं-कहीं अतिक्रमण भी हो रहा है। मैंने इस संबंध में एक प्रश्न भी लगाया था उसका यह जवाब आया कि वह माइनर कहीं-कहीं संकीर्ण हो गया और जब धन उपलब्ध होगा तो उसको चालू करवाने का काम किया जायेगा। एत्मादपुर, टूण्डला एवं फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्रों पर उपकार होगा यदि माननीय मंत्री जी अपनी कृपा दृष्टि रखें तो इससे काफी खेती सिंचित हो सकती है, हजारों किसान फायदा उठा सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि जो नये सदस्य आये हैं उन्हें बोलने का अवसर दें, पुराने लोग घण्टों भाषण देते हैं जबकि नये सदस्य अपनी समस्या सदन में रखते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों से भी अनुरोध है कि सदन में न बोलकर माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए, आपका काम हो जायेगा। माननीय मंत्री जी हाथरस माइनर पर कृपा कर दें। इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभार। मैं सिंचाई मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि सिंचाई से किसानों को बहुत लाभ होता है। नहरों की सिंचाई में पिछले कई वर्षों में बहुत प्रगति हुई है और बड़े नहरों में अब साल भर पानी चलता है। यह इस शासन का बहुत बड़ा कार्य है जो किसानों के हित में हुआ है। इसी तरह से नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य विगत शासन और इस शासन में जो हो रहा है यह भी बहुत बड़ा कार्य है। मान्यवर, सबसे मुख्य बात यह है कि टेल तक पानी न पहुंचने में हमारे किसान भी दोषी हैं क्योंकि वह नहर या माइनर के ऊपर बंधे लगाकर अपने खेत सींचना चाहते हैं उन्हें यह चिन्ता नहीं है कि नीचे तक किसानों को पानी मिलने की आवश्यकता है। जब तक जन सामान्य सबके लिये नहीं सोचेगा, समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र रामनगर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। रामनगर घाघरा नदी के किनारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बसा हुआ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । मान्यवर, एक-दो गांवों का कटान हो जाये तो कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर घाघरा का पानी बड़े क्षेत्र में फैल जाये, भारी नुकसान हो, खेतों का नुकसान हो तो चिन्ता जनक स्थिति है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि घाघरा के कटान के बारे में "एलगिन ब्रिज" परियोजना के नाम से प्रस्तावित है उसको स्वीकृत करायें । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हेत्मापुर एक ऐसा गांव है जहां हजारों की संख्या में कई जिलों के लोग आते हैं और नरायनदास बाबा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । प्रतिवर्ष दीवाली के दूसरे दिन वहां मेला लगता है । मान्यवर, जहां पर यह मन्दिर है वहां का क्षेत्र भी कटता जा रहा है । वहां पर कई जिलों से आदमी आते हैं इसलिए इस गांव को कटने से बचाया जाय । मान्यवर, जो एलगिन ब्रिज की योजना है उस योजना के प्रस्ताव को पारित कराया जाय ताकि बाढ़ से बचाव हो सके । इसी के साथ आपने जो बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री घूरा राम–

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी बजट रखा है उस पर बल देता हूं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग मुख्य रूप से से किसानों के साथ जुड़ा है । यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । मान्यवर, सिंचाई विभाग में पहले नलकूप आपरेटर और सींचपाल जिसको पतरौल कहते हैं वह होते थे जिनको ग्राम सभाओं के अधीन बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में लगाया गया था । यह पहले नहर विभाग के कर्मचारी थे । प्रधान के अंडर में रहकर यह ठेके और पट्टे के रूप में कार्य करते हैं जिससे यह महत्वहीन हो गये हैं । मेरा कहना है कि इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जाय और नलकूप आपरेटरों तथा सींचपालों को अपने विभाग में वापस लें । मेरे जनपद बलिया में बसनई रसड़ा ड्रेन है । इसको बड़े लोगों ने पाट दिया है जिससे पानी नहीं निकल पाता है और इसके किनारे जो गांव हैं उनकी हजारों एकड़ जमीन डूब जाती है । बाढ़ के कारण अनेक किसान भी डूब जाते हैं और फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है । मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सिधाकर घाट अरतसुआ में कटान हो रहा है जिससे पानी सैकड़ों गांव में घुस गया है जिससे हजारों एकड़ फसल डूब जाती है और लोग मर जाते हैं । इसी तरह से हमारे यहां टोंस नदी के किनारे एक ठीतागौरी गांव है जिसकी आबादी कई हजार है यह गांव नदी से कटता जा रहा है मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर ठोकर बनवाने की घोषणा माननीय मंत्री जी करें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सिधाकर घाट–पठैया एक 15 कि०मीटर लम्बा बांध है जो कट रहा है जिससे नदी के पानी के कारण हजारों हजार एकड़ किसानों की जमीन डूब जाती है और सैकड़ों गांव डूब जाते हैं । इस बांध को ठीक कराया जाय । मान्यवर, इसी तरह से मेरा निवेदन है कि पिसऊ टेल तथा गाढ़ा ड्रेन को चौड़ा करा दिया जाय ताकि पानी निकल सके और हजारों एकड़ जमीन जो जलमग्न हो जाती है और पानी में डूबने से लोग मर जाते हैं उससे बचाव हो सके । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शारदा नहर अर्ध निर्मित है इसको पूर्ण निर्मित करा दिया जाय और उसमें पानी संचालित कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री पारसनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । पानी का जीवन में बड़ा महत्व है । हमारे चिन्तकों ने कहा था कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरें मोती मानुष चून । इस देश के विकास के

लिए खेती का विकास आवश्यक है। अगर हम सर्वांगीण विकास को आधार मानें तो भी जब तक खेती का विकास नहीं होगा इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। खेती की जब तक सिंचन क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आजादी के 56 साल बाद भी सिंचाई की जो क्षमता रही हो लेकिन अगर एक महीने का सूखा पड़ जाता है तो निश्चित रूप से हम एक इंच भूमि पर फसल नहीं उगा सकते हैं। पूर्वांचल में जो नहरें हैं हमारे सिंचाई मंत्री जी पूर्वांचल के हैं हमारे यहां पश्चिम से जो नहरें निकलती हैं हमारे जौनपुर में जो हमारा जनपद है वहां रायबरेली से नहर निकलती है लेकिन टेल तक पानी सीपेज के कारण नहीं पहुंचता है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुलायम सिंह जी को जब वह मुख्य मंत्री थे तो 18 घंटे बिजली और टेल तक पानी पहुंचता था। हमारे जनपद में जो सिंचाई समस्या है वहां खण्ड 39, खण्ड 36 व खण्ड 38 प्रभावित है। एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो नहरें हैं उसमें टेल तक पानी इसलिए नहीं पहुंचता है कि ऊपर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऊपर के लोग पानी को काट लेते हैं नहरों की सफाई के नाम पर जो पैसा दिया जाता है उसमें ठेकेदार लोग जो होते हैं वह अधिकारियों के साथ मिलकर पैसा खा जाते हैं। सफाई के नाम पर लूट हो रही है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप जहां पर भी सफाई कराएं जिस नहरों या रजबहों की वहां पर जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और एस० डी० एम० सम्बन्धित राजस्व उसको जब तक प्रमाणित न कर दे कि यह सफाई हो चुकी है तब तक उसका पेमेंट न हो। हमारे यहां खण्ड 39 में पानी नहीं पहुंचता है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

टेलों तक पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था कराएं। एक बात और कहना चाहता हूं नलकूपों की दुर्दशा है उसके बारे में कहना चाहता हूं आपने इनको ग्राम पंचायतों को दे दिया पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक हालत इनकी यह है कि 100 मीटर्स नीचे तक पानी नहीं पहुंचता है और पांस के खेत ही डूबे रहते हैं। इससे एक तरफ फसल नष्ट होती है और दूसरी तरफ पानी नहीं पहुंचता है। आप नाली बनवाने का इन्तजाम करें। क्योंकि बिना इसके सिंचाई नहीं हो सकेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री पारसनाथ यादव–

ट्यूबवेल के मेंटीनेंस के पहले 4 हजार रुपये मिलते थे आपने बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिये लेकिन इसके बावजूद इनको चलाने के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो भी हमारी परियोजनाएं हैं जो भी हमारी सिंचाई की नहरें हैं उनके टेल तक पानी पहुंचाएं। जो अधूरे काम हैं उनको पूरा कराएं। यही मेरा निवेदन है। इसी के साथ मैं मा० अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अरुण वीर सिंह–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बाजपेयी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 131 फखरपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बौंडी ग्राम को घाघरा के कटान में घाघरा नदी बहुत तेजी से काट रही है। यह कहने के लिए तो एक गांव है लेकिन यह बहुत बड़ा कस्बा

हैं । पिछले वर्ष भी गोलागंज, सिलोटा, चिरवरइया घाघरा में चले गये । जहां तक हमको जानकारी है पिछले वर्ष भी यह विभाग माननीय मंत्री जी के पास था और पिछले वर्ष जब कटान हो रहा था मौके पर गये तो उस समय के मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह 28 अगस्त, 2002 को वहां गये थे । उसके बाद हमारे जिले के प्रभारी श्री रंगनाथ मिश्र भी 22 अगस्त को वहां गये थे । 2 सितम्बर को श्री अशोक कुमार, सचिव, सिंचाई ने भी वहां का दौरा किया था लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े नेताओं और अधिकारियों ने वहां जाने के बाद भी राहत के नाम पर एक पैसे की घोषणा नहीं की । यह इस समय स्थिति है कि सैकड़ों लोग बेघर हैं । उनकी जमीन कट गयी है, खाने के लिए कुछ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री अरुण वीर सिंह–

मान्यवर, दो घंटे के प्रयास के बाद तो समय मिला । अभी एक ही मिनट हुआ है । एक मिनट और दे दें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर घाघरा कटान को रोकने के लिए व्यवस्था की जाय । अभी आपने भाषण में उन्होंने कहा, कई नदियों का नाम लिया लेकिन दुर्भाग्य से घाघरा नदी आपकी उस योजना में नहीं है । (व्यवधान) देर से आयेगी, यह कहा है । वहां जितने लोगों की जोत की जितनी जमीन कटी है उनको उतनी जमीन दिये जाने की मांग सरकार से करता हूं कि उनको उतनी जमीन दी जाय । उनके घर बनवाने के लिए आज तक प्रत्येक पीड़ित परिवार को 800 रुपये दिये गये । हम मांग करते हैं कि उनको कम से कम 1-1 लाख रुपये दिये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं । मैंने शंख लाल माझी को बुला लिया है । आप कृपया बैठें ।

श्री शंख लाल माझी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलेने का अवसर दिया । मान्यवर, पूरे देश में पाई गई क्षेत्र की सिंचित क्षमता 38.66 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश में 66.85 प्रतिशत है । इस प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान सिंचाई के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है । माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में देश यह बताया कि पूरे प्रदेश को 4 क्षेत्रों में बांटा है । बुन्देलखण्ड, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र । भौगोलिक दृष्टि से पूर्व में 85.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, पश्चिमी में 79.80 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि क्षेत्र है लेकिन वास्तविक सिंचाई में यह पूर्व में 64.52 और पश्चिम में 66.86 है मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वी क्षेत्र में चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से, चाहे वह कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से, चाहे प्रस्तावित सिंचित क्षमता की दृष्टि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का 38.50 लाख हेक्टेयर और पश्चिम का 54.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 85.85 लाख हेक्टेयर है वहां सिंचाई पश्चिमी क्षेत्र के सापेक्ष में आधा है । पश्चिमी क्षेत्र की

सिंचाई के लिए सिंचाई सुविधा अधिक दी गयी है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

हमारे पूर्वी क्षेत्र में मान्यवर, हमेशा से, आज नहीं बहुत दिनों से पश्चिमी क्षेत्र से ज्यादा पूर्वी क्षेत्र में बाढ का कहर आता है इससे सात-आठ करोड़ जनता प्रभावित होती है । मैं मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि 2025 में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उस समय की आबादी के लिए सिंचाई की व्यवस्था करोड़ों लोगों को भोजन पानी की प्रतिवर्ष 6.7 करोड़ लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं सिंचाई के समुचित व्यवस्था और बगैर पूर्वांचल का विकास सम्भव नहीं हो सकता हैं, की योजना बनाई है मैं कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री शंखलाल मांझी–

मेरे क्षेत्र में 130 किलोमीटर लम्बी नहर है उसमें सात-आठ घंटे बिजली मिल रही है, (व्यवधान) पूरे क्षेत्र में सिंचाई का कार्य बाधित हो रहा है वहां कम से कम 16 घंटे बिजली दी जाये ।

(श्री शंखलाल मांझी और श्री दिनेश सिंह के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, जब लोग समाचार पत्र देखेंगे कि सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई विभाग का बजट पेश किया है, जनता की निगाह लगी होगी कि सूखे पर मंत्री जी ने कुछ रखा होगा, जिससे सूखा पीड़ित लोग अपने खेतों को पानी दे सकेंगे, अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, सूखे से बचाव कर सकेंगे, अपने जनजीवन को आगे बढ़ा सकेंगे, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं है । सिद्धार्थनगर का उल्लेख मा० मंत्री जी ने बजट भाषण में दे रखा है, मैं कटौती का प्रस्ताव नहीं लाता लेकिन यह पानी की कटौती कर रहे हैं और खेतों का पेट नहीं भर पा रहे हैं इसको नकारा नहीं जा सकता है.....

(व्यवधान)

मान्यवर, सिद्धार्थनगर में वाणगंगा नहर का उद्घाटन सम्पूर्णानन्द जी ने किया था इसमें पानी नेपाल से आता है, 6 साल पहले नेपाल ने पानी पर स्वयं बांध बांध दिया जिस कारण पानी नहीं आ पा रहा है आप नेपाल पर दबाव डालें, ताकि खेतों में सिंचाई हो सके । मान्यवर, हमारे यहां एल० वी० बंधा है इस बंधे पर एक ट्रैक्टर से 11 किलोमीटर बांध, सहायक अभियन्ता ने ट्रैक्टर लाकर बंधे को जुतवा दिया जिससे एग्जेस्टिंग प्वाइंट कम हो गया है इसमें उसने लाखों रुपया डकार लिया है इसको दिखवाने का कष्ट करें । मान्यवर, हमारे यहां जो ट्यूबवेल लगे हैं वह बिजली के अभाव में बन्द हो गये हैं, बिजली न आने के कारण सिंचाई पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री दिनेश सिंह–

महली, महसई सागर हैं जमींदारी सागर है इससे सिंचाई होती है। मान्यवर, जो महली सागर है इसके ऊपर का जो भाग फल्डस्केप जे० ई०, ए० ई० ने तोड़वा दिया इसका निर्माण नहीं कराया है, मसही सागर से आबपासी की नहर निकली है जहां महसई का मोहाना है। उस पर....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री दिनेश सिंह–

झगडिगवा नाला टूट जाने से 25 गांव भुखमरी की कगार पर हैं। इसे माननीय सिंचाई मंत्री जी बनवाने का कष्ट करें। इसी के साथ जो बडौली के पास जो एल० वी० बंधा है वहां रेगुलेटर बनवाने की योजना है उसको बनवाया जाय। वहां जलभराव से पचासों गांव की फसल हर वर्ष बरबाद होती है।

(व्यवधान)

नहीं तो बांध टूटकर सिंचाई विभाग का नुकसान करेगा। बाढ़ से बचाने के लिए बांध को बचाने का काम करें। एक नीति निर्धारित कर दीजिये कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा कायम किया जायेगा। भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में अगर आप पहल करेंगे तो आपका जय घोष होगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में अरिकपसिहवा, जो नेपाल सीमा पर है शारदा नदी की खुदाई के कारण उनकी जमीनें ले ली गयी थी वहां किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिलाया जाय। या उनकी जमीन वापस दिलायी जाय।

(श्री गंगा प्रसाद पुष्कर द्वारा बार-बार बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप बैठ जायें। मैंने पहले श्री महेन्द्र सिंह जी को अनुमति दी है। देखिये इस सदन में रोष के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पर मिलजुलकर काम होता है। खड़े होते समय जोश हो और बैठते समय मुस्कराहट हो यही रूप होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोलें। दस मिनट का समय रह गया है। जो इसमें आयेगा मैं उनको बुलवा लूंगा।

(व्यवधान)

* श्री प्रभु नारायण–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर और उस पर जो माननीय बाजपेयी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं धानापुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जहां बहुत सी नहरें हैं लेकिन सिंचाई नहीं हो पा रही है। मैंने कई बार लिखकर अवगत भी कराया था लेकिन टेल तक पानी पहुंचाने का काम नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री जी ने किसी को जिम्मेवार ठहराने का काम नहीं किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें सिंचाई विभाग, बिजली विभाग इनमें से कौन जिम्मेदार हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसी को जिम्मेवार बनाया जाय । जो किसानों की समस्याओं में अड़ंगा डालने का काम करते हैं, नहरों का पानी टेल तक नहीं पहुंचने देते हैं ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने का काम कीजिये । मान्यवर, आपने सदन में भगौली पम्प कैनाल को ठीक करवाने के लिए कहा कि दो साल में काम करायेंगे । इससे पहले भी दो साल पहले दो हजार में 16 अगस्त को शहीद स्थल पर घोषणा करने का काम किया था लेकिन कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ । आप वरिष्ठ मंत्री हैं, अगर कोई घोषणा करें और वह घोषणा पूरी न हो तो लोगों का विश्वास उठ जायेगा । मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र लेहरा की बात करना चाहूंगा वहां पर रेगुंलेटर लगाने का काम नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रभु नारायण–

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

मान्यवर, इसमें करीब 8 हजार किसान इससे पीड़ित हैं । 27 लाख रुपये इसके लिये भेजे गये थे । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इसके लिये 2 करोड़ रुपया भेजा जाय । यह कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री कालीचरण राजभर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी के बजट भाषण के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, खेती किसानी करने के लिए पानी तथा उत्तम जलवायु की आवश्यकता होती है । मान्यवर, मेरी अपने जिले गाजीपुर की एक समस्या है । मान्यवर, यह जिला पूर्वान्चल का सबसे पिछड़ा जिला है और मान्यवर, उस जिले में मेरा विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद है । मान्यवर, हमारे जिले में एक नहर जिसका नाम देवकली नहर, जहूराबाद से होकर बलिया तक जाती है । मान्यवर, विगत जून के महीने में पम्प नहर के एक ट्रान्सफार्मर जल गया था वह अभी तक बना नहीं है और मान्यवर, उसमें नियमित रूप से बिजली भी नहीं आती है । मान्यवर, बिजली न आने से और ट्रान्सफार्मर न होने से खेतों में पानी नहीं पहुंचता है । मेरा अनुरोध है कि देवकली नहर में बिजली की सही व्यवस्था करके पूरा पानी टेल तक पहुंचाया जाय । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं तथा सिंचाई मंत्री जी के बजट का प्रस्ताव करता हूं ।

श्रीमती अम्बेश कुमारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि राठ चरखारी मार्ग में पुल का शिलान्यास सन् 2001 में किया गया था । क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुल का निर्माण क्यों रोक दिया गया है और कब तक इसका निर्माण किया जायेगा ? मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चरकारी में मोदहा बांध बन गया है । जिसका पानी मोदहा विधान सभा में जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि चरखारी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए

एक लिफ्ट कैनाल की व्यवस्था करने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री सुल्तान बेग–

मान्यवर, मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरा कांवर क्षेत्र बरेली में है। मान्यवर, वहां किच्छा डैम है जो अब उत्तरांचल के अन्तर्गत है जो वहां किच्छा नहर बरेली जनपद में है बरेली जनपद में उसकी सिंचन क्षमता लगातार कम होती जा रही है लगभग 250 गांवों की उससे सिंचाई होती है सिंचन क्षमता कम होने के कारण पानी टेल पर नहीं पहुंच पा रहा है। मान्यवर, दिवना–मोहम्मदगंज मार्ग पर ग्राम कनपुर पीलाखार नदी का जबरदस्त कटान हो रहा है इसमें हमने प्रश्न किया था और आपने जवाब दिया था उसमें पैसे की व्यवस्था होते ही ठोकर लगाने की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, 10 मीटर नदी रह गयी है वहां पर कटान के कारण। मान्यवर मेरा अनुरोध है कि ग्राम कनपुर पीलाखार नदी पर पत्थर की ठोकरें लगाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें इससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। मान्यवर, ठोकरें न लगने से सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि और दिवना-मोहम्मदगंज मार्ग कटने के साथ-साथ ग्राम कनपुर, मोहम्मदगंज, श्यामापुर तथा हरदोई पूरी तरह कटकर तबाह हो जायेंगे और हजारों परिवार बेघर हो जायेंगे। मान्यवर, इसमें तीन लाख रुपये का खर्चा है। मान्यवर, ट्यूबवेल बिजली न होने के कारण फेल है और अगर बिजली नहीं मिल पा रही है तो पम्पिंग सेट की व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात कहकर कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, डमडम महाराज–

मान्यवर, मुझे आपने बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत आभारी हूं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र सिंचाई के मामले में बहुत पिछड़ा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा सिंचाई के विकास के लिए जो साधन बताये गये हैं उनका स्वागत है। मान्यवर, मेरे गरौठा समथर विधान सभा क्षेत्र सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है वहां 65 प्रतिशत क्षेत्र आज भी असिंचित है। मान्यवर, दो क्षेत्रों में विशेषकर झारखंड में एक डाल नहर बनवाने का कष्ट करें और दूसरे एक बेतवा पर डकौड़ी प्वाइंट है यहां डाल नहर बनवाने का कष्ट करें। (व्यवधान) मैं मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां नहरों की सफाई की व्यवस्था बहुत आवश्यक है राजवाहे बन्द पड़े हैं उनकी सफाई करायी जाये। छोटे-छोटे स्तर पर जो नाले हैं उन नालों पर चेक पम्प बनवाये जायें, नहरों की सफाई व्यवस्था का विस्तार किया जाये। क्योंकि इन नहरों के माध्यम से सफाई न होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता है इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) मान्यवर, ट्यूबवेल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ट्यूबवेल के बारे में अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कोई उल्लेख नहीं किया है। ट्यूबवेल की सिंचाई से छोटे-छोटे किसान अपना जीविकोपार्जन करते हैं लेकिन सन् 90 के बाद वाराणसी में एक भी नया ट्यूबवेल नहीं लगा जिससे छोटे-छोटे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल से छोटे-छोटे किसान अपनी खेती का सिंचन करके अपना जीविकोपार्जन कर

लेते थे । मान्यवर, ज्ञानपुर नहर क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां एक भी नहर नहीं है केवल ज्ञानपुर नहर की छोटी सी शाखा है और उसकी यह हालत है कि जब धान कटने का समय आता है तब उसमें पानी आता है और जब गेहूं कटने का समय आता है तब उसमें पानी आता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि जो छोटे-छोटे किसान हैं उनकी रोजी-रोटी को बहाल करते हुए पुनः ट्यूबवेलों को संचालित करने के लिए ट्यूबवेल के आपरेटरों को लगाया जाय । आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारा व्यक्त करता हूं ।

सिंचाई बजट पर चर्चा हेतु और समय बढ़ाने की मांग

(डा० अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस सदन की मर्यादा के अनुसार प्रतिपक्ष के उप नेता और माननीय मंत्री जी इन दोनों को बीच में डालकर बात की । प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 4 बजे तक इसको चला दीजिये । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दूसरे बजट पर बोल लीजियेगा । माननीय अशोक बाजपेयी जी को मैंने पुकार लिया है ।

अशोक बाजपेयी जी, आप बोलिये ।

श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, मेरे यहां सबसे ज्यादा समस्या है और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रियाज अहमद सदन त्याग कर चले गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

4 बजे तक का समय था और भी बजट बाकी हैं इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि अशोक बाजपेयी जी बोलें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक बहुत विनम्र प्रार्थना है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृपापूर्वक इतना समय दे दिया हम लोगों ने स्वतः अपनी बात नहीं रखी ताकि हमारा समय किसी और सदस्य को मिल जाय । मान्यवर, आपकी इस कृपा के लिये हम सामूहिक रूप से आपके आभारी हैं लेकिन जिन सदस्यों के यहां बाढ़ और कटान की समस्या है ।

श्री अधिष्ठाता–

फिर आपने वही कहा, आपने 4 बजे का कमिटमेन्ट किया आश्वस्त किया सदन को । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप समय न बढ़ाइये अशोक बाजपेयी जी को बोलने दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार हैं, सिंचाई मंत्री जी तैयार हैं बस आपकी कृपा की जरूरत है । मेरा अनुरोध है कि नये सदस्यों को सिर्फ दो-दो मिनट समय दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बिका जी, आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो सम्भव नहीं है ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट)

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

2-2 मिनट का समय दे दीजिए मान्यवर, इससे ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है । सकारात्मक चर्चा है मान्यवर, लोगों की समस्याएं हैं ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, अभी आपने माननीय चौधरी साहब को सुना । हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे नये सदस्य अपने विचारों को लायें । चर्चा के लिये 4 बजे तक का समय दिया गया था । समय को आधा घण्टे के लिए बढ़ा दें । लेकिन चौधरी साहब जो बोलने वालों की बाढ़ है इसको भी रोकें उसमें भी कहीं न कहीं कटान करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपसे निवेदन है कि आप पांच-सात लोगों के नाम लिखकर भेज दें सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी, मैं उन 15 लोगों को 2-2 मिनट बोलने का समय दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमारे दल से भी ।

श्री अधिष्ठाता–

उसी में आ जावेंगे ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग निर्माण कार्य (क्रमागत)

* श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बलिया जनपद के लिए अगर आप 40 लाख रुपये दे देते हैं तो नहरों की सफाई हो सकेगी । वहां एक मंदिर है जिसको देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं आज कटान के अन्तर्गत आ गया है और उसकी दीवारों कटकर गिर रही हैं । हमारे इंजीनियर ने प्रोजेक्ट बना कर भेजा है 17 लाख रुपये में तीनों मन्दिरों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रक्षा हो सकती है। बहुत प्राचीन मन्दिर है इसका अस्तित्व मिटने जा रहा है। इसलिये मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बाबा बालखण्डी मन्दिर के अस्तित्व को बचाने का कार्य करें। मान्यवर, आप अनुभवी और पुराने मंत्री हैं। बलिया अन्तिम जिला है, वहां पर आप पानी पहुंचाने में मदद करें। साथ ही वहां के इंजीनियर्स ने जो नक्शा और इस्टीमेट आपको बनाकर भेजा है, उसको पास करके सुविधा देने का काम करेंगे। इसी के साथ एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वहां 60 प्रतिशत नलकूप छोटी-छोटी खराबियों के कारण बन्द पड़े हैं। किसी का मोटर जल गया है, किसी का स्टार्टर खराब है, किसी की नाली टूटी हुई है, इनको आप विभाग की ओर से ठीक कर चालू करवाने का काम करें। मैं एक बार पुनः कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोटिशः धन्यवाद। आपने बोलने का मौका दिया। साथ ही साथ जो इम्प्रेशन लेकर मैं आज सदन से जाना चाहता था कि यहां केवल हो-हल्ला व्यवहार से बजट और विधेयक पास होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे शान्तिपूर्वक अपनी बात कहने का मौका मिला, उसके लिये भी कोटिशः धन्यवाद। आज एक ऐसे विषय पर बोलने का मौका मिला है, जिस समय दैवी आपदा है और इस विभाग का इसमें सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। मान्यवर, विभाग ने 79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा मेरे यहां सरयू पम्प कैनाल, लिफ्ट कैनाल तथा इमामगंज ब्रांच बनवाकर अभूतपूर्व काम किया है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्यूबवेल सींचपालों को विभाग में वापस लिया जाय, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

डा० पी० के० राय–

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सूखा तो एक दैवी आपदा है और बाढ़ जो आयी है, उसके लिये सीधे तौर पर मैं सरकार और शासन को आरोपित करता हूं। पिछली 20 व 22 मई को मैंने इसी सदन में सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया था कि पिछले साल जो बन्धों के स्पर और ठोकर टूट गये थे अगर उनको समय से बनाने का काम नहीं किया जायेगा तो निश्चित रूप से बंधे टूट जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया। गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल और आजमगढ़ मण्डल के अधिकारियों को मंत्री जी ने बुलाया और कहा कि भले ही काम में विलम्ब हो गया है लेकिन बन्धों को बनाने का काम किया जायेगा। लेकिन 11 जुलाई को अमवा खास बन्धा टूट गया और 50 से 60 गांवों में तबाही मच गई। आज की तारीख में लाखों लोग प्रभावित हैं, 20 हजार परिवार प्रभावित हैं। मान्यवर, जो गण्डक नदी का पानी है, माननीय मंत्री जी जानते हैं, उन्होंने गोरखपुर में खुद कहा था कि जितनी लागत से यह बंधा बनाया गया है, अगर सिक्कों से यह बनाया जाता तो बन जाता। मान्यवर, सरकार की उदासीनता के कारण रिंग बन्धा भी टूट गया। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने घाघरा, राप्ती और यमुना का नाम लिया लेकिन गण्डक का नाम कैसे भूल गये जबकि आपके वहां से बहुत ही नाजुक और करीबी रिश्ता है, बड़ा अच्छा सम्बन्ध है, लेकिन आप गण्डक को भूल गये। मान्यवर, इस बरसात के बाद गण्डक हाई लेबिल कमेटी को बुलवा करके और जो रिकमेंडेशन दी गयी है, उसके अनुसार ठोकरों को बनवाने का काम मंत्री जी करेंगे और बाढ़ से बचाने का प्रस्ताव निश्चित रूप से बजट भाषण में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ए० पी० बन्धा और जो ठोकर नं०–4 है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है उसकी पेचिंग और मरम्मत की जानी चाहिए। इसके साथ ही मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि राहत कार्य में भी अनियमितताएं हुई हैं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, अभी तीन दिन पहले रिंग बंधा टूट गया और 4-5 गांव फिर प्रभावित हो गये हैं। ऐसे ताकतवर और प्रभावी मंत्री से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे निश्चित रूप से इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवकी नन्दन–

अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं धन्यवाद करता हूं, सदन का, सदन में बैठे अपने बड़े-बुजुर्गों का, छोटों का और भाइयों का नमन करते हुए जो हमारे क्षेत्र की पीड़ा है, मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं। उसमें कौमरी रजबहा है, चार वर्षों से उसमें पानी नहीं आ रहा है, जबकि वह पक्का रजबहा है और जहां से मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र शुरू होता है, वहीं से उसमें पानी बन्द हो जाता है जिसे मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र प्रभावित होता है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें पानी आये ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ सके और मेरे किसानों का भला हो सके। इसी के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूर्णमासी देहाती–

मान्यवर, आपने मुझे डा० अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, हमारे यहां भैंसहवा से लेकर अमवाखास तक जो बांध है, उसकी हालत बड़ी ही दयनीय है। पिछली बार यहां बीराघाट ठोकर कट गया था जिससे कम से कम दो दर्जन गांव पानी में डूब गये थे। पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा था लेकिन यह क्षेत्र पानी से डूबा था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बांध को ऊंचा करा दें। दोबारा विशेष ध्यान देते हुए मैं कहूंगा कि यह जो बांध टूट गया है और बीराघाट ठोकर कट गया है तो यह वहां के कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ है क्योंकि समय रहते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, आपके माध्यम से एक और निवेदन करूंगा कि वहां पर बोल्डर लगाने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ उसकी जांच करा लें और जो इसके लिये दोषी हो, उन्हें दण्डित किया जाय। माननीय मंत्री जी ने नारायणी-गण्डक योजना को अपने भाषण में शामिल नहीं किया है मैं निवेदन करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सब दलों के माननीय प्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिया है वह प्रशंसनीय है। मान्यवर, इस समय मैं आपका ध्यान, मुख्य रिपोर्ट जो इण्डिया टुडे और आज के अमर उजाला में छपी है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, वैज्ञानिकों के आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय पर्वत पर टम्परेचर बढ़ा है, जिसके कारण से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और 15–20 साल से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान इस पर्वत पर बढ़ जायेगा और उससे पूरा हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले तबाह हो जायेंगे, तो मान्यवर, मेरा कहना है कि इस रिपोर्ट की जांच करायी जाय और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करें । मान्यवर, हमारे क्षेत्र के जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नवाब सिंह नागर–

दादरी के अन्तर्गत धूमदुजाना नाला है वह पूरी तरह से पट गया है । वहां एलीजेन्ट लेदर, क्वाता पेपर मिल और स्वर्णिमा आयल मिल इन फैक्ट्रियों की गन्दगी उसमें बहा दी जाती है जिससे नाला बन्द हो गया है मेरा अनुरोध है कि इन फैक्ट्रियों से पैसा वसूल कर नाले की सफाई कराई जाय और मान्यवर, किसानों की समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इकला रजबहा सिल्ट से भर गया है, उसकी भी सफाई की व्यवस्था की जाय । इसी के साथ मंत्री जी प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए आपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मदन चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । बड़े मेहनत के बाद अवसर मिला । सिंचाई विभाग के बजट पर माननीय बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद से आता हूं, उसका ज्यादातर हिस्सा गंगा किनारे पर है, जब गंगा में पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है और पानी फैल जाता है । यदि कोई योजना बनायें तो इससे गर्मी या सर्दी के दिनों में सिंचाई की जा सकती है । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । मान्यवर, खादर क्षेत्र में अधिकतर गरीब लोग रहते हैं उनमें सीमा विवाद है । उधर के लोग कहते हैं यह मेरी जमीन है और इधर के लोग कहते हैं यह मेरी जमीन है । इस प्रकार भयंकर सीमा विवाद है और कभी भी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है । दूसरे जो वहां पानी भर जाता है तो कोई राहत कार्य नहीं है । वहां पर आज भी आने-जाने का साधन नहीं है, पुल टूटे हुए हैं । मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें । मान्यवर, इसके अलावा एक बात यह कहना चाहता हूं कि रजबहों से सिंचाई की जाती है और उसके किनारे किसी छोटे से किसान का खेत है जब रजबहा किसी आदमी के द्वारा पतरौल की शह पर काटा गया है तो जिसने काटा उसका कुछ नहीं होता है लेकिन छोटे से किसान को प्रताड़ित किया जाता है । यह किस नियम के तहत होता है ? माननीय मंत्री जी, एक हमारे यहां सीजनल नहर है, बरसात में पानी आ जाता है तो उसके आसपास के गांव डूब जाते हैं । गर्मी में पानी नहीं रहता तो नहर सूखी रहती है । मान्यवर, ऐसी योजना उस क्षेत्र के लिए बनायी जाये जिससे गर्मी के दिनों में उससे सिंचाई हो सके । इसी के साथ मान्यवर, मैं माननीय बाजपेयी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महेन्द्र सिंह राजपूत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने नये सदस्य को बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । सदन में बैठे हुए अपने सभी वरिष्ठ सदस्यों का नमन करते हुए, नये सदस्यों का स्वागत करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ यमुना और चम्बल के

बीच का बीहड़ क्षेत्र है। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, दस्यु प्रभावित क्षेत्र है एवं नील गायों से प्रभावित क्षेत्र में पीड़ित किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर जो नलकूप लगे थे उनमें से 50 प्रतिशत बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं है। चम्बल लिफ्ट परियोजना के माध्यम से एक नहर बनायी गयी थी जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल यमुना के बीहड़ क्षेत्र के बीच के किसानों की जमीन उस नहर के निकालने में चली गयी थी कई वर्ष बीतने के बावजूद उस क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस नहर की क्षमता को बढ़ाने का कष्ट करें, ताकि उसका पानी केवल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र बगल में है, वहां तक आता है। मेरे क्षेत्र के सैकड़ों गांव सिंचाई से वंचित हैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस क्षेत्र के नलकूपों को सही कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। श्री लाल बहादुर यादव बोलें।

श्री महेन्द्र सिंह राजपूत–

मान्यवर, नहर की क्षमता को बढ़ाकर पानी देने का काम करें। माननीय बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री लाल बहादुर यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय डा० अशोक बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र जनपद जौनपुर का गड़वारा है। गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड–36 की नहर है, उसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि गड़वारा महराजगंज ब्लाक में खण्ड–36 की नहर में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है लेकिन सिंचाई की वसूली लगातार की जाती है। पानी अगर कभी आया है तो भयंकर बारिश हो जाने के बाद ही आया है। माननीय मंत्री जी, आप किसी माध्यम से जांच करा लें। जब इसके बारे में वहां के अधिकारियों से जानना चाहा तो उन्होंने साफ शब्दों में लिखकर दिया कि जब हमको पानी मिलता ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो पानी कैसे दे पायें। मैं आपके मांध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है। नहरों में पानी नहीं आया है और आने वाले समय में भी नहीं आयेगा इसलिए सिंचाई का पैसा किसानों से न वसूला जाय। मेरे यहां सुजानगंज ब्लाक में चांदपुर हेड से पानी खोल दिया जाता है जिससे सोनेता नाले में बाढ़ आती है और वह बह गया है। वहां पर नाले में 2 लड़कियां बह गयीं। गांव वालों ने उनको पकड़ कर निकाला। वहां पर कई इण्टर कालेज व हाई स्कूल हैं जो बाढ़ आ जाने से प्रभावित होते हैं। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह इलाका खलार है जहां पर पानी जमा हो जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय इसी के साथ मैं डा० अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामशंकर पाल–

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के बजट पर आपने बोलने के लिये अवसर दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि शारदा कैनाल योजना को शामिल करके उन्नाव, हरदोई, रायबरेली के हित का कार्य किया है। वहां पर कई माइनर ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं गया है लेकिन सिंचाई बराबर लिखी जाती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें । जिन माइनरों में पानी नहीं गया है वहां सिंचाई माफ की जाय । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बल्लापुर–मुरादाबाद ब्रांच है जिसमें 13 लाख रुपये की लागत से रपटा बनाने की योजना है । मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बजट में उस योजना को शामिल कर लें । मेरे यहां कटरी के तीन गांव खरागापुर, बैरपुरवा गंगा की कटान से प्रभावित होते हैं मैं चाहूंगा कि इनको किसी योजना में शामिल कर लिया जाय और कटान से बचाया जाय । यहां के जो निवासी हैं इनको आवासीय सुविधा दी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझको सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं डा० अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव को सुन रहा था, वह बड़ा प्रभावशाली प्रस्ताव है । मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, वह जानते हैं कि हमारा जनपद महराजगंज में हमेशा बाढ़ आती है । इस वर्ष आपकी कृपा है कि बाढ़ नहीं आयी सूखा पड़ा है । मेरा विधान सभा क्षेत्र पानी में डूब जाता है । नेता हवाई जहाज से और हेलीकाप्टर से उसका हवाई सर्वे करते हैं । हमारे यहां राप्ती नदी दूसरे नम्बर पर है जिससे बाढ़ आती है । इस नदी से संबंधित 92 स्थल चयनित किये गये हैं जिसमें से धानी–खड़खरा, करमैनी पनघटिया बंधे बाढ़ से कट जाते हैं जिससे जलप्लावन हो जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि इनको पक्का करने की स्कीम बनायी जाय । हमारे मंत्री जी योग्य मंत्रियों में है, आपकी ससुराल वहां पर है । उनकी हनक है मैं निवेदन करूंगा कि इनको पक्का करवा दें । हमारे यहां लेहड़ा–नगवा बांध है इससे बाढ़ आती है मेरा निवेदन है कि इसको ऊंचा करवा दें । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने 28 जून को मण्डल के विधायकों को बुलाया था और आदेश दिया था, सभी अधिकारियों को कि सिंचाई विभाग के जो कार्य हैं उनको क्षेत्रीय विधायकों के साथ देख लें और माननीय विधायकों को संतुष्ट करें । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कृपया ध्यान दें । वहां पर पी० सी० श्रीवास्तव जो एक्सिएन हैं आज तक उसने शक्ल नहीं दिखाई । सारा पैसा कागज पर खर्च कर दिया है । एक भी काम नहीं कराया । आप इसकी जांच करा लें । हमारे यहां जो नलकूप हैं वह खराब हैं उनको ठीक कराया जाए व नलकूप चालकों की नियुक्ति की जाए । ताकि सिंचाई का काम ज्यादा हो सके । इन शब्दों के साथ ससुराल के जिले पर विशेष कृपा करें । मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

ससुराल की बात भी करेंगे कटौती भी रखेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ससुराल वाले गाली भी देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ससुराल वाले गाली भी देते हैं और दिल से मानते भी हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने का मौका दिया । मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान जनपद बांदा में बुन्देलखण्ड पैकेज के नाम से 1,90 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे जिसमें 160 लाख रुपये गया हुआ था जिससे तिन्दवारी रजबहा सहित केन नहर की कई ब्रांचों की नहर सफाई करायी जानी थी लेकिन यह 160 लाख रुपये सफाई दिखाकर घोटाला कर दिया गया । नहरों की पटरियों में मशीनों से खुदाई के मिट्टी के ढेर कच्ची पड़ी हुई हैं कोई सही मानक के अनुसार काम नहीं किया गया है । नलकूप बन्द पड़े हैं । तमाम नहरें हैं जो बन्द पड़ी हैं । उनको पूरी क्षमता से चलवाया जाए । दौलतपुर पम्प नहर, अलोना पम्प नहर, कनवारा पम्प नहर, चिल्ला मदनपुर पम्प नहर, जौहरपुर पम्प नहर को पूरी क्षमता से चलवाया जाए पम्प नहरों हेतु अलग विद्युत फीडर बनाये जायें । राजकीय नलकूप ज्यादातर खराब रहते हैं किसान मोटर जल जाने पर जिला मुख्यालय अपने साधन से लाता है तथा ले जाता है तथा 500 रुपये से 2000 रुपये तक किसान अधिकारियों को देता है इसकी जांच कराई जाए तथा निःशुल्क खराब नलकूपों को बनवाया जाए । जनपद बांदा में यमुना नदी पर सवादा इछावर तथा नरायण भौंरा के बीच 40 क्यूसेक की लघु डाल नहर बनवायी जाए । केन नदी में अमारा पड़ोहरा के बीच बम्हन घटिया से 20 क्यूसेक की पम्प नहर बनवाई जाए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मेरे क्षेत्र सीतापुर और लखीमपुर के मध्य शारदा पोषक नहर है । पोषक का अर्थ रक्षा होता है । रक्षक जब भक्षक बन जाए तो उपाय होना चाहिए । मैंने नियम 301 में सूचना दी थी जिसमें मंत्री जी का जवाब आया था कि उस शारदा नहर पर 26.3 कि०मी० पर एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उल स्केप को उल नदी में खोला जाता है । नहर की सफाई, नाले की सफाई के नाम पर यह भी दर्शाया गया है कि उसकी क्यूसेक क्षमता 39 हजार है । 100–150 क्यूसेक पानी उल नदी में भर जाता है । 39 हजार क्यूसेक क्षमता से इतनी भयंकर बाढ़ आ जाती है कि चपरतल, चलसुआ, पलसिया, माल, चेनियां, मेवथिया आदि गांव प्रभावित होते हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस शारदा पोषक नहर को पोषक ही रहने दो भक्षक न बनाओ । 26.3 कि०मी० उल स्केप को बन्द करने का काम किया जाए । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । प्रस्तुत बजट के पक्ष पर बल देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये जो एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना टिहरी बांध की बनाई है, उस योजना को जल्दी शुरू करें जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ इन गांवों को मिल सके । मध्य गंगा नहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये है उससे किसानों का भला हो सके और उनको सिंचाई की सुविधा मिल सके । मैं इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहरों और रजबाहों का जाल है। दुर्भाग्य है कि शादाबाद में 12 रजवाहे और नहरे हैं और वह पूरी तरह से सूखी पड़ी हैं। इनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है।

(डा० शिव प्रताप यादव का नाम पुकारे जाने पर भी श्री राम प्रसाद चौधरी बोलते रहे।)

मान्यवर, मध्य गंगा नहर है वहां के अधिशासी अभियन्ता ने बहुत बड़ा घोटाला किया। 2001 में 75 लाख रुपये सरकार ने दिये थे नहरों की सफाई के लिये। लेकिन उन्होंने पूरा पैसा हजम कर लिया और कोई सफाई का काम नहीं हुआ। टेण्डर खुला था 12 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ओपन टेण्डर हुआ था लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया और 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से पेमेन्ट हुआ है। इसकी जांच माननीय मंत्री जी से करवाने का अनुरोध करता हूं। एक और घोटाला हुआ है 20 साल पहले बाढ़ आती थी। वहां पर नाला बना था। 20 साल से मेरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई। उसके लिये नाले की सफाई के लिए एक करोड़ रुपये आया था लेकिन सफाई नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं। मैंने एस० पी० सिंह यादव जी को बुला लिया है।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मैं आपके मांध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बलरामपुर जनपद के जलाशयों में सिल्टिंग की वजह से उनकी जल ग्रहण क्षमता कम हो गयी है। नहरें टूट गयी हैं, उनके पुनर्स्थापना के लिये 2001 में प्राक्कलन सिंचाई विभाग को भेजा गया है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो गयी है और सिंचाई नहीं हो पा रही है। चित्तौड़गढ़ सिंचाई परियोजना हमारे यहां है। माननीय मंत्री जी 1998 में वहां गये थे और लोकार्पण किया था। इसमें जो नहरें बनती थीं उनका टेल तक निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। इसका एक कारण यह है कि वहां जमीन के मामले में लिटिगेशन है। इसका भी एक कारण यह है कि विभाग के लोग जो मुआवजा बनाते हैं वह एक किस्म की जमीन है और उसके लिये दो तरह का मुआवजा बना देते हैं और इससे दिक्कत होती है।

(श्रीमती अरुणा तोमर का नाम पुकारे जाने पर भी डा० शिव प्रताप यादव बोलते रहे)

मान्यवर, बलरामपुर जिला में राप्ती नदी का बड़ा प्रकोप है। वहां पर राप्ती नदी के कटान को रुकवाने के लिये कार्य किये जायं। 1971 में एक परियोजना बनी थी अगर उसके अनुसार राप्ती नदी पर मकला मटरिया बांध बलरामपुर में लेते हुए बना दिया जाये तो बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, बूढ़ी राप्ती से जो कटान हो रहा है उससे बरगदहा, ललभरिया आदि कई गांव कट रहे हैं। अगर पुराने बन्धों की भी मरम्मत करा दी जाय तो बाढ़ की समस्या समाप्त हो सकती है।

भगवतपुर में राप्ती नदी से कटान हो रहा है । जलाशयों में मछली शिकार पर रोक लगा दी गयी है, लेकिन लोग हाईकोर्ट से स्टे लेकर मछली का शिकार कर रहे हैं । अभियन्ता ठेकेदार से मिलकर फाटक खोल देते हैं जिससे पानी जलाशयों से असमय बह जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्रीमती अरुणा तोम:–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं मैं कानपुर सरसौला विधान सभा क्षेत्र से आती हूं । मैं मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि उदयपुर माइनर, नकड़ा नरौला माइनर जो हैं यहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है । लोग भुखमरी से परेशान हैं लोगों की आवपासी कट रही है बिल बराबर जा रहे हैं हमारे यहां लोगों के पास ऐसे सबूत हैं कि जहां मकान बन गये हैं वहां आवपासी कटकर आयी है और लोगों ने बिल दिये हैं । रजवाहों में पानी नहीं है रजवाहों में पानी पहुंचाया जाए, सिंचाई की व्यवस्था कराई जाए । मान्यवर, जितने सरकारी ट्यूबवेल हैं वह खराब पड़े हैं उनको ठीक कराया जाए ताकि सिंचाई हो सके । जहां खराब ट्यूबवेल हैं वहां सही ट्यूबवेल लगवाए जाएं । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डा० अशोक बाजपेयी जी आपको कुछ कहना है ।

श्री छोटे लाल यादव–

एक-दो मिनट के लिये मुझे समय दे दीजिए, मैं बाराबंकी से चुनकर आया हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने बाजपेयी जी को बुला लिया है ।

श्री छोटेलाल यादव–

[× × ×]

(व्यवधान)

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

लिखा नहीं जाएगा ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री छोटेलाल यादव

[× × ×]

(व्यवधान)

[x x x]

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, भले ही उनकी मजबूरी रही हो क्योंकि उधर बैठे हैं। उन्होंने अपने भाषण में आलोचना करने के बाद भी समर्थन को जोड़ने का काम किया। लेकिन लगता यही था जिन्होंने बजट में हिस्सा लिया वे सारे लोग कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे थे यही परिलक्षित होता था। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का सर्वश्री राम करन आर्य जी, इन्द्र देव जी, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी, राम लाल अकेला जी, कौशल किशोर जी, कपिल देव सिंह जी, उदय राज जी, महेन्द्र सिंह राजपूत जी, राज लक्ष्मी वर्मा जी, पारसनाथ यादव जी, लाल बहादुर जी इत्यादि लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में बाढ़ और सिंचाई के प्रति चिन्ता व्यक्त की।

(इस समय 4 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा पीठासीन हुए।)

स्वयं माननीय मंत्री जी ने सुना होगा कि विभाग के कार्यकलापों से माननीय सदस्यगण संतुष्ट नहीं हैं। चाहे नहरों की सफाई हो, बाढ़ प्रबन्धन हो या नई परियोजनाएं इनमें जितने भी काम हुए हैं सारे लोगों की चिन्ता और जिज्ञासा थी कि जिस तरह से सिंचाई कार्य प्रभावित हुए हैं, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, माइनर की सफाई नहीं हो रही है जिसके चलते सिंचन में गिरावट आ रही है और जो कमाण्ड एंरिया है उसका पच्चीस प्रतिशत भी सिंचन नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, बाढ़ की समस्या पर सभी क्षेत्र के लोगों ने खास तौर से पूर्वांचल के सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। मान्यवर, जब पिछली बार भी बाढ़ की विभीषिका आयी थी तो उस समय भी पूर्वांचल के आठ-दस जिले प्रभावित हुए थे और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा था कि अबकी बार हम व्यवस्था करेंगे, बांधों को बना दिया जायेगा और समय रहते सारा काम पूरा कर लिया जायेगा ताकि बाढ़ में बांध टूटने न पाये और जन धन की हानि न होने पाये। लेकिन मान्यवर, आपके यह सारे वायदे खोखले रहे। मान्यवर, आज पानी नहीं बरसा है और अभी कुछ नदियों में ही पानी छोड़ा गया है उससे ही बाढ़ है। माननीय सदस्यों ने बाढ़ की चिन्ता व्यक्त की है बहुत से काम केवल आश्वासन पर ही नहीं चलते। जब तक समयबद्ध कार्यक्रम नहीं होगा, उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं होगा और जो काम हैं वह समय से पूरे नहीं होंगे तो उसमें जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उनकी इसमें जवाबदेही होनी चाहिए क्योंकि बाढ़ की विभीषिका के न जाने कितनी सम्पत्ति को बरबाद किया है और सरकार के पास सीमित संसाधन हैं इसलिए जिनका नुकसान होता है उनको पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए जो कार्यक्रम हैं उनको समय से करायें। एक सुझाव और देना चाहूंगा नहरों के सम्बन्ध में। नहरों की क्षमता सीमित है। हमारे रखाव के कारण उस क्षमता में कमी आ रही है। जितने क्षेत्र सिंचित होने थे, चाहे वह पानी की कमी के कारण हो या बिजली की कमी के कारण वह सिंचन क्षमता घटती जा रही है मान्यवर, माइनरों में सफाई नहीं होती।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जगह-जगह बंधे बना करके, पानी काट करके पानी को आगे नहीं जाने देते हैं। मान्यवर, यह लोग प्रभावशाली लोग हैं जो पानी को आगे नहीं जाने देते हैं। मान्यवर, पानी न मिल पाने से फसल का नुकसान हो जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नहरों के पानी को काटने को एक संज्ञेय अपराध मानते हुए उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। पुलिस अधीक्षक को भी यह देखना चाहिए कि यह न होने पाए, जो नहर को जबरदस्ती काटने का काम करते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। जिससे नहरों का पानी फसल तक पहुंच सके। खेतों में पानी पहुंचने से किसान लाभान्वित होंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी जो नहरों के पानी को काटने का काम करते हैं। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन की यह चिन्ता रही है कि राजकीय नलकूपों के संबंध में कोई योजना नहीं बनायी गयी। मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी जब बोलेंगे तो ऐसी कार्ययोजना बताने का जरूर काम करेंगे। जो अब तक कहा गया है केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। मान्यवर, राज्य में नलकूपों के रख-रखाव की व्यवस्था नहीं है उनको चलाने के लिए कर्मचारी नहीं हैं। विभागीय अधिकारी उदासीन हो चुके हैं। मान्यवर, इस विषय पर सरकार को कोई दूरगामी कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जरूर इस ओर ध्यान देंगे। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में विश्व बैंक से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो पैसा आता है उनके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। अरबों रुपयों का कर्ज है हम पर। जब काम पूरा हो जाता है और जब उनका मूल्यांकन किया जाता है तो परिणाम अपेक्षित नहीं मिलता है। भूमि सुधार निगम में करोड़ों रुपये का कर्ज मिला और सिंचाई विभाग में 6000 करोड़ रुपयों का ऋण मिलने जा रहा है। मान्यवर, कहीं यह पैसा अधिकारियों के दफ्तरों के रख-रखाव और एयरकंडीशन कमरे में खर्च करने में और विदेश यात्राओं पर ही न खर्च हो जाये। यह जो कर्ज मिला है इससे प्रदेश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का काम करें। इसमें ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। इस ओर हमको ध्यान देने यी आवश्यकता है। यह जो ऋण मिला है इस पर हमको ब्याज भी देना है, इसलिए इसको सही कार्य में लगाना चाहिए। मान्यवर, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बाढ़ की एक भीषण समस्या है। हमारे प्रदेश की जो नदियां हैं जो नेपाल से होकर आती हैं उनके कारण ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसके संबंध में नेपाल सरकार से बात की जाये इसके बारे में भारत सरकार से अनुरोध कर लिया जाय। अगर कोई संधि की आवश्यकता हो तो वह भी कर ली जाय। मान्यवर, जैसे भालू बांध परियोजना, जलकुण्डी परियोजना के बारे में नेपाल सरकार से बात कर ली जाय। जिससे बाढ़ की विभीषिका से होने वाली हानियों से बचा जा सके।

मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह होगा कि पूरे प्रदेश में सिंचाई विभाग के कार्यकलापों को आपने देखा है कि किस तरह से हर सदस्य अपनी जिज्ञासायें इस बजट में रखना चाहता है और चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है वह इसलिए लेना चाहता है कि वह आपके विभाग के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है। जो लोगों की अपेक्षायें हैं खरा नहीं उतरा है। इसको आप देखने का काम करें कि नहरों की सफाई कम क्यों हो रही है कच्ची नहरों में प्रति वर्ष सफाई न होने से रबी और खरीफ में पानी नहीं पहुंच सकता है। हर फसल में सफाई की जरूरत होती है 3-3 महीने में नहरों और माइनरों की सफाई नहीं होती है इसका कारण क्या है ? यह एक लोक कल्याण कार्य है और प्रदेश के गौरव, सम्मान और करोड़ों लोगों की जीविका से जुड़ा हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है इसको व्यवसायिकता के पैमाने पर नापा नहीं जा सकता कि यह ज्यादा लाभकारी नहीं हो सकती इसमें अनुरक्षण पर ज्यादा

खर्च होगा । किसानों के स्वावलम्बन के लिए उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक होगा कि इस लोक कल्याणकारी काम को अपनाया जाये और विश्व बैंक की सलाह पर इसे अतिरिक्त बोझ न मानकर इस पर सरकार की उदासीनता नहीं होनी चाहिए । नहरों का रख-रखाव और उनका संरक्षण ठीक से किया जाये । दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो आपकी योजनायें बन रही हैं, उनकी एक समय सीमा निर्धारित हों । जो परियोजनायें सातवीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना में थी और जो नवीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त होने के बाद तक अपूर्ण थीं उनको आप दसवीं योजना में कर रहे हैं । यह अब तक कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है । वर्षों तक परियोजनायें लम्बित रहने से लागत बढ़ जाती है, भूमि इत्यादि की कठिनाई बढ़ जाती है और किसानों को लाभ नहीं हो पाता । जो भी परियोजनायें लें उसमें संसाधन और समय सीमा निर्धारित कर लें । धन की उपलब्धता के अनुरूप परियोजनायें बनायी जायें । शेख चिल्ली की परियोजनायें बनाने से कोई लाभ नहीं होगा । तमाम शिलान्यास करने के बजाय जितने संसाधन हैं उनकी ही परियोजनाओं का शुभारम्भ करें और ये समय सीमा के अन्दर पूरी कर ली जायें । मान्यवर, प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि कैसे हो ? पंजाब, हरियाणा में हर खेत को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है यह देखने की बात है आपकी पार्टी का नारा था "हर खेत को पानी, हर हाथ को काम" क्या यह केवल चुनावी नारा था या वाकई उस नारे के पीछे कोई सद्भावना थी कि हर खेत को पानी पहुंचाने का संकल्प की बाबत सदन को आश्वस्त करेंगे तो अच्छा होगा । मान्यवर, जो भौगोलिक असमानता है चाहे बुन्देलखण्ड क्षेत्र हो या पूर्वी क्षेत्र हो वहां सिंचन क्षमता में कैसे वृद्धि कर सकेंगे यह देखने की बात है । मान्यवर, आपने वर्षा के जल जमाव की बात कही है वह अच्छी बात है । बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में इसका उपयोग किया जा सके, सिंचाई के कार्यों में इसका उपयोग किया जा सके तो अच्छा होगा और जो जल स्तर नीचे गिर रहा है उसमें वृद्धि होगी और सिंचन क्षमता बढ़ेगी । इसी अपेक्षा के साथ और इस सदाशयता के साथ कि सिंचाई जैसे गम्भीर विभाग की जो दिक्कतें हैं उनको आप प्राथमिकता देंगे ताकि प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो और लोक कल्याणकारी कार्य आप करेंगे । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं डा० बाजपेयी जी का, पाल जी और प्रमोद जी का और माननीय सभी उन सदस्यों का जिन्होंने भाग लिया और उन्हें भी जिन्होंने भाग नहीं लिया या भाग नहीं ले पाये सबके प्रति मैं आभारी हूं । क्योंकि सबने एक तो विश्वास व्यक्त किया, आशा व्यक्त की और निश्चित रूप कुछ अच्छे सुझाव दिये व्यवस्था को ठीक करने के जिन दुव्यर्वस्थाओं की तरफ सदन ने ध्यान आकर्षित किया है वह किसी एक विभाग की न किसी एक सरकार की न आज पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की वह कमजोरी बन गयी है और निश्चित रूप से वह व्यवस्था सभी के सहयोग और सतत प्रयास से जनहितकारी हो पायेगी । लेकिन बाजपेयी जी ने कहा कि नारों से काम नहीं चलता दुर्भाग्य यह है कि देश का कि पूरी राजनीति ही नारों से चल रही है इससे कोई अछूता नहीं है । लेकिन यह जनता के हितों का विभाग है सारी समस्याओं का समाधान उसी दिन होगा जिस दिन इस प्रदेश की देश की राजनीति यथार्थवादी हो जायेगी । लेकिन किस दिन होगा, कब होगा, कैसे होगा यह बहुत बड़ा प्रश्न है ?

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

मान्यवर, सब तो इस तरफ बैठ चुके हैं कोई ऐसा नहीं है जो इस तरफ न बैठा हो।

दूसरी बात यह है कि पूरा सदन जनता का पूर्ण विश्वास नहीं रखता ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता ने किसी को बहुमत का विश्वास नहीं दिया है। मैं खराब हो सकता हूं तो दूसरे को दे देती तो यह बात समझ में आती कि जनता इसको पसन्द करती है। हम लोग चाहे जितनी शाखा पकड़ लें किसी को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, पूर्ण विश्वास नहीं दिया है।

मान्यवर, विश्व बैंक की बात कही गयी, बिल्कुल ठीक आपने सुझाव दिया। कोई भी सहायता अगर मिलती है तो हम कितने अच्छे पात्र हैं हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं इस पर उसकी उपयोगिता निर्भर करेगी। लेकिन आज पूरी व्यवस्था ही लेन-देन की हो गयी है। एक निर्माण के लिए, विकास के लिए पूरे प्रदेश और देश के विकास के लिए और एक लेन-देन की व्यवस्था हो गयी व्यक्तिगत विकास के लिए जो बड़े लेन-देन की सार्थकता को निरर्थकता में परिवर्तित कर रही हैं। जिससे पूरा सदन इसको रोकने के लिए चिन्तित हुआ है, आज चिन्ता व्यक्त किया है। मान्यवर, आपने विश्व बैंक की बात कही है यह 3 केसेज में होगा और उसमें यह है कि प्रथम चरण का कार्य संतोषजनक होगा तभी दूसरे चरण का पैसा मिलेगा और हम लेंगे। अगर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी निकम्मी सिद्ध होती है और वह समाज के प्रति संवेदनशील नहीं है तो हम सदन को आश्वस्त कर रहे हैं कि दूसरी किश्त नहीं लेना चाहिए, वह बोझ है। जहां तक ब्याज की बात कही गयी, आश्चर्य करेंगे यह हमारे पास डेवलपमेंट क्रेडिट एग्रीमेन्ट जो विश्व बैंक से एग्रीमेन्ट हुआ है उसके सेक्शन 2.05 में लिखा है।

0.75 इंटरेस्ट पर यह पैसा मिल रहा है और इसका भुगतान 24 सालों में करना है। इस सस्ते रेट पर अपनी और केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं भी नहीं देती हैं। इसका अगर सही उपयोग करेंगे तो इससे किसानों का भाग्योदय हो जायेगा और जो सिंचाई का मामला है उसका कायापलट हो जायेगा लेकिन अगर नहीं इसका उपयोग कर पायेंगे तो यह कहीं न कहीं सबकी जिम्मेदारी है, हम सब इससे बच नहीं पायेंगे। लेकिन एक विश्वास जरूर बढ़ता है। इस पैसे का दुरुपयोग न होने पाये और कोशिश यह करेंगे कि जो काम 5 साल में होने का है वह 4 साल में हो जाय। कुछ लोगों ने कहा कि बस्ती के नजदीक पैदल पुलिया का एक अभियान हमने चलाया था आज फिर यह कर रहा हूं कि बस्ती के किनारे से अगर नहर निकलती है और वहां के लोगों को नहर के पार खेत में जाना है तो फिर एक अभियान के तहत किसी बस्ती को ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि किसी आदमी को पार करने में परेशानी हो। जहां तक पारदर्शिता की बात होगी कि नहर की सफाई में पारदर्शिता। पारदर्शिता की नीति शासन में हमने लागू की। पी० डब्लू० डी० विभाग जब हमारे पास था तब भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कितना पैसा किस मद में दिया गया यह चार्ट सभी के पास मैंने भेजा था। जब रबी की फसल आती है उससे पहले सफाई शुरू होती है और आपको फिर आश्वास्त करता हूं कि सिंचाई विभाग के प्रत्येक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को किस काम के लिए कितना पैसा दिया गया और नहर की सफाई से पहले कौन-कौन सी नहरों की सफाई की जा रही है, इसकी सूची प्रत्येक माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। यह पैसा जनता का है, हम सदस्यों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे व्यवस्था जनता के लिए है उसके हित की व्यवस्था के लिए सहयोग दें। कुछ सदस्यों ने कहा कि सफाई नहीं होती। अभी पहले यही सदन है जिसमें कि पूरे सदन ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, नहरों की सफाई की। एक बार जब फिर से मैं सबको वितरित कर दूंगा तो सब मेरी कार्य पद्धति से परिचित हो जायेंगे। एक बात आई थी टेल तक पानी नहीं पहुंचता। सूखे में तो और भी समस्या हो जायेगी। सूखे में किसान खून देकर पानी प्राप्त करने के

लिए कटिबद्ध था। उसका खेत सूख रहा है उस पर हम लाठी चलवा दें ऐसा शासन हम नहीं चलवाना चाहते और ऐसा कभी अन्याय करते हैं। नहरों की क्षमता कम हो गयी है, अगर समय-समय पर उसका मेंटीनेन्स हुआ होता तो 54 सालों में नहरों की स्थिति यह नहीं होती। पहले मोटे अनाज होते थे जिसमें कि पानी की कम आवश्यकता होती थी। अब तो धान और गन्ने का क्षेत्र इतना बढ़ा है कि दिन भर पानी चाहिए। यहां भी ताकत का तकाजा है, आगे वाला ज्यादा ले लेता है टेल वाला चिल्लाता रह जाता है, हमें पानी नहीं मिला। यह शिकायत है कि इस पर टेल तक पानी नहीं आता। क्या सूखे का असर नदियों पर नहीं पड़ता। मैं आज सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि यह बहुत चिन्ता का विषय है कि पूरे प्रदेश में 2-3 रिजर्व वायर नहीं हैं। 3-4 साल से 50 प्रतिशत से ज्यादा पानी नहीं आ रहा है, बर्फ पिघलने का क्रम भी बदल गया है। आज वर्षा के दौरान गंगा को देखिये, बाढ़ बरसात नहीं है। जब नदियों में पानी नहीं होगा, रिवर्जवायर में पानी आया नहीं, जलाशयों में पानी नहीं, जितना पानी था, वह दिया जा चुका है। आज बुन्देलखण्ड के इलाके में केवल पीने के लिये पानी बचा है, सिंचाई के लिए है ही नहीं, खरीफ की फसल के लिए, यह पूरे प्रदेश के लिए चिन्ता की बात है। जब नदियों में पानी नहीं होगा, रिवर्जवायर में पानी नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि टेल तक पानी नहीं पहुंच पायेगा, इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। जब पर्याप्त पानी रहता है तो दिया गया है। आपने अखबार की कटिंग दिखाई। मुझे तो कभी याद नहीं है कि मेरे कार्य की किसी मंत्रि-परिषद् ने समीक्षा की हो या किसी मुख्य मंत्री ने समीक्षा की हो। आपके अखबार ने कहा कि मंत्रि-परिषद् ने किसी अधिकारी को बैठा दिया, तो यह केवल पीत-पत्रकारिता हो सकती है, लोग बहुत सी चीजें छापते रहते हैं, होगा–होगा इसलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समाचार गलत है।

जहां तक आप लोगों ने नलकूप की बात कहीं, मैंने शुरू में ही अपने बजट भाषण में कहा कि मैं शुरू से सुनता रहा हूं कि आज 40 प्रतिशत बंद हैं, 50 प्रतिशत बन्द हैं, लेकिन मैंने कहा कि बहुत कम बताया, मैं 1991 से सुनता आ रहा हूं कि 50 प्रतिशत बन्द हैं, 60 प्रतिशत बन्द हैं, 80 प्रतिशत बन्द हैं यह एक सामान्य बात है, लेकिन अगर पूरी क्षमता से नलकूप चलते, तब भी कुल 5 प्रतिशत इन सरकारी नलकूपों से सिंचाई होती है। मैं जानता हूं कि सरकार की 95 प्रतिशत आलोचना नलकूपों के कारण होती है। जबकि सिंचाई इनसे केवल 5 प्रतिशत होती है, यह एक परम्परा है, क्योंकि नलकूपों की संचालन व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसे एक प्रयोग के रूप में दिया गया था और इस दृष्टि से दिया गया था कि सरकारी तंत्र ठीक तरह से नहीं चला रहा है तो उससे जो लाभ लेगा, उसी को दे दो तो ठीक से चलेगा। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि वह तो बिल्कुल नहीं चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसका बजट सिंचाई विभाग को एक सर्विस एजेन्सी के रूप में मिलता है और इस पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रह गया है। पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग को पैसा देता है और मिस्त्री के नाते विभाग मरम्मत करा देता है,जहां भी ब्लाक पर सूचना मिलती है, उसकी मरम्मत करा देता है। इस सूखे की स्थिति में मैंने कहा कि स्पेयर पार्ट्स और मोटर पार्ट्स तैयार रखो और जहां से सूचना आती है, वहां लगा दो। इसी तरह बिजली का वोल्टेज कम होने पर उसको जब चलाया जाता है तो मोटर जल जाती है, इधर मोटर जलने की घटनायें बढ़ी हैं। उसके बावजूद भी 592 नलकूपों के पुनर्निर्माण का काम लिया गया है, इसके अलावा 2550 पंपसेटों को बदलना, 3 हजार नलकूपों में जल वितरण प्रणालियों का पुनर्निर्माण, 300 किमी० जल वितरण प्रणाली का निर्माण और 50 खंडीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण, कुल मिलाकर 34 करोड़ रुपये की कार्य योजना प्रस्तावित है। लेकिन यह बात सही है कि नलकूप तब भी सरकार के नियंत्रण में जब था, तब भी और अब जब पंचायत को दे दिया गया, तो ठीक से नहीं चल रहे हैं। अब क्या व्यवस्था की जाय, अगर कोई सदस्य यह सुझाव दे

देंगे तो अच्छा होगा। आज से 3-4 साल पहले के कट मोशन को देख लें तो जैसा आज लोगों ने कहा, ठीक उसी तरह नलकूपों के बारे में लोगों की शिकायत रही है। जब विभाग के हाथ में था, तब भी और जब पंचायत के हाथ में है, तब भी खराब है। जिन लोगों ने विचार व्यक्त किया है वह यदि कोई सुझाव नई व्यवस्था का दे, तो वह भी एक प्रयोग के रूप में किया जाए। बिजली निश्चित रूप से कम मिल रही है, ट्रिप हो रही है, पम्पों की हालत यह है कि बिजली ट्रिप हो जाती है, 8 घण्टे भी कान्टीन्यू मिले तो पानी दूर तक जाये। लेकिन बिजली की कटौती और ट्रिपिंग के कारण थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक मछली मारने की बात है, तीन तरह के जलाशय हैं। एक बहुत बड़े जलाशय जो मत्स्य निगम के कन्ट्रोल में हैं, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा हूं क्योंकि मैं बार-बार सुनता आ रहा हूं कि ठेकेदार नीचे के कर्मचारी को मिलाकर पानी बहा देते हैं जिसके कारण पानी की क्षति होती है। मैं समझता हूं कि आज इस उत्तर प्रदेश के लिए एक-एक बूंद ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपेक्षा मछली के। तो जहां मध्यम और छोटे जलाशय हैं जिनमें मछली का ठेका है, उसको बन्द कर दिया जाए, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। मान्यवर, एक कुशी नगर के लोगों ने अमवा खास बन्धा की बात कही, और कोई बन्धा नहीं टूटा है। कटान तो होता ही रहता है और इन पर नेपाल से आने वाली नदियों का विशेष प्रभाव रहता है। क्या यह सही नहीं है कि अमवा खास जब कटा तब घाघरा में अब तक का सबसे ज्यादा जल था, 4 लाख क्यूसिक, लेकिन यह बन्धा कटा है जब 6 लाख क्यूसिक पानी 24 घंटे रहा है। बन्धा कटा, तीन दिन के अन्दर अन्दर रिंग बांध बनाया गया लेकिन रिंग बांध भी कट गया। मान्यवर, प्राकृतिक विपदा के आने पर कुछ नहीं किया जा सकता। मान्यवर, किसानों को मुआवजा भुगतान की बात कही गयी। 1997-98 में मैंने विभाग को आर्डर किये थे कि जो भी जमीन ले पहले भुगतान करें, लेकिन उससे पहले की तमाम योजनाओं का पैसा बाकी है, आज जो बजट है उसमें वह पैसा देने का प्रस्ताव है। मान्यवर, सभी सदस्यों ने रुचि लेकर सुझाव दिये, जहां तक निजी साधनों की बात कही, यह बात सही है कि आज भी प्रदेश का सिंचन 60–65 प्रतिशत तक निजी साधनों से है। इन वृहद् और मध्यम नहरों से सारी सिंचाई नहीं होती है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र छूटा है, जहां सिंचाई नहीं होती है। इसीलिए नए नलकूपों को लगाने की कार्यवाही पिछले कई वर्षों से शासन ने रोक दिया है। निजी क्षेत्रों में उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सकें। मान्यवर, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कारण है नेपाल की नदियों का पानी आना। उसके बारे में बार-बार आवाज उठायी जाती है कि भारत सरकार के माध्यम से इस पर बात होनी चाहिए। उसमें कौन सी कठिनाई आती है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, जहां बाढ़ से लाखों एकड़ फसल बर्बाद होती है। मान्यवर, यह पहली बार का सूखा है उसके बावजूद भी आज तक वह वर्षों पहले जहां थी वहीं पर पड़ी हुई है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नेपाल एक स्वतंत्र और सम्प्रभु राष्ट्र है, वह कोई भारत के दबाव में नहीं है। जो बातें कही गयी हैं वह परियोजनाएं कोई दो-तीन साल या चार-पांच साल की नहीं हैं। फिर भी इस पर केन्द्र सरकार ने, प्रदेश सरकार के आग्रह पर कई राउण्ड वार्ता किया उसमें तो एक सफलता भी मिली है कि दोनों के बीच एक संयुक्त समिति का गठन हुआ, स्टैंडिंग कमेटी आफ फ्लड, उसके द्वारा वह सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे और विभाग को वह सूचनाएं अब निरन्तर नेपाल से मिल रही हैं और अभी जो हाल की बैठक हुई है दोनों देशों के बीच, 6-5-2002 और 8-5-2002 के बीच हुई है इसमें प्रदेश की तरफ से केन्द्र सरकार की तरफ से निरन्तर प्रयास हो रहे हैं लेकिन वह भी एक राष्ट्र है वहां भी अपनी परिस्थितियां हैं, उसमें वह अभी सहमत नहीं हो पाये हैं लेकिन केन्द्र सरकार और प्रदेश

सरकार नेपाल के साथ निरन्तर वार्ता करने के लिए प्रयास कर रही है, यह तीसरी, चौथी बैठक थी जो दिल्ली में हुई थी। नेपाल की सहमति से ही इस समस्या का कोई हल निकलेगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

सारे नेपाल का हिस्सा, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से मिलता है और नैनीताल से लेकर के देवरिया बिहार के बार्डर तक इन सीमाओं को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक कुछ किया है, भारत सरकार तो इसमें जो कर रही है, वह ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें क्या किया है ? यह बतायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्रीमन् बीच में केन्द्र सरकार को तो रखना ही पड़ेगा। आपने बिहार की बात कही, उसका भी हम पता लगा लेंगें। मान्यवर, केन्द्र के अधिकारी लगातार नेपाल से बात कर रहे हैं और अगर कार्यालय खोलने से जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो उससे कोई लाभ मिले तो उसे भी हम खोलने के लिए तैयार हैं। इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर रहेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसी के साथ मान्यवर, इन सभी लोगों को पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं डॉ० अशोक बाजपेयी जी से कहूँगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और माननीय सदन से आग्रह करूँगा कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयीजी क्या आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सुल्तान बेग–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि किच्छा डाम व ढोड़ा डाम जो उत्तरांचल में चले गये हैं, जिनसे कावर विधान सभा, बरेली व बहेड़ी विधानसभा प्रभावित होती है, उत्तरांचल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

डॉ० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री जी से अपने उत्तर भाषण में भी यह अपेक्षा की थी कि जो निजीक्षेत्र में नलकूप लगाये जा रहे हैं उसमें कृषकों को ऊर्जीकरण में बड़ी कठिनाई हो रही है। इतना व्यवधान रहता है कि उनका ऊर्जीकरण नहीं हो पाता है। क्या सरकार निजी क्षेत्र में लगाने वाले नलकूपों के संबंध में नियमों का शिथिलीकरण करके किसानों का प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जीकरण हो, इस दिशा में कोई निर्णय लेने का कष्ट करेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह पूरी सरकार किसानों के प्रति और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति, उनकी हर कठिनाई और हर समस्या के समाधान करके उनकी खुशहाली के प्रति पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। जितना भी सम्भव हो सकेगा सुविधा दिलाने की सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूँ। ऊर्जा विभाग की क्या कठिनाई है इसको देखना पड़ेगा हम जरूर उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि जितनी उदारता बरत सकें, बरतें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डॉ० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,20,01,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निमार्ण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,71,25,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान-अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

सिंचाई गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगो पर मतदान अनुदान सं०–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्डस मंत्री (श्री अक्षयवर गौड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,31,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

संसदीय कार्य, वस्त्रउद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, आगे समाज कल्याण विभाग का बजट है । मेरा प्रस्ताव है कि इस पर विवाद न करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर कटौती का प्रस्ताव तो नहीं आ रहा है ।

(कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,31,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान सं०–41 निर्वाचन विभाग

सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा एवं राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,97,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,97,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में विकास अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 49 महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग, अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या–83 समाज क़ल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण महिला कल्याण बाल एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,09,75,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,57,26,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आश्वयक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,68,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83 समाज़ कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योज़ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,08,51,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, आप एक साथ प्रस्तुत करवा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

हाँ एक साथ प्रस्तुत कर दें।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,20,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आभारी हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का जिन्होंने आज सदन को शांति पूर्ण ढंग से चलाने का काम किया है। पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं पहली बार कैबिनेट मंत्री के रूप में आज बजट पेश कर रहा हूँ। मुझे बजट पेश करने का लोगों ने मौका दिया मैं आभार प्रकट करता हूँ। 1989 में महिला कल्याण एवं बाल कल्याण जो विभाग है, उसकी स्थापना हुई। और 1995-96 तक यह महिला कल्याण विभाग समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत था। और सन् 1995-96 में समाज कल्याण से अलग करके महिला कल्याण एवं बाल कल्याण विभाग को अलग कर दिया गया। लेकिन मैं इस बात को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यह दोनों विभाग हमारे पास हैं। दोनों विभाग के बजट को आज प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। यह दोनों विभाग के अन्तर्गत जो कार्यक्रम चलाये जाते हैं वह जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं जो विकास से कोसों दूर हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के विषय में कल्याणकारी योजनायें यह महिला कल्याण और समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। इस विभाग द्वारा जो भी योजनायें संचालित होती हैं। वह गरीबी के लिए, निरीही के लिए यहाँ तक कि लावारिस बच्चों के लिए योजनायें चलाई जाती हैं। मुझे तीन महीनों से यह विभाग मिला है इसमें मैंने देखा है और बहुत ही सफलता पूर्वक इसका मैने सर्वे भी किया है। यहाँ तक कि जो योजनायें चल रही हैं। गांवों और देहातों में वहां भी मैंने जाने का काम किया है। इनकी जो कल्याणकारी योजनायें हैं उनको सही तरीके से पहुँचाया जाय इस लिए प्रशासनिक अधिकारियों को इसके काफी निर्देश देने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमारा यह जो विभाग है। यह गरीबों के लिए विभाग है, गरीबों के लिये सोचता है, उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए जो कटिबद्ध है। उसके लिये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ सदन को निश्चित तौर पर यह जो कल्याणकारी योजनाएं हैं गरीबों तक पहुँचाने के लिए जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी मैं विभाग को चुस्त-दुरस्त करने के मकसद से काम करूँगा। महिला कल्याण के द्वारा जो हमारी योजनायें हैं उसमें पहले तो विधवा पेंशन घोषित था लेकिन विधवा के नाम से मनाही हो गई और निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की योजनायें हैं। ऐसी निराश्रित महिलाओं को विभाग पेंशन देता है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं और जिनकी मासिक आय 1 हजार रुपये से कम है, तो जो ऐसी हमारी निराश्रित महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 125 रुपये की दर से पेंशन देने का काम हमारा विभाग करता है। उत्तर प्रदेश में 4,57,994 इस समय निराश्रित पेंशनर है लेकिन खुशी की बात है और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी उन्होंने निराश्रित पेंशन के लिये 5 करोड़ रुपये अलग से बजट देने का काम किया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गई)

अम्बेडकर गांवों में चिन्हित करके अलग से पेंशन देने की व्यवस्था की गई है । यह जो फिक्स नम्बर है, यह उसके अतिरिक्त काम किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह जो आपके अनुदान 49,80,81,83 और 87 हैं, इन सभी अनुदानों पर आप प्रकाश डालें ताकि जो कटौती का प्रस्ताव रखें उनको बोलने का मौका मिले ।

डॉ० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, सबके लिये अलग-अलग कटौती है ।

श्री अधिष्ठाता–

तो ठीक है, अलग-अलग ले लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

पेंशनर के चयन की प्रक्रिया का काम ग्राम सभा को दिया गया है । ग्राम सभा की खुली बैठक में निराश्रित पेंशनर का चयन किया जाता है और फिर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला परिवीक्षा अधिकारी के पास दरख्वास्त आती है फिर फाइनल स्वीकृति होती है । हमने पारदर्शिता लाने के लिये बैंक के उनके खाते खुलवाने का काम किया है जिससे सीधे चेक का वितरण न होकर सीधे बैंक के खातों के माध्यम से भुगतान हो सके । इसकी व्यवस्था हमने की है । इसके अलावा यह भी व्यवस्था की है कि पहले काफी लम्बे समय की पेंशन रह जाती थी । पेंशनर समय से पेंशन नहीं पाते थे, इसके लिये यह व्यवस्था की है कि 6-6 माह में एकमुश्त पेंशन की धनराशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाय । महिला आश्रय योजना के अन्तर्गत वृन्दावन मथुरा में 2 महिला आश्रय खोले गये हैं । समाज से उपेक्षित जो महिलायें हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है । ऐसी महिलाओं के रहने के लिये दो महिला आश्रय सदन इधर खोले गये हैं । उसमें महिलायें निवास करती हैं और उनके रहने, खाने, बिस्तर का प्रबन्ध हमारा डिपार्टमेन्ट करता है । मान्यवर, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, उनसे पुनर्विवाह करने पर ऐसे दम्पत्ति को 11 हजार रुपये की धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाती है प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में । इसी तरह से दहेज से पीड़ित महिलायें, जिनके पति उनको छोड़ देते हैं, जो दहेज से संबंधित पीड़ित रहती हैं, उनकी एफ०आई०आर० कायम की जाती है और एफ०आई०आर० के बाद जब उनका केस कोर्ट में जाता है तो उसके आधार पर उनको 125 रुपये की दर से पेंशन दी जाती है और 2500 रुपये एक मुश्त कानूनी सहायता के रूप में दिये जाते हैं । सामान्य श्रेणी की जो लड़कियां हैं, उनके लिये भी छात्रवृत्ति का प्राविधान हमारे डिपार्टमेंट से किया गया है । इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जो लड़कियां हैं उनको 50 रुपये से लेकर 425 रुपये तक प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । इस बार से एक नई योजना हमारी सरकार ने शुरू की है । मैं पुनः सरकार की मुखिया बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक नई योजना शुरू की है । उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी निराश्रित महिलायें हैं उनकी पुत्रियां शादी के लायक हैं तो ऐसी सभी निराश्रित महिलाओं को जिनकी पुत्रियां शादी लायक हैं उनको सरकार की ओर से दस हजार रुपया देने का प्राविधान किया गया है ।

(मेजें थपथपाई गई ।)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया यह इसलिए किया गया कि जो महिलायें पीड़ित हैं जो महिलायें सताई जाती हैं, उपेक्षित होती हैं उनको स्वावलंबी बनाया जा सके। इसके लिए हमारी सरकार ने महिला आयोग के गठन का काम किया है। महिला विकास एवं सशक्तीकरण योजना है इसके तहत महिला कल्याण निगम है यह उनके स्वयं सहायता समूह गठित करके उनको छोटे-छोटे रोजगार उपलब्ध कराने का काम करता है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कराये जाते हैं। कृषि, पशुपालन मत्स्य, हथकरघा अनेक प्रशिक्षण दिये जाते हैं जिससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा सके। श्रमजीवी महिला विकास की योजना हमने चलाई है जो प्रदेश में तमाम जगहों पर चलाई है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर आदि, इसमें सस्ते दाम पर महिलाओं को आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता दिलाने का काम किया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष भारत सरकार के अधीन है इसमें समूह गठित करके उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ऋण दिलाने का काम करते हैं ताकि वह छोटे-छोटे उद्योग धन्धे चला सकें और वह स्वावलम्बी बन सकें। मान्यवर, इसी तरह से राजकीय आवासों का संचालन किया जाता है जिसमें तमाम प्रकार के आवास हैं जिसमें कोर्ट के द्वारा जो बालक-बालिकाएं 18 वर्ष से कम हैं जो ऐक्ट के तहत निरुद्ध किये जाते हैं उनको ऐसे गृहों में रखा जाता है इसके अतिरिक्त जो निरीह और बेसहारा महिलायें है उनको भी हमारे विभाग ने गृहों में रखने का काम किया है। मुफ्त में भोजन, मुफ्त में बिस्तर देने का कार्य हमारी सरकार करती है। हमारा डिपार्टमेंट गरीबों का डिपार्टमेंट है। मैंने स्वंय आश्रय गृहों में निरीक्षण किया है मुझे ताज्जुब हुआ पहली बार देखा बालक-बालिकायें अपने माता-पिता का नाम नहीं बता पाती हैं यह नहीं बता पाती हैं कि कहां की रहने वाली हैं। हमारा डिपार्टमेंट गरीबों की रखवाली करता है। गरीबों को स्वावलम्बी बनाने का काम करता है ऐसा डिपार्टमेंट है चाहे वेश्यालयों से मुक्त कराई गई महिला हो उनको सहारा देता है। तमाम गृह संचालित होते हैं। मान्यवर, अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना चलाई गई है इसमें पांच करोड़ रुपया सरकार से मिला है इसमें 33 हजार 382 पेंशन स्वीकृत की जायेंगी। यह महिला कल्याण में संचालित योजना है। इसी तरह से एक सेण्टर अलग है बाल विकास एवं पुष्टाहार। इसके अन्तर्गत उत्तर में प्रदेश आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जात हैं। इसमें 101 सदस्य होते हैं जिसमें 40 बालक होते हैं और 40 बड़े बालक होते हैं इसमें जीरो से तीन वर्ष के 40 तथा तीन से छः वर्ष के 40 बालक होते हैं। सब मिलाकर के 101 सदस्य होते हैं। 101 सदस्यों के तहत एक आंगनवाड़ी सेन्टर का निर्माण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं और भी जानकारियां देते हैं। जैसे–टीकाकरण है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। मान्यवर, भारत सरकार का यह मानना है कि भोजन तो सबको मिलता है लेकिन कहीं-कहीं जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको उतनी कैलोरी नहीं मिल पाती है जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। इधर बाल विकास पुष्टाहार के द्वारा उनको अनुपूरक पुष्टहार देने का काम विभाग ने किया है। उत्तर प्रदेश में पैंसठ हजार तीन सौ तैंतीस आंगनवाड़ी हैं और कुल 628 परियोजनायें चल रही हैं। खुशी की बात यह है कि 187 नयी परियोनायें स्वीकृत हो गयी हैं और जल्द ही यह उत्तर प्रदेश के अन्दर आ जावेंगी और हमारा विभाग इन्हें चलायेगा। इसी तरह से आई०सी०डी०एस०–111 है उसके द्वारा भी यही कार्यक्रम चलाया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि तमाम तरह के कार्यक्रम हैं एक बाल निधि है जो पैंतालिस लाख की है इसके अन्तर्गत भी यही भोजन वितरण कराने का काम करेंगे लेकिन जो अनुपूरक पुष्टाहार है उसमें चार योनजायें हैं। एक तो राज्य पोषित योजना है जिसमें 383 योजनायें हैं। इसके अन्तर्गत तीन से छः वर्ष तक के बच्चों को भोजन और गर्भदात्री महिलाओं को 70 ग्राम पंजीरी तथा दो बिस्कुट, केन्द्र सहायतित योजना इसमें 125 परियोजनायें हैं।

इसके अन्तर्गत सात से छः वर्ष तक के बचों को भोजन एवं गर्भदात्री महिलाओं को 75 ग्राम पंजीरी देने का काम किया जाता है जो कुपोषण का शिकार होते हैं उनको डबल खुराक देने का काम किया जाता है । और एक है विश्व खाद्य परियोजना है इसमें 101 हैं । इसमें सात से छः वर्ष तक के बच्चों को भोजन दिया जाता है । इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम उद्धार योजना है । इसमें 383 परियोजनायें स्वीकृत हैं इसमें तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया गया है जिसका प्राविधान सप्ताह में एक दिन शनिवार को दिया जाता है । यह महिला समाज कल्याण की संक्षिप्त रूप रेखा है । इसका बजट साहित्य सभी को दिया गया है । समाज कल्याण विभाग की रूप रेखा के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ । 1961 में इसे हरिजन सहायक विभाग के नाम से जाना जाता था । 1977-78 में इसे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया तथा 1991-92 में इसे समाज कल्याण विभाग कर दिया । क्योंकि हरिजन शब्द पर बड़ा विरोध हुआ था और हमारी पार्टी ने भी विरोध किया था इसलिए इसका नाम समाज कल्याण विभाग हो गया । इसके अन्तर्गत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जातियां तथा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं ।

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट)

मान्यवर, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं ऐसे लोगों के लिए इसमें कई तरह की योजनायें चलाई जाती हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री अधिष्ठाता महोदय, हमने आपसे पहले भी आग्रह किया था कि पहले महिला एवं बाल कल्याण पर ले आयें । इसके बाद समाज कल्याण विभाग पर । मेरा पुनः आग्रह है कि कृपया इसे स्वीकार कर लें ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, हमारा समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति की योजना भी चलाता है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है । मान्यवर, अनुसूचित जाति के बच्चों को कक्षा 5 तक 25 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है और कक्षा 6-8 तक के जो छात्र हैं उन्हें 40 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है । इसी तरह कक्षा 9 और 10 के जो छात्र हैं उन्हें 60 रुपये की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है इसी तरह इण्टर और स्नातक प्रथम तक के छात्रों को 90 रुपये की दर से और स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए 120 रुपये की दर से और स्नाकोत्तर में 190 रुपये की दर से छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है । जो विमुक्त जाति के छात्र हैं उनको धन की उपलब्धता के आधार पर दो जाती है । लेकिन जो कक्षा 8 तक के छात्र हैं उन्हें अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है । मान्यवर, उसमें आय की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है लेकिन कक्षा 9 से 10 तक के छात्र जिनके अभिभावकों की मासिक आय 2500 तक है उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जाती है । इण्टर में 49,000 तक की आय सीमा है । इसी तरह आवासीय में यह धनराशि बढ़ जाती है इसमें स्नातक में 425 की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । इंजीनियरिंग और मेडिकल में दी जाती है । व्यवसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रम में 290 की दर से दी जाती है । स्नातकोत्तर में 290 के हिसाब से दी जाती है । इस तरह मान्यवर, छात्रवृत्ति देने का प्रावधान हमारा विभाग करता है । अस्वच्छता में लगे लोगों के बच्चों को चाहे वे किसी भी जाति के हों उनको भी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है । आई०टी०आई० पाठ्यक्रम में 50 रुपये से 60 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है । मेडिकल,

इंजिनियरिंग और पशु चिकित्सा, पालीटेक्निक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारा डिपार्टमेण्ट करता है । मान्यवर, डॉ० अम्बेदकर जन शताब्दी निधी का आयोजन किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर कक्षा 10 और 12 के छात्रों को क्रमशः 100 रु० तथा 250-350 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है । मान्यवर, कई बार ऐसी घटनायें हुई हैं जिसमें छात्रों से फीस ले ली जाती हैं और बाद में फीस वापस हो जाती हैं, क्योंकि फार्म नहीं भर पाते हैं । नये शासनादेश के अनुसार प्रवेश के समय ही फार्म भरा लिया जायेगा जिससे हमारा डिपार्टमेंट उनका शुल्क और छात्रवृत्ति एक मुश्त उनको देने का काम कर सकेगा ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि तमाम शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि फर्जी विद्यालय चल रहे हैं । जो फर्जी छात्रवृत्ति लेते हैं उत्तर प्रदेश में हमने इसके सम्बन्ध में एक सघन जाँच का अभियान चलाया है और इसमें उपनिदेशक के नेतृत्व में एक समिति बना दी गयी है जो छानबीन कर रही है । उसमें यह निर्देश है कि जो फर्जी विद्यालयों ने छात्रवृत्ति ली है उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज की जाय और रिकवरी की जाय । मान्यवर, इसमें 678 विद्यालयों के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज हुई है और 87 लाख 74 हजार की रिकवरी कराई गयी है हमने इसमें कड़ाई से आदेश के अनुपालन के निर्देश दिये हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से स्पेशल कोचिंग की बात है इसमें चयनित करने के बाद 121 बच्चों का चयन होता है और उनको जो राजकीय इण्टर कालेज हैं वहां स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की जाती है और जिसमें 8 हजार वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति देने का काम हमारा विभाग करता है । इसी तरह से प्राविधिक शिक्षा की सुविधायें उसमें हमारे विभाग के अन्तर्गत दो आई०टी०आई० लखनऊ और गोरखपुर में और एक पालिटेक्निक लखनऊ में चल रहा है । जिसमें 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 15 प्रतिशत पिछड़ी जाति और 15 प्रतिशत सामान्य जाति के बच्चे प्रवेश पाते हैं । मान्यवर, हमारे विभाग के अन्तर्गत एन०जी०ओ० जो विद्यालय व पुस्तकालय व छात्रावास चलाते हैं ऐसे 570 विद्यालय हैं । अब इसमें तमाम सदस्य सुझाव देंगे कि वेतन कम मिलता है जो लोग कार्यरत हैं उसका हम बाद में जबाब देने का काम करेंगे । मान्यवर, जो इस तरह से अनुदानित विद्यालय हैं जिनको आवर्तक अनुदान मिलता है वह 578 हैं । मान्यवर, छात्रवास, शैक्षिक संगठनों के 139 चलते हैं और 83 पुस्तकालय चलते हैं जिसमें हमारा विभाग 16 करोड़ रुपये सालाना देता है । मान्यवर, आश्रम पद्धति विद्यालय हैं जिसमें अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए रहने-खाने, कपड़े आदि की सारी सुविधा दी जाती है । 38 ऐसे आश्रम पद्धति विद्यालय हैं । मैं अपनी सरकार के मुखिया को बधाई देना चाहता हूं कि वित्तीय संकट के बावजूद भी इन 38 में से 36 आश्रम पद्धति विद्यालयों को उच्चीकृत करने का फैसला किया है और इसको इण्टर तक बढ़ाने का काम किया है । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, 168 जो छात्रावास हैं उसमें विभाग द्वारा सुविधा मिलती है जिसमें महाविद्यालयों और इण्टर कालेजों के छात्र रहते हैं । यह हमारे विभाग के कार्यकलाप हैं ।

मान्यवर, इस विभाग द्वारा एक अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया है । इसके द्वारा सताये हुए अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता देने का काम विभाग करता है । विभिन्न धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमें पंजीकृत होते हैं । अनुसूचित जाति के अलावा अन्य लोगों द्वारा, उसमें 20 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रु० तक की सहायता देने का काम किया जाता है । मान्यवर, इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों की पुत्रियों की शादी और इलाज में सहायता की बात है इसमें जो गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार हैं उनके पुत्रियों की शादी के लिए इसमें 10 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । इसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, मुख्य विकास

अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और जो हमारे माननीय सांसद और सदस्यगण हैं उनकी एक कमेटी बना दी गयी है वह बैठक करने के बाद एक पात्रता सूची तय करती है उसे हमारे मा० सांसद और विधायकगण फाईनल करते हैं इस तर से उनकी शादी और बीमारी में हमारा विभाग मदद देने का काम करता है। इसी तरह मान्यवर, वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना है मान्यवर, इसके तहत 125 रुपये की दर से पेंशन देने काम हमारा डिपार्टमेंट करता है और उत्तर प्रदेश में, जिसमें 12 लाख 30 हजार 518 पेंशनर हैं इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो फैसला किया है इसमें 5 करोड़ अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इसमें जो चयन की प्रक्रिया है, पारदर्शिता रहे, इसमें तमाम प्रकरण आते हैं आरोप लगाये जाते हैं इसमें इसलिए ग्राम सभा की खुली बैठक में चयन की प्रक्रिया की गयी है कि गांव सभा चयन करे। और एक रजिस्टर बनाये जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बेसहारा हैं ऐसे व्यक्तियों की सूची गांव सभा अधिकारी तय करे और जैसे-जैसे वैकेन्सी आये खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से समाज कल्याण अधिकारी को सूचित करे ताकि वह पेंशन दे सके। शहरी क्षेत्र में जो चयन प्रक्रिया है वह सिटी मजिस्ट्रेट, परगना अधिकारी और चिकित्सा की एक कमेटी है इस कमेटी के द्वारा पेंशन स्वीकार करने का काम करता है और जिनका स्वीकृत कर देती है उनको पेंशन देने का काम हमारा डिपार्टमेन्ट करता है। उत्तर प्रदेश में तमाम शिकायतें आई कि अपात्र पेंशनर पेंशन ले रहे हैं इसके लिये अभी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है और 1983 से अपात्र पेंशनर चिन्हित किये गये हैं उनकी रिकवरी के लिये कहा गया है और सभी जिलाधिकारियों को लिख दिया गया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। यह शासनादेश जारी किया गया है इसी तरह से पारिवारिक लाभ योजना है इसमें भी हमारा डिपार्टमेन्ट जब घर का मुखिया खत्म होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको 10 हजार रुपया जिलाधिकारी की देख रेख में देने का कार्य किया जाता है। इधर नई योजना मैं बताना चाहता हूं। इधर तमाम योजनायें मैंने बताई हैं उत्तर प्रदेश में वित्तीय संकट होने के बावजूद मैंने बताया चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, अथवा विधवा पेंशन इसमें 55 करोड़ अतिरिक्त दिया गया और 36 विद्यालयों को उच्चीकृत करने का फैसला लिया गया इतना ही नहीं मुरादाबाद, कानपुर, आगरा में जो स्वच्छकार हैं जो झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं माननीय अम्बिका चौधरी की सरकार ने जिनके झाड़ू लगाने का समय चेंज किया था और इसलिए चेंज किया था वोट की राजनीति के लिए झाड़ू लगाने का समय चेंज हो जायेगा तो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन उनकी शिक्षा के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी लेकिन हमारी सरकार ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुरादाबाद, कानपुर, आगरा तीन नये आश्रम पद्धति विद्यालयों को खोलने का प्राविधान हमारी सरकार ने किया ताकि उनके बच्चे पढ़-लिखकर आगे झाड़ू लगाने का काम न करें। इसी तरह से मान्यवर, बालिकाओं के लिए 16 आश्रम पद्धति विद्यालय बनाये जायेंगे यह सरकार ने फैसला किया और बालिकाओं के लिए उत्तर प्रदेश में 15 हास्टल बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ने यह घोषणा कर दी और इसका प्राविधान भी बजट में हो चुका है। इसके द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से तमाम कार्य किये जाते हैं तमाम प्रशिक्षण दिये जाते हैं। मान्यवर, हमारे डिपार्टमेन्ट के द्वारा भिक्षक गृह, वृद्ध गृह चलाये जाते हैं जिसमें पूरा हमारा डिपार्टमेन्ट खर्च वहन करता है। हमने इधर सब कुछ कर रखा है नयी योजनाएं बताने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में इस तरह से हमारे डिपार्टमेन्ट के अन्दर अनुसूचित जाति/जनजाति संस्थान भी खुला है, वह भी चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में यह जो हमारा समाज कल्याण विभाग है उसी से अटेच है समाज कल्याण निर्माण निगम समाज कल्याण निर्माण निगम के द्वारा भी कई कंस्ट्रक्शन के काम किये जाते हैं। इसके लिए पांच करोड़ रुपया रखा गया था लेकिन उसके सापेक्ष 15 लाख इस निगम को दिया

गया है । यह निगम 15 लाख में चल पड़ा और यहां तक पहुंच गया है कि इसकी बचत 10 करोड़ 56 लाख आज के समय में हो गयी है । इस तरह से मान्यवर, इधर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी कई योजनायें चलाई जाती है जैसे सुबह बहस हुई थी महाराजगंज, लखीमपुर खीरी आदि 6 जनपद चिन्हित किये गये हैं । इसमें 6 हजार की आबादी के बच्चे हैं । उत्तर प्रदेश में इन बच्चों के लिए 9 आश्रम पद्धति विद्यालय खोले गये हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं । दो प्राइमरी पाठशालायें भी आयोजित हो रही हैं, और उनके उत्थान के लिए कई कार्यक्रम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा अनुसूचित जाति जनकल्याण के द्वारा चलाये जा रहे हैं । इस तरह से एक बहुत बढ़िया योजना हमारी सरकार ने शुरू की है कि अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं, उसके तहत विभिन्न विभागों में उनकी सहभागिता हो, उनके लिए योजनायें बनाई जायें जिससे कि उनका उत्थान हो सके । इधर हमारी सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत ट्राइबल सब प्लान में नोडल एजेंसी के रूप में समाज कल्याण विभाग को नियुक्त किया है । समाज कल्याण विभाग उसमें निश्चित करायेगा कि इनके विकास से संबंधित योजनायें जिसके द्वारा फाइनल स्वीकृति दी जायेगी और प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, नियोजन सचिव, समाज कल्याण इनकी कमेटी में प्रस्ताव स्वीकृत कर देंगे तो वित्त विभाग से बजट मिलेगा । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और वित्त विकास निगम है उसके द्वारा भी अनुसूचित जाति के बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाये जाते हैं । स्वतः रोजगार में भी ऋण देने का प्रावधान है, यह 12 से 7 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है । अनुसूचित जाति को 25 परसेंट मार्जिन मनी देते हैं और 10 हजार की छूट देने का काम करते हैं । इस तरह स्वच्छ कार्य विमुक्त योजना के तहत 50 हजार का ऋण उपलब्ध कराने का काम यह निगम करता है और नगरी क्षेत्रों में दुकान निर्माण करने का काम यह निगम करता है । 38 हजार की दुकान निर्मित होने पर 6 हजार की छूट दी जाती है । वसूली का काम भी ब्याज पर किया जाता है । कौशल वृद्धि के अन्तर्गत टाइपिंग, कम्प्यूटर, सिलाई, कढ़ाई यह तमाम प्रशिक्षण के कार्यक्रम इस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाये जाते हैं जिससे अनुसूचित जाति के बच्चे विकास कर सकें, स्वावलंबी बन सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें । इस तरह मान्यवर, एक सैनिक कल्याण विभाग है । सैनिक कल्याण विभाग की स्थापना 1993 में की गयी । इसके अन्तर्गत 65 जिलों में सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यक्रम चल रहे हैं । सरकारी-अर्द्धसरकारी तमाम जगहों पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको नौकरी देने का काम यह डिपार्टमेंट करता है । यह विभाग स्वतः रोजगार देने का काम, ऋण देने का काम भी करता है । जो नगर निगम है, नगरपालिका परिषद् के द्वारा जो जय जवान टी स्टाल है, ऐसे टी स्टाल, दुकान, फ्लाट्स, शेड हैं, यह तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनको भी चलाने का काम हमारा विभाग करता है । इसके अलावा तमाम कल्याणकारी योजनायें भी चलती हैं, जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय के जो सैनिक हैं, उनकी विधवायें हैं, उनको भी हमारा विभाग 500 रुपया प्रतिमाह की दर से पेंशन देने का काम करता है । इसके अलावा एक दातव्य निधि है, उसके माध्यम से भी इनको तमाम प्रकार की सहूलियत देने का काम विभाग करता है । इसके अलावा इन भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को इन्दिरा आवास दिलाने का काम भी जिलाधकारियों के माध्यम से हमारा विभाग करता है । जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, इन भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं में से, उनको विभाग की तरफ से आवास दिलाये जाते हैं । इसके अलावा मान्यवर, एक सैनिक और पुनर्वास निधि है, उसके द्वारा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, चिकित्सा में 40 हजार तक का अनुदान दिया जाता है, यदि 40 हजार के ऊपर का खर्च आता है तो फिर उसे केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को रिफर कर दिया जाता है, वहां से पैसा मिलने का काम होता है ।

मान्यवर, भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों की शादी के लिये 10 हजार रु० का अनुदान स्वीकृत करने का काम भी हमारा डिपार्टमेंट करता है, इसके अलावा तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारे विभाग द्वारा चलाये जाते हैं ताकि उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा सके । इसके अलावा एक पूर्व सैनिक कल्याण निगम है, जो भूतपूर्व सैनिकों को पुनः सेवा का अवसर प्रदान करने का काम करता है, चाहे विद्युत उत्पादन में हो, अग्निशमन में हो या तकनीकी ट्रेड हो, उनमें पुर्ननियोजित करने का काम करता है । मैनें इस प्रकार अपने विभाग की रूपरेखा आप लोगों के समक्ष रखी है, वैसे सभी को बजट साहित्य मिला है, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा । मुझे आशा है कि मेरे विद्वान साथी, चौधरी साहब है, माता प्रसाद पाण्डेय दिखाई नहीं दे रहे है, माननीय पाल साहब है, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी बात रखेगें, अच्छे सुझाव देगें । जो विभाग द्वारा योजनायें चलाई जा रही हैं, जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, उसकी विस्तृत जानकारी दी है, जो भी आप लोगों की ओर से सुझाव आयेगें, उन सुझावों को मैं गंभीरतापूर्वक सुनूँगा और कैसे कल्याणकारी योजनायें इस विभाग द्वारा चलाई जायें ताकि लाभार्थियों तक उसका अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, इस हेतु मैं आपके सुझावों का स्वागत करूँगा ।

श्रीमती ऊषा वर्मा–

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना बजट बिल्कुल आइने की तरह रखा है । जो मौजूदा सरकार है, वह समाज के दबे, कुचले महिलाओं-बच्चों के लिये कल्याणकारी होने की बात करके अपने मुँह मियाँ मिठ्ठू बनती आई है । इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी एक महिला है और दलित वर्ग से हैं । मेरे यह मन में है जिसे मैं कहना चाहती हूँ कि यह महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभाग है, इसलिये क्या उनकी अपने पक्ष में कोई ऐसी महिला नहीं मिली, जिसे वह महिलाओं से संबंधित विभाग को सौंपती । मेरी ही नहीं अन्य तमाम महिलाओं की सोच थी कि यह सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कुछ नई योजनायें बनायेगी और घोषणाएँ करेंगी, और मंत्री जी कुछ कारगर कदम उठायें और कुछ नई घोषणायें करेंगे, नई योजनायें बनायेंगे लेकिन मान्यवर, आपने जो बजट पेश किया उसको पढ़कर घोर निराशा हुई, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिवाय इसके कि यह कार्यपूर्ति की दिग्दर्शिका नई है या आप नये हैं । मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रदेश में वर्षों से महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए नई-नई योजनायें बनती आई हैं लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 56 वर्षों के बाद भी इनका कल्याण नहीं हो पाया है, इतना जरूर है कि विभाग से सम्बद्ध जो कर्मचारी हैं उनका कल्याण जरूर हुआ है । मान्यवर, जिसे मातृ शक्ति, देवी शक्ति के नाम से सम्बोधित किया जाता है, आज भी निरीह प्राणी की तरह है । आज भी समाज में उनकी स्थिति जीवित प्राणी की न होकर एक वस्तु की बनी हुई है, जिसमें खासकर दलित महिलायें हैं, जिनका जीवन बद से बदतर है, यहां पर महिलाओं में साक्षरता 3-4 प्रतिशत से अधिक न होगी । हर समाज में महिलायें रात-दिन कार्य करती हैं और उसके बाद भी उन्हें अपने परिवार में सूखी रोटी, सास-ससुर, पति और देवर की लात घूसे एवं गालियां ही मिलती है । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज महिलायें सुरक्षित हैं, वह घर में ही नहीं, बाजार में भी सुरक्षित है लेकिन मान्यवर, आज ही, आप अमर उजाला पेपर देखें जिसमें दिया गया है कि कानपुर में डिफेंस कालोंनी में चाकू की नोंक पर 6 वर्ष तक अपनी लड़की के साथ बलात्कार

करता रहा । तो आप देख सकते हैं कि महिलायें कितनी सुरक्षित हैं । उनका दिन-प्रतिदिन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है । आप देखें उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए 1998 में 1585, 1999 में 1598, 2000 में 1798 और 2001 में 1960, ये थानों में दर्ज कराये गये हैं । मान्यवर, जो दहेज हत्या के प्रकरण हैं 1998 में 2210, 1999 में 2065, 2000 में 2147 और 2001 में 2211 दर्ज हुए हैं । मान्यवर, तमाम योजनायें महिलाओं के कल्याण के लिए बनायी जाती हैं लेकिन उनका उत्पीड़न दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इससे पूरा सदन परिचित है । इतना ही नहीं जितनी घटनायें बलात्कार और दहेज हत्याओं की होती है वह सब थानों में दर्ज नहीं होती हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी कहती आई हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों पर सख्त कार्यवाई की जायेगी, यदि इसी तरह से कार्यवाई होगी तो यह संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुँच जायेगी । मान्यवर, आपके बजट में दहेज उत्पीड़न महिलाओं के लिए एकमुश्त 2500 रुपये देने का प्राविधान है और 125 रुपये प्रतिमाह देने का भी है, ससुराल से प्रताड़ित होने के बाद वह मायके में रहती है, जिनके परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यह जो 125 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है, इससे उनका गुजारा कैसे चलेगा, उनको मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, यदि बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण भी करना होता है । आपके बजट में 10 लाख का प्राविधान है, आप इसे बढ़ाकर 50 लाख कर दें जिससे उन्हें राहत मिलेगी । जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनका बजट में कोई, प्रावधान नहीं है । मान्यवर, हमारे समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, उन्हें हया की दृष्टि से देखा जाता है, इन विधवाओं के विवाह के लिए युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने मात्र 11 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है मैं चाहती हूं कि इसे बढ़ाकर कम से कम 20 हजार रुपये कर दिया जाय जिससे युवक प्रोत्साहित होकर आगे आयें । बहुत सी विधवायें ऐसी हैं जिनके पति की मृत्यु के बाद उनका कोई आश्रय नहीं होता और तीन-चार बच्चों का उन पर बोझ होता है, उनकी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजी-रोटी के लिए, मान्यवर, 125 रुपये प्रति माह देने का जो प्रावधान आपके बजट में किया गया है, जो इतने बच्चों के पालन-पोषण के लिए बहुत ही कम है, उनकी आँसू भरी निगाहें आपकी सरकार पर टिकी हुई हैं, तो मान्यवर, मैं चाहूंगी इस राशि को बढ़ाकर पांच गुना कर दिया जाय । मान्यवर, एक बात और है, जो विधवा पेंशन है, इसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से पात्रता का निर्धारण होता है तो पूरा सदन इस बात से वाकिफ है कि वह वोट के आधार पर होता है तो मैं चाहती हूं कि जो शत-प्रतिशत विधवा महिलायें इसकी पात्र हैं उन्हें यह अनुदान राशि मुहैया कराई जाय । आये दिन अखबारों में छपा रहता है कि फला जगह छापा पड़ा, वैश्यालय में छापा पड़ा और इतनी लड़कियां पकड़ी गईं, जो भोली-भाली लड़कियां होती हैं उन्हें बहला-फुसला कर भगा लाया जाता है और जब पुलिस द्वारा पकड़ी जाती हैं, तो लोक-लाज के डर से उनके परिवार वाले उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं चाहती हूं कि उनके लिए जो उत्तर गृह नारी निकेतन वगैरह बनाये गये हैं, अभी आपने अपने बजट में बताया, मान्यवर कई बार यह देखने में आता है कि नारी निकेतन के जो प्रबंधक हैं, जो कर्मचारी हैं, इन महलिाओं का शोषण करते हैं और उन्हें देह व्यापार करने के लिए मजबूर करते हैं, तो मान्यवर, मैं यह पूछना चाहती हूं कि इनको रोकने के लिए क्या योजना आपने अपने बजट में बनाई है । इसके अतिरिक्त जो तिरस्कृत संवासनियां हैं उनके भोजन के लिए 550 रुपये निर्धारित किया गया है । मान्यवर, इतने रुपये में दो वक्त के खाने की व्यवस्था कर पाना बहुत ही मुश्किल है । मैं चाहती हूं कि जो प्रति माह 550 रु० संवासनियों को दिया जाता है इसे बढ़ा कर 1500 रुपये कर दिया जाय । मान्यवर, स्वतः रोजगार के लिए 5000 रु० की व्यवस्था आपने बजट में किया है तो मैं यही कहूंगी कि इतनी छोटी रकम में तो कोई छोटा-मोटा रोजगार भी नहीं किया जा सकता है, तो इसको आप बढ़ाकर 25,000 रु० कर दिया जाय । मान्यवर, जैसा कि

बजट में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 10,000/ हजार रुपये का प्राविधान है तो मान्यवर, देखने आता है कि शादी से कई माह पहले आवेदन भेजने के बाद भी उन्हें समय पर राशि नहीं मिल पाती और वह किसी तरह ऋण लेकर अपनी पुत्री का विवाह करते हैं और विवाह करने के पांच-छः महीनों बाद भी उनको यह राशि नहीं मिल पाती है । तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि जो 10,000/ रुपये का अनुदान दिया जाता है उसको बड़ाकर 20 हजार रुपया कर दिया जाये । इसके अतिरिक्त जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, विमुक्ति जाति के हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपना पालन-पोषण नहीं कर सकते अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं । अभी आपने बजट में बताया कि ऐसे बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गयी है । आपने अभी बताया कि 38 राजकीय विद्यालय, 3 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित होते हैं तथा विमुक्ति जाति के बालक-बालिकाओं के लिए 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों की व्यवस्था है । इसमें दो विद्यालय इन्टर स्तर तक हैं, 2 हाई स्कूल स्तर तक है, 6 जूनियर हाईस्कूल स्तर के तथा शेष प्राथमिक स्तर के हैं । प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें कक्षा–4 तक ही पढ़ाई होती है, कक्षा–5 के लिए बच्चों को अन्य परिषदीय विद्यालयों से फार्म भराकर उनको प्रमाण-पत्र दिया जाता है । इसका जीता-जागता उदाहरण अपने जनपद के कछौना की देना चाहती हूं वहां पर आश्रम पद्धति विद्यालय है और वहां केवल 4 तक की पढ़ाई होती है । कक्षा–5 के लिए अन्य परिषदीय विद्यालयों में फार्म भरवाया जाता है । इन विद्यालयों को प्राइमरी तक स्वीकृती दी जाये । इस विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिमाह 550 रुपये उनके कपड़े, भोजन आदि के लिए दिया जाता है, 400 रुपया प्रतिवर्ष वस्त्रों के लिए दिया जाता है तथा 150 रुपये प्रति वर्ष लेखन सामग्री के लिए नियत किया गया है । मान्यवर, जो 550 रुपया बच्चों के भोजन एवं नाश्ते के लिए प्रतिमाह की धनराशि का प्राविधान किया गया है वह बहुत कम है, दो टाईम का भोजन और नाश्ता इतनी धनराशि में नहीं हो सकता है । अगर एक बच्चे को दो टाईम नाश्ता का दिया जाये तो वह 5 रुपये में मिलना मुश्किल होगा । इसलिए मैं चाहूँगी कि जो 550 रुपये की धनराशि है इसको बढ़ाया जाये । मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो आश्रम पद्धति में बालक-बालिकायें पड़ती हैं, शायद आप अवगत नहीं है कि ये बच्चे भी बालों में तेल लगाते हैं, मंजन करते हैं, अपने जूते पालिश करते हैं लेकिन इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसके लिए प्राविधान बजट में किया जाना चाहिए । मंत्री जी के बजट में पुष्टाहार की भी बात आयी । यह बताया कि 250 से 300 ग्राम कैलोरी ऊर्जा एवं 8 ग्राम प्रोटीन बच्चों के लिए तथा गर्भवती महिलाओं 500 कैलोरी ऊर्जा एवं 16 से 20 ग्राम प्रोटीन का मानक निर्धारित किया गया है । लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए बजट में मात्र एक रुपया प्रतिदिन व्यय करने का प्राविधान किया गया है । इस मंहगाई के युग में जब 3 रुपये का 50 ग्राम भुना हुआ चना मिलता है, एक रुपये पचास पैसे में एक केला मिलता है तो आप एक रुपये में कैसे बच्चों और महिलाओं को पोषित करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मैं चाहूंगी कि इस एक रुपये को बढ़ाकर 15 रुपया कर दिया जाये । अभी पुष्टाहार वितरण की बात आयी, ऑगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा पुष्टाहार वितरण किया जाता है, प्रायः देखने में आता है, दूसरे जिलों की नहीं मैं अपने जनपद-हरदोई की बात बता रही हूं जो पुष्टहार वितरित किया जाता है उसे महिलायें और बच्चे में वितरित न करके 75% दुकानों पर बेच दिया जाता है । और जो हमारे किसान भाई हैं उसकी खरीद कर चारे में मिलाकर गाय भैसों को खिलाते हैं इससे हमारी गाय भैंसे पुष्ट हो रही हैं । इसको रोकने के लिये सरकार कोई योजना बनाये । मान्यवर, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि बजट में उन बच्चों के लिये कोई खास बजट नहीं रखा गया जिनकी उम्र 6–12 साल होती है और जो बच्चे गरीब परिवार के होते हैं और अपने परिवार के पोषण के लिये दूकानों तथा होटलों पर काम करते हैं । आपको ऐसे बच्चे होटलों

पर झूठे बरतन धोते हुये मिल जायेंगे । आप मंत्री जी सदन के बाद अपने आवास पर आज जांय तो गाड़ी के शीशे नीचे करके देखें 8-10 साल के तमाम बच्चे आपको होटलों पर बरतन धोते मिल जायेगें । इनके लिये कोई योजना बनायें ताकि इन बच्चों का भविष्य संवर सके । आपकी सरकार उद्यान और पार्कों को सजाने में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है । इन पार्कों तथा उद्यानों को सजाने से काम नहीं चलेगा । यह बच्चे हमारे राष्ट्र की संपदा हैं इनका भविष्य संवार दीजिये आपको दुआ देंगे । इनका भविष्य संवारने में सरकार संवेदनहीनता का परिचय दिया है । मान्यवर, अनेक कानून बनाये जाते हैं और नयी-नयी घोषणायें की जाती हैं लेकिन क्या वजह है कि इन बच्चों का भविष्य संवर नहीं पाता । आपने जो महिलाओं और बच्चों के लिये बजट रखा है उसको बढ़ाया जाय जिससे महिलाओं और बच्चों का भविष्य संवर सके । समाज में ऐसे बालक बालिकायें हैं जिनकी आयु 8-18 साल है और उनके मां-बाप नहीं हैं, वह निराश्रित हैं । ऐसे अवैध संबंधों से पैदा हुये बच्चे जिनको उनकी मांये निर्जन स्थानों पर फेंक देती हैं ऐसे बच्चों को बचाने के लिये योजना बनायी जाय और बाल गृहों के माध्यम से ऐसे बच्चों का पोषण होना चाहिये । जो बाल गृह हैं उनकी क्षमता 50-60 की है और ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा है इसलिये मेरा सुझाव है कि बाल गृहों की विस्तार किया जाय । जो बच्चे इन बाल गृहों में रहते हैं उनके लिये 4 सौ, साढ़े चार सौ रुपये खर्च किये जाते हैं । यह प्राविधान ऊँट के मुंह में जीरा के समान है । इन बच्चों की चिकित्सा, भोजन, शिक्षा, पहनने के लिये कपड़ों के लिये यह धनराशि बढ़ाकर 15 सौ रुपये कर दिया जाय ।

श्री अंबिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम सब लोग आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि जैसा ऊषा जी ने कहा है वैसे आप मान लें तो वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगी ।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

इतनी आपकी बात मान ले रहे हैं कि मातृत्व का लाभ आपको दिया जायगा ।

श्रीमती ऊषा वर्मा–

जो गरीब बच्चे हैं, महिलाएं हैं उनके लिए अच्छी योजनायें बनाई जायें । जिससे उनका भविष्य सुधर सके । जो आपने बजट प्रस्तुत किया है उससे प्रदेश का भला नहीं हो सकता है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये कम करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं अभी समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बड़े विस्तार से अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए विभागीय योजनाओं का उल्लेख किया उसको सुना । बजट संबंधित जो साहित्य है उसका अध्ययन किया है और मंत्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है । आज माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कोई नई ऐसी घोषणा नहीं की है कि जिससे यह साबित होता कि यह सरकार दलित समाज के लिए शोषित पीड़ित समाज के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विमुक्त जाति के लिए संवेदनशील है । ऐसा इनके बजट भाषण में कहीं परिलक्षित नहीं होता है । इसका कारण है आज यह सरकार जो बसपा भाजपा की सरकार है यह गठबन्धन की सरकार है । अपने-अपने सिद्धातों से हटकर यह नापाक गठबन्धन करके सरकार बनाई है उसके द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कहीं भी समाज के गरीब और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कोई नई योजना नहीं है । यह पुरानी घिसी-पिटी योजनाओं का मंत्री जी ने जिक्र किया है । यह सभी जानते हैं कि चुनाव के पहले यह घोषणा की थी । बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि इस प्रदेश में हम अकेले अपनी सरकार बनायेंगे । भारतीय जनता पार्टी से हम समझौता नहीं करेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार दलित विरोधी सरकार है । यह सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति विरोधी सरकार है । इसीलिए इस सरकार ने नई योजना नहीं बनाई । मान्यवर, मुझे प्रसन्नता होती यदि मंत्री जी ने यह घोषणा की होती कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण की जो योजनायें हैं, उन योजनाओं में आरक्षण से लेकर अन्य योजनाओं में सबको लाभ मिलेगा । इस प्रदेश में थोड़े से लोगों को कुछ जाति विशेष के लोगों को ही उसका लाभ मिला है । इसी प्रदेश में अनुसूचित जातियों में तमाम जातियाँ हैं उनमें गरीब लोग बसते हैं उन परिवारों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है । मुझे आशा थी कि मंत्री जी घोषणा करेंगे कि अनुसूचित जाति के संबंध में भी हम क्रीमी लेयर के सिद्धान्त को लागू करेंगे । क्योंकि दबे कुचले लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला है । उनको भी लाभान्वित करेंगे । लेकिन मंत्री जी के बजट भाषण को सुनकर व साहित्य पढ़कर मुझे बड़ी निराशा हुई कि इस प्रदेश में ऐसे दबे कुचले लोगों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा । समाज कल्याण विभाग में शिक्षा का कार्यक्रम है उसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियों के छात्रों को छात्र वृत्ति देने का काम किया जाता है लेकिन मान्यवर, यह छात्र वृत्ति जो दी जाती है उसमें तमाम घपले हुए हैं जिसकी वजह से वह जिनको मिलनी चाहिए उनको छात्र वृत्ति नहीं मिल पाती है और उस पैसे का दुरुपयोग होता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस०, बैंकिंग सेवा आदि जो उच्च सेवायें हैं, उनमें इस प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और विमुक्त जातियों के लोगों को जाने का अवसर नहीं मिल पाता इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिये मण्डल स्तर पर कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए । माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जब वे कटौती के प्रस्ताव का उत्तर दें तो यह भी घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश के सभी मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेगें । अभी तक केवल लखनऊ में एक छत्रपति शाहू जी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, गोमती नगर में खोला गया है । यह प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ प्रशिक्षणार्थियों की संख्या भी बहुत है और इस प्रशिक्षण संस्थान की कुल क्षमता 300 है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि यह बहुत बड़ा प्रदेश है । इस क्षमता को बढ़ाकर 1 हजार किया जाय और हर

मण्डल स्तर पर इस तरह के शोध और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाय ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें । अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जो अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न होता है, उनको जो सहायता दी जाती है । लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रदेश में तमाम लोग ऐसे पड़े हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है, इसके लिये जिनके साथ अध्याचार हुआ है, जिनको इस समय सहायता मिलनी चाहिए उनको अभी तक सहायता नहीं मिल पाई है । कई-कई सालों के प्रकरण काफी समय से लम्बित हैं जिलों में । मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर से यह सूचना मंगवा लें कि उनके जिले में पिछले 5 सालों से कितने लोग ऐसे पीड़ित हैं, जिनको इस सहायता से लाभान्वित होना चाहिए था, धन के अभाव में अभी तक सहायता नहीं मिली है । आप सूची मंगवाकर एक महीने में जो लोग वंचित रह गये हों उनको सहायता दिलाने का काम करें । आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन किया जाता है लेकिन इनकी बड़ी दुर्दशा है । इसमें पढ़ने वाले बच्चों को भर पेट भोजन नहीं मिलता है और उनकी पढ़ाई का भी कोई सही इन्तजाम नहीं है । अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी और उनके परिवार जनों की गम्भीर बीमारी के ग्रसित होने पर उनके लिये इलाज के लिये जो अनुदान की व्यवस्था है, वह सभी जिला मुख्यालयों पर पिछले 2-2, 3-3 सालों से शादी और इलाज के प्रार्थना-पत्र पड़े हैं लेकिन उन्हें अभी तक सहायता नहीं दी गई हैं । मान्यवर, शादी की तिथि भी निकल गई, शादी हो गई और बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन उसे अनुदान नहीं मिला । इलाज के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया वर्षों तक इंतजार किया तड़पकर मरीज मर गया और घाट पर पहुँच गया लेकिन इलाज के लिए सहायता नहीं मिली, इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक जिले के ऐसे प्रकरण जो लम्बित है पिछले तीन साल के प्रार्थना-पत्रों की सूची मँगा लें जिनको अभी तक सहायता नहीं मिली है उनको सहायता दिलाने का काम करें । मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ । मान्यवर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास योजना, निगम की योजना है, स्वतः रोजगार योजना है, इसी क्षेत्र में प्रशिक्षण योजना है, यह सब केवल देखने की योजना है इसमें घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम है उसमें कार्य में गुणवत्ता नहीं है निगम घाटे में चल रहा है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि घाटा कम क्यों नहीं हो रहा है इस पर गम्भीरता से विचार करें ताकि इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके । किस तरह से निगम की कार्यप्रणाली में सुधार हो ताकि घाटा न हो करके मुनाफा हो । मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी के पास एक विवेकाधीन कोष होता है यह इसलिए होता है कि सताये हुए कमजोर लोगों को या किसी दुखी व्यक्ति कोआप देखें, कोई दर्खास्त लेकर आये तो आप उसकी सहायता कर सकें इसके लिए केवल 35 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि यह 35 हजार कुछ नहीं है, एक साल के अंदर 35 हजार रुपया ऊँट के मुंह में जीरा है इसको दस लाख रुपया किया जाये ताकि प्रदेश के दुखी लोगों की सहायता की जा सके । राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन देने की योजना है । मान्यवर, 60 से लेकर 65 साल के लोगों के लिए यह योजना है, यह ऐसा समय होता है बुढ़ापे का उस समय उनको सहारे की जरूरत होती है लेकिन मात्र 125 रुपये पेंशन उनको देने की व्यवस्था है इतनी मंहगाई के समय में यह बहुत कम है इस पेंशन की धनराशि को बढ़ाकार दुगुना कर दिया जाये । राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के जीविकोपार्जक की जब मृत्यु हो जाती है उसको दस हजार रुपया देने का प्राविधान है । लेकिन यह प्रत्येक जिले की स्थिति है कि तीन-तीन साल से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के भुगतान नहीं किये गये हैं । कलेक्टर की संस्तुति के बाद प्रार्थना-पत्र आते हैं लेकिन धन के अभाव में भुगतान नहीं हो पा रहा है । मैं मंत्री जी से अनुरोध

करूँगा कि प्रत्येक जिले से तीन साल की सूची मँगवा लें कितनों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रार्थना-पत्र लम्बित है इसकी धनराशि का प्रबन्ध करके उन लाभार्थियों को भुगतान कराने की कृपा करें। जो धनराशि का बजट में मान्यवर प्राविधान किया गया है वह बहुत कम है इसमें पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाये। मान्यवर, अनुसूचित जनजाति के संबंध में कहना चाहता हूँ इस प्रदेश में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जो इस समय थारू और भुकसा नाम की जातियां हैं यह लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बिजनौर, श्रावस्ती, गोण्डा आदि जगहों में पाई जाती हैं।

(इस समय 7 बजकर 5 मिनट)

कुछ बिखरी हुई जातियाँ हैं जिनकी संख्या, जो सामाजिक न्याय समिति ने जनसंख्या का आंकलन किया है, वह 76 हजार 64 है। मान्यवर, इसी प्रदेश में वनवासी समाज पाया जाता है जो मुसहर, वनराजा या वनमानुष के नाम से जाना जाता है। जो जंगलों में रहते हैं और उनके पास छप्पर के मकान होते हैं, उनके पास न तो जमीन होती है, न रोजी रोटी होती है और न पानी पीने के लिए कुंआ होता है। उनके पास कोई साधन नहीं है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह सभ्यता से दूर हैं। उसका कारण यह है कि वह गरीब हैं। केवल पत्तल बनाकर, लोगों को शादी ब्याह के मौके पर भण्डार के मौके पर या अन्य मौके पर पत्तल देते हैं और यही इनकी रोजी का साधन बनता है। लेकिन आपको यह जानकार आश्चर्य होगा, इसमें सारे सदन को संवेदनशील होना चाहिए, हम लोग शादी ब्याह के मौके पर खाना इन पत्तलों में खाते हैं जब खाकर उठते हैं तो उसमें जो बचा हुआ भोजन रहता है उसको लेने के लिए एक तरफ तो यह वनवासी समाज के लोग दौड़ते हैं और दूसरी तरफ कुत्ता दौड़ता है और इन दोनों में आपस में छीना झपटी होती है। यह इस भोजन को सूखाकर खाते हैं। उसमें कुपोषण होता है, बीमारी होती है। मान्यवर, गरीबी की यह हालत आजादी के इतने साल भी यह मुसहर, वन राजा और वनमानुष जाति के लोग हैं, इससे ज्यादा बदतर हालत नहीं हो सकती है , और यह जो सबसे गरीब आदमी है इसके बारे में न तो बजट साहित्य में लिखा गया है और न माननीय मंत्री जी ने उनके बारे में सोचा है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यह वन वासी समाज के लोग जिन्हें अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा जाय। जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची है उसमें क्रमांक 13 पर वन मानुष को रखा गया है और क्रमांक संख्या–55 पर मुसहर को रखा गया है। सामाजिक न्याय समिति ने जो जनसंख्या का आंकलन कराया है उसमें इनकी संख्या दो लाख इक्यासी हजार तीन सौ तिरासी है। यह उत्तर प्रदेश में झांसी मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, फैजाबाद मण्डल, गोरखपुर मण्डल, आजमढ़ मण्डल, वाराणसी मण्डल और लखनऊ मंडल में पाये जाते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें और इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दें जिससे जो अनुसूचित जनजाति के लिए उनके उत्थान के लिए जो योजनायें बनायी गयी हैं उसका लाभ इन्हें मिल सकें। मान्यवर यह नौकरी में शून्य हैं, जो कल्याणकारी योजनायें हैं उनमें शून्य हैं और यह शहरों में रहते नहीं हैं। मान्यवर, यह लोग गांवों में, जंगलों में रहते हैं। यह लोग सभ्यता से कोसों दूर रहते हैं। इस कारण से उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इन वनवासी जातियों के लोगों के लिए एक आयोग दिया जाय जो इनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान कर सके और यह आयोग तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। मान्यवर, जो जनजातियां हैं उनके बच्चों जिनमें जो बालिकायें हैं उनके लिए 2 राजकीय आश्रम पद्धति के जूनियर हाईस्कूल के विद्यालय हैं, और बालिकाओं के लिए केवल एक प्राथमिक विद्यालय है। बालिकाओं के लिए 6 राजकीय आश्रम पद्धति के

विद्यालय संचालित किये जाते हैं । जिसमें केवल जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ाने की व्यवस्था है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह आज इस सदन में यह घोषणा करें कि राजकीय आश्रम पद्धति के जो विद्यालय हैं उनका उच्चीकरण किया जायेगा और उन्हें कम से कम इण्टरमीडिएट तक किया जायेगा और प्राथमिक विद्यालयों से इण्टर तक इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, उनके लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । यह लोग कुशल कारीगर होते हैं, इसकी व्यवस्था की जाय । यह लोग शिल्प के क्षेत्र में निपुण होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम चलायें जायें जिससे इनको रोजगार मिल सके । यह अनुसूचित जनजाति के लोग अभी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं जिससे उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, विमुक्त जातियों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का शासनादेश संख्या–529/26.3.2001, 27.2.2001 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की विमुक्त जातियां घोषित की गयी हैं, उसमें क्रमांक–2 पर भर, राजभर क्रमांक–6 पर केवट, क्रमांक–7 पर मल्लाह जाति की सूची में रखा गया है । केवल मल्लाह समाज जब देश गुलाम था तो इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी और देश को आजाद कराने में उनका योगदान रहा है । भर और राजभर के लोगों ने भी लड़ाई में भाग लिया था । उनका भी देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा है । कानपुर का इतिहास बताता है कि सत्ती चौरा से बचने के लिए जब अंग्रेज इलाहाबाद के किले में अपने आपको बचाने के लिए जब यह लोग नावों से सवार होकर जा रहे थे तो मल्लाह जाति के लोगों ने बीच भंवर में ले जाकर 40 नावों को डुबो दिया था । हजारों की संख्या में अंग्रेज मारे गये थे । जिसके बाद अंग्रेजों ने, केवट मल्लाह जाति के लोगों को फांसी की सजा दिलाई थी । इन लोगों को क्रिस्टिल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था । मान्यवर, यह लोग वे हैं । आज इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । इनके पास कोई रोजी-रोजगार नहीं है । इसलिए उनकी स्थिति अनुसूचित जाति के लोगों से भी बदतर है । इसलिए मान्यवर, मैं माँग करता हूं कि उनको विमुक्त जातियों की सूची 2, 6, 7 से निकाल कर अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाया जाये । जिनसे उनका सामाजिक शैक्षिक आर्थिक उत्थान हो सके । मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री जी विमुक्त जातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक आयोग का गठन कर दें जिसको कि केवल 3 महीने का समय दें और वह योजना प्रस्तुत करें जिससे इन विमुक्त जातियों के बारे में सरकार निर्णय कर उनका उत्थान कर सकेंगे । मान्यवर, सैनिक कल्याण के संबंध में अनुरोध करना चाहूँगा कि केन्द्र में माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने देश के वर्तमान एवं भूतपूर्व सैनिक जो है उनका सम्मान किया था और कल्याणकारी योजनायें लागू की थी । मान्यवर, यह सरकार संवेदनहीन सरकार है । भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इस सरकार की कोई योजना नहीं है जिस तरह की योजनायें माननीय मुलायम सिंह जी ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू की थी उनको उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू करे जिससे उनका कल्याण हो सके इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती विद्या चौधरी–

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम सत्ता और विपक्ष के सम्मानित सदस्यगण–आप लोगों का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ मान्यवर,मुझे पहली बार सदन में समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं । मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में मेहनगर विधान सभा क्षेत्र से पहली बार चुन कर आई हूँ और यह सौभाग्य बहन मायावती जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है । (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं गरीब, दलित वर्गों के लिए, उनके विकास

और उनकी समृद्धि के लिए प्रयत्नशील हूँ और संकल्प लिये हुए हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार की मुखिया हमदर्दों की मसीहा बहन मायावती जी के निर्देशन में समाज कल्याण मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग की जो भी योजनायें और कार्यक्रम लागू किये गये हैं उसको समाज में जो दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भरपूर लाभ मिल रहा है बल्कि उससे उनका स्तर भी ऊँचा हो रहा है लेकिन यहाँ जो विपक्ष के और पक्ष के भाई बैठे हुए हैं मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी योजनायें लागू की गयी हैं उस पर निगरानी रखनी होगी और इसका लाभ दलित, गरीब, कमजोर व्यक्तियों को मिल रहा है कि नहीं। इसमें हम लोगों को प्रयत्नशील रहना होगा। मैं विपक्ष के भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि आइये हम लोग मिल-जुल कर बहन जी का सहयोग करें। (सत्ता पक्ष की और से मेजों की थपथपाहट) मैं सदन के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि गरीबों की कोई जाति नहीं होती बल्कि वह एक दुर्बल जाति से है। मान्यवर, बहन जी ने जो भी योजना लागू की है उनकी प्रशंसा करती हूँ और अन्त में अधिष्ठाता महोदय जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जय भीम जय भारत।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती अम्बेश कुमारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह खुद ही स्वीकार किया है क्योंकि इतना महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं कि 49 दिनों में 344 बलात्कार हो चुके हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, एक महिला मुख्य मंत्री होकर महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार अपराध होते रहेंगे क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बैठी-बैठी देखती रहेंगी इसके लिये उन्होंने कोई प्राविधान नहीं रखा है। महिला कल्याण के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था इसीलिए महिला कल्याण आयोग का गठन कर दिया लेकिन उसकी जो अध्यक्ष हैं वह कभी बैठती नहीं, मिलती नहीं हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया वह अध्यक्ष किसी गरीब की पत्नी भी हो सकती थी क्या वह सिर्फ किसी अधिकारी की ही पत्नी होगी किसी गरीब की पत्नी नहीं हो सकती ? किसी दलित की पत्नी नहीं हो सकती ? हमेशा गरीबों की बात कही जाती है और बड़ों को बढ़ावा दिया जाता है आज महिला मजदूरी करने जाती है तो उसको 30–35 रुपया दिया जाता है और पुरुष को 508 रुपये मिलते हैं और आप महिलाओं के कल्याण की बात करते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, जब लड़कियों की शादी के लिए अनुदान का पैसा दिया जाता है तो पहले तो जब डाक्टर मेडिकल बनाता है तो वह 150–200 रुपया ले लेता है इसके बाद लेखपाल रिपोर्ट लगायेगा वह भी पैसा ले लेता है और एक साल के बाद उसको पैसा मिल पाता है तब तक जो पैसा वह लेकर देता है 10 हजार रुपया उसका ब्याज हो जाता है। मान्यवर, समाज कल्याण अधिकारी पैसा तब देता है जब वह ढाई तीन हजार रुपया ले लेता है। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के यह सब लोग जानते हैं कि समाज कल्याण अधिकारी पैसा लेता है। समाज कल्याण विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं। मान्यवर, 5-6 हजार रुपया ही उस गरीब को मिल पाता है जिसमें वह अपनी लड़की की शादी में एक टाइम खाना भी नहीं दे सकता है। बड़े लोगों के यहाँ तो पचास हजार, एक लाख, एक करोड़ तक का खाना होता है और गरीब के लिए 5-6 हजार ही है तो यह है समाज कल्याण। मान्यवर, बीच में दलाल लग जाते हैं तो 2-3 हजार रुपया रह जाता है। दलाल भी ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम सत्ता में हैं चलो करवा देते हैं वह भी गरीबों के साथ दलाली कर लेते हैं तो यह कैसा प्राविधान है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने

अपने बजट में एक शब्द भी नहीं कहा इसके बारे में। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि 10 हजार रुपया गरीब की शादी के लिए बहुत कम है इसको बढ़ाकर 20 हजार रुपया किया जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गाँव में शिक्षा मित्र की जगह निकाली गयी हैं उसमें प्रधान के ऊपर सारा दारोमदार कर दिया है सभी लोग जानते हैं कि गांव में भी दो पार्टियाँ राजनीतिक होती हैं और अगर उसके लिए कोई लड़का जिसकी नियुक्ति होनी चाहिए मेरिट भी अच्छी है, उसके बराबर का कोई लड़का भी नहीं है लेकिन अगर प्रधान नहीं लिखता तो वह लड़का बेकार है इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोई ऐसा प्राविधान रखें कि डीपीआरओ या बीडीओ से जाँच कराकर उन लड़के का चयन किया जाये इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और ऊषा वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्रीमती उमा किरन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बार आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ और यहाँ बैठे हुए सदन में विपक्ष और पक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो इन्होंने बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पहले महापुरुष जो थे जिन्होंने महिला कल्याण के बारे में सोचा था वह महापुरुष बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर थे जिन्होंने महिला कल्याण के बारे में सोचा था। ब्रिटिश सरकार के जमाने में बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर श्रम मंत्री थे। उन्होंने अपने विजिट में एक बार घूमते हुए कोयले की खान में जाकर देखा कि एक महिला प्रिगनेन्ट थी सिर पर कोयले से भरी टोकरी लेकर काम कर रही थी, उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने यह सोचा कि हमारी जो महिलाएं श्रम करती हैं, उनके बारे में कुछ सोचा जाये। तो बाबा साहब ने प्रसूति अवकाश की एक स्वीकृति दी। शिक्षा विभाग में जो सबसे पहले महिला थीं वह सावित्री बाई फूले थीं। वह पहली महिला अध्यापिका थीं उनकी वजह से ही आज हमें पढ़ने लिखने का मौका मिला है और हमारी जो प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, बहन मायावती जी उन्होंने हमें मौका दिया है, आगे बढ़ने का। मैं उनको दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। अगर बहन मायावती जी ने हम महिलाओं को मौका नहीं दिया होता तो मैं आज सदन में नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी अनुसूचित जाति की महिलाएं साक्षर हैं वह सिर्फ 10.69 प्रतिशत हैं और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं वह बहुत ही न्यूनतम मात्रा में पढ़ी लिखी हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए लखनऊ में एक छात्रावास खोला जाये और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सहारनपुर जिले में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है वहाँ पर मैं बहन मायावती जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वहाँ पर प्रशिक्षण केन्द्र महिलाओं के लिए खोला जाये जिससे हमारी महिलाएं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। हमारे मुजफ्फरनगर जिले में 5 हजार बच्चे इस टाइप के हैं जो कि विकलांग और अनाथ हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की जाये क्योंकि विकलांगों में जो अधिक मात्रा में बच्चे हैं वह दलित समाज के हैं। हमें जो मौका मिला है हमें बहुत खुशी है कि हमारे दलित समाज से जो मुख्य मंत्री मायावती जी हैं जो इस समय तीसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं। मैं भी दलित समाज की महिला हूँ, इसलिए बहुत खुशी है। मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ और मान्यवर, जो हमारे समाज कल्याण मंत्री हैं इन्होंने जो समाज कल्याण में महिला विकास, बाल विकास कल्याण का सम्पूर्ण बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूँ।

सुश्री आशा किशोर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाज कल्याण विभाग के बजट 2002-2003 के कटौती प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि दलित समाज की जो महिलायें गरीबी, निर्धनता के कारण मेहनत मजदूरी करने जाती हैं, उनके अबोध बच्चों की जिन्दगी ईश्वर के भरोसे रहती है। उन बच्चों की परवरिश के लिये, भविष्य के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। हमारी माँग है कि ग्राम पंचायत स्तर पर हर जिले में एक बाल सेवा सदन अवश्य खोला जाय। आज लाखों निरीह, गरीब, असहाय, वृद्ध महिलायें पेंशन के लिये दर-दर भटकती रहती हैं और अन्त तक भटकती रहती हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। हमारा प्रस्ताव है कि पेंशन स्वीकृति का अधिकार विधायकों को दे दिया जाय। साथ ही यह भी मांग करती हूँ कि लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अविलम्ब किया जाय।

मान्यवर, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आज केवल खानापूर्ति के लिये रह गये हैं। विद्यालयों में न तो अध्यापकों की व्यवस्था है और न दवाइयाँ हैं, न कम्पाउन्डर हैं, न सेवा करने के लिए कोई आया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र सलोन में एक आश्रम पद्धति का स्कूल चल रहा है, वह कुव्यवस्था का शिकार है। इस आश्रम पद्धति स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, उस अनुपात में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। साथ ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास के लिये कोई कार्य योजना इन स्कूलों में नहीं है। बिजली पानी की इस स्कूल में कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। एक इण्डिया मार्का नल लगा है, जिसमें 300 बच्चे पानी पीते हैं और एक पानी की टंकी लगी है, जिसका पम्प 6 साल से खराब पड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि इन आश्रम पद्धति विद्यालयों की कुव्यवस्था कब तक ठीक हो जायेगी। यह भी जानना चाहूँगी कि इन स्कूलों के रख-रखाव के लिये कोई कार्य योजना है या नहीं।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि वृद्धों, महिलाओं को जो पेंशन 125 रुपये प्रतिमाह मिलती है, वह नाकाफी है। विधवा होने के उपरान्त ससुराल वाले भी उसे घर से अलग कर देते हैं, खेती में भी उसे कुछ नहीं देते हैं, इसलिये इस पेंशन की रकम को बढ़ाकर कम से कम 500 रुपया कर दिया जाय। इसके अलावा जो गरीबी रेखा के नीचे की लड़कियों की शादी के लिये 10 हजार रुपये की व्यवस्था है, उसे बढ़ाकर 20 हजार रुपया कर दिया जाय। इसमें ऐसा प्राविधान किया जाय कि शादी के एक सप्ताह बाद तक यह पैसा उनको प्राप्त हो जाय ताकि उन्हें ज्यादा ब्याज न देना पड़े और जो भी उधार सामान क्रय किया गया हो, उसे वह जल्दी ही चुका सकें। इसी के साथ मैं बहन ऊषा वर्मा द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्रीमती माया प्रसाद–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास कल्याण, विकलांग कल्याण का सम्पूर्ण बजट रखा है उसका मैं समर्थन करती हूँ। इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ रही है और जो ये कल्याणकारी योजनायें रखी गयी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करती हूँ।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समाज कल्याण, महिला कल्याण, बला विकास पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं बजट के समर्थन में बोलते हुए कहना चाहती हूँ कि विपक्ष के सदस्य श्री सीताराम निषाद ने एक आरोप लगाया और आरोप यह है कि भाजपा और बसपा का यह नापाक गठबन्धन है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि जब 1993 में बसपा और सपा का गठबन्धन था और उस समय मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे, उस समय मायावती जी जो हमारी वर्तमान में प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, उनके ऊपर एक हमला कराया था और उस हमले के तहत यह गठबन्धन टूटा था। आज भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था उसके तहत् अनुसूचित जाति की एक महिला को उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाकर महिलाओं का सम्मान किया है और मान्यता दी है, यह सपा के लोगों के अन्दर नहीं है। मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस काण्ड जो हुआ था, मान्यवर, वैसी स्थिति आज प्रदेश में कहीं नहीं है। मान्यवर, आज प्रत्येक क्षेत्र में जो कमजोर वर्ग है, उसके लिये बजट का प्राविधान है। आर्थिक स्थिति प्रदेश की अच्छी न होने के कारण भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये किया था, यह निश्चित तौर पर किसी निराश्रित महिला के लिए बहुत कम है और इसमें जीवन यापन नहीं हो सकता। इसलिए इसमें बढ़ात्तरी होनी चाहिए। मान्यवर, महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं और महिलाएं आदिकाल से अनादि काल तक कमजोर नहीं रही हैं। महिला ने पुरुष को जन्मा है और समाज को बनाया है, मतभेद नहीं है लेकिन जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं उनके लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने अनुदान सं०–49–महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग, अनुदान सं०–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान सं०–81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान सं०–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) और अनुदान सं०–87–सैनिक कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव जो हमारी योग्य बहन ऊषा वर्मा और सीताराम निषाद जी ने रखा है, उस पर बल देने के लिए मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पक्ष और विपक्ष की सभी बहनों ने और अन्य सम्मिलित सदन के माननीय सदस्यों ने विचार यहाँ रखे। जो विचार रखे हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए समय की व्यस्तता को देखते हुए कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन सुझाव के तौर पर कुछ कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ की आबादी है जिसमें 40 फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और 72 फीसदी जनता जो कृषि पर आधारित है, उसकी जर्जर हालत, निरीह हालत को देखते हुए कल्याणकारी नीतियों के तहत, समता और समानता के आधार पर उन्हें ऊपर उठाने की बात इन योजनाओं में की गयी थी। 54 सालों में अलग-अलग योजनाओं जैसे–महिला श्रम, बाल कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग आदि के माध्यम से इनकी दशा सुधारने की बात की गई थी लेकिन आज वस्तु स्थिति क्या है ? इन 54 सालों के बाद भी हम इन निरीह गरीब लोगों के लिए, जिनका उत्थान करना था, कुछ नहीं कर पाये। मान्यवर, इन्हें सोचना चाहिए था कि किस तरह हम उनकी दशा सुधारने में कामयाब हो पाते और इस महत्वपूर्ण बजट में इन तमाम समाज के निम्न श्रेणी के आखिरी लोगों तक

अपनी बात को पहुंचाते, यह सोचते कि हम किस तरह से अपनी प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या नतीजा निकला, आंकड़ों के तौर पर हम नहीं कह रहे हैं अगर हम छोटी सी भी विवेचना कर लेंतो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि एक समर्पण भाव के साथ जब तक हम प्रशासनिक मशीनरी को कड़ा करके बजट पास नहीं करेंगे तब तक उस आखिरी श्रेणी की महिला, बच्चे और आदमियों का उत्थान हम नहीं कर सकते। मान्यवर, एक दलित महिला को तीसरी बार इस प्रदेश का मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला है। महिला होने के नाते समाज को यह उम्मीद थी कि महिला के विकास के लिये नई-नई योजनाओं को लागू करने का काम किया जाएगा पर बड़ी अफसोस की बात है कि इस सम्बन्ध में इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वही पिछली योजनाओं को लागू करने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है और उनकी इस स्थिति पर मुझे इस समय दया आती है। जब इन तमाम स्थितियों के बावजूद हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में निरन्तर दयनीय हो रही है प्रति वर्ष 40 हजार औरतों की मौत प्रजनन सुविधा उपलब्ध न होने के कारण होती है, जिन्हें आज भी अप्रशिक्षित दाइयों के प्रजनन का जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परन्तु उनकी तमाम परेशानियों को देखते हुए आप कोई योजना नहीं बना रहे हैं। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता, गरीब लड़कियों की शादी, दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 उद्धार संगठन की स्थापना, पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायता अनुदान, श्रमजीवी महिला आवासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठन आदि योजनायें माननीय मंत्री जी ने बताई परन्तु इन सबके बावजूद भी उनका भौतिक सत्यापन जिला प्रशासन या अधिकारियों द्वारा हो रहा है या नहीं यदि हो रहा है, तो क्या इसके बारे में मंत्री जी ने कभी जानने की कोशिश की है। तमाम जनपदों में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन उपयुक्त पात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और ऐसा प्रशासनिक अधिकारी और दलालों के कारण होता है। पहले यह भुगतान चेक के द्वारा किया जाता था और अब सीधे बैंक के खाते के द्वारा कर दिया गया है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे अन्य पेंशनरों को प्रति वर्ष अपने जीवित रहने का और आयु का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है उसी तरह से विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन लाभार्थियों को भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाय और कितना भौतिक सत्यापन कराने का काम लखनऊ में बैठकर माननीय मंत्री जी ने किया, मैं इस बारे में जानकारी चाहता हूँ। महिलाओं के मूल्यांकन की योजना की भी घोषणा की गयी। अलग से स्टाफ निदेशालय में नियुक्त कर दिया गया लेकिन पूरे प्रदेश में महिलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

गर्ग जी, अब समाप्त करें।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। मान्यवर, अगर मूल्यांकन कराया हो तो इस सम्मानित सदन को अवगत करा दें अन्यथा मैं चाहूँगा कि जो स्टाफ खाली निदेशालय में बैठा है और अनावश्यक रूप से विभाग पर बोझ डाल रहा है उसे खत्म करने का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। महिला कल्याण विभाग में उर्दू अनुवादकों के पद सृजित किये गये लेकिन अनावश्यक रूप से निदेशालय में उनकी पोस्टिंग कर दी गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारियों के स्थानान्तरण उन जनपदों में किये गये जहाँ जिला प्रोबेशन

अधिकारियों के पद सृजित ही नहीं हैं उन्हें पुनः उन्हीं स्थानों पर वापस किया गया। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है लिपिकीय सेवा नियमावली विभाग में प्रख्यापित की गयी जिससे जनपद मण्डल मुख्यालय का एक संवर्ग किया गया लेकिन जनपदों से मुख्यालय में स्थानान्तरण किये गये मगर मुख्यालय से अभी तक किसी का स्थानान्तरण जनपदों में न करने से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके तहत वित्तीय भार भी पड़ा। अगर इस तरह से अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं तो मजबूत नहीं होगा। मान्यवर, किशोर न्याय अधिनियम में 16 वर्ष से आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गयी परन्तु उत्तर प्रदेश में अभी तक किशोर कल्याण बोर्ड और किशोर कोर्ट की स्थापना नहीं हो सकी है। अभी भी 16 से 18 वर्ष के बच्चे आम जेलों में बड़े-बड़े अपराधियों के साथ बंद हैं इससे उनके बाल मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

गर्ग जी अब समाप्त करिये, घूरा राम जी आप शुरू करिये।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, सम्मानित सदन के सामने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु रखना चाहता हूँ। अनावश्यक समय नहीं ले रहा हूँ। दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। आज जो कुपोषण की स्थिति है इस प्रदेश में है। मान्यवर, विश्व में 16.70 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उसमें से 7.20 करोड़ बच्चे भारत में हैं तथा 1.2 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। मान्यवर, आज बाल विकास एवं पुष्टाहार के माध्यम से किस तरह से पुष्टाहार दे रहे हैं, यह सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को पता है। आज जो हो रहा है वह हम सभी जानते हैं। अगर ब्लाकों का सर्वेक्षण करा लें तो पता चल जायेगा कि पुष्टाहार खुले आम बाजारों में बिक रहा है। पात्रों तक पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा है। अतः मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

गर्ग जी अब बैठ जाइये। घूरा राम जी आप शुरू करिये।

श्री घूरा राम–

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बजट में मंत्री जी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जिसमें सुझाव दिया जाय। लेकिन मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी इन्होंने शिक्षा माफियाओं पर प्रकाश डाला है, इस पर मा० मंत्री जी और सरकार सतर्क है। शिक्षा माफियाओं से सावधान रहने के लिए इन्होंने एक समिति बनायी है। लेकिन मैं आपके मांध्यम से मंत्री जी से जरूर अनुरोध करना चाहूँगा कि उसके बाद भी काफी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि शिक्षा माफिया भी बहुत चालाक हैं इसलिये जो समिति भी बनाई गई है उसे काफी चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा। एलर्ट रखना पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो विद्यालय खोले गये हैं उसके अन्तर्गत शिक्षा माफिया फर्जी संस्था बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फर्जी नाम डालकर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति निकाल लेते हैं। वह शुद्ध रूप से सरकारी धन का शोषण करते हैं। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार का शोषण करने वाले शिक्षा माफियाओं की जाँच कराकर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं मृतक आश्रितों के बारे में कहना चाहूँगा सरकार के द्वारा जो इनके पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो सुविधा दी

जाती है । बल्कि मैं समाज कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो खास तौर से दलित समाज के, अति दलित समाज के,अनुसूचित जन जाति के सम्बन्धी होते हैं इस किस्म के लोगों के मृतक आश्रितों को सुविधा प्रदान की जाय । ताकि गरीब और कमजोर लेगों का उद्धार हो सके । मैं आपके माध्यम से बाल विकास पुष्टाहार की तरफ से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । बाल विकास पुष्टाहार गांव में गरीब, समाज के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिये चलाया जाता है लेकिन उस बाल विकास परियोजना के तहत आंगन बाड़ी कार्यक्रम चलता है । उसमें निश्चित रूप से गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं । सरकार का जो सहयोग मिलता है वह शुद्ध रूप से घरों में चला जाता है । इसलिये इसकी जाँच कराकर कार्यवाही करें। इसी के साथ मैं इस बाल विकास पुष्टाहार परियोजना के तहत एक बात और कहना चाहता हूँ । आज माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने एक व्यवस्था बनायी है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रमोशन शिक्षा के आधार पर किया जायेगा । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रमोशन करके जो मुख्य सेविका में प्रमोशन करने की बात है उसमें आरक्षण का ध्यान होना चाहिए । अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस समाज कल्याण विभाग में बालिका निकेतन होता है उसमें निरीह बालिकाओं, निराश्रितों का पालन होता है । उन छात्रावासों में लड़कियाँ रहकर पठन पाठन का काम करती हैं । लेकिन वह वंचित रह जाते हैं जो सक्षम लोग होते हैं वह अपने सोर्स लगाकर अपने बच्चों को वहाँ पठन-पाठन का काम करवाते हैं । इससे असहाय बच्चे वंचित रह जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री घूरा राम–

मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी जांच करवा लें । मैं पीठ का अनुशासित सिपाही हूँ इसलिये अपनी बात समाप्त करते हुए मंत्री जी द्वारा पेश हितकारी बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सुश्री सन्ध्या कठेरिया–

अधिष्ठाता महोदय, आपने महिला कल्याण विभाग पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ । मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें महिलाओं की मजबूरी तथा अपने पैरों पर खड़ी होने के बारे में कोई योजना नहीं बनाई है । महिलाओं की कल्याणकारी योजना पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । अफसोस है कि महिलाओं को सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है । मान्यवर, विधवा पेंशन 125 रुपये की जगह पर 500 रुपये कर दिया जाय । विकलांग पेंशन बढ़ाने के लिये मैं बल देती हूँ । मान्यवर, महिला आयोग का जो गठन किया गया है उसमें ऐसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है । उनको समाज सेवा का कोई ज्ञान नहीं है । वह महिला आयोग के कार्यालय में बैठती नहीं हैं, वह मुख्य मंत्री का फेशियल तो नहीं किया करती हैं, उनका आफिस खाली पड़ा रहता है । शायद कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं मिली । आप दलित की बात करते हैं, किसी दलित महिला को अध्यक्ष बनाना चाहिए था लेकिन आप दलित विरोधी हैं । मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ ।

श्रीमती फसीहा मुराद ज़ारी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। माननीय मंत्री जी ने महिला कल्याण और समाज कल्याण के लिये जो बजट पेश किया है मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ। इस बजट में महिलाओं के लिये काफी योजनायें हैं और महिलाओं के विकास के लिये योजनायें हैं। जो समाज की निराश्रित महिलायें हैं उनके लिये यह सरकार कितनी सोच रखती है जिसका मिसाल आपके सामने खुद खड़ी है। जो माननीय सदस्य इस बजट का विरोध करते हैं वह महिला कल्याण के विरोधी हैं और समाज कल्याण के विरोधी हैं। मैं इस बजट का पूरा समर्थन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने समाज कल्याण विभाग जैसे प्रमुख विभाग पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपना दिल पूरा खोलकर अपनी बात रखी। यह समाज कल्याण विभाग कई रास्तों से गुजरा है। पहले इसका नाम हरिजन सेवक था फिर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग हुआ और जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे तो इसका नाम उन्होंने समाज कल्याण विभाग रख दिया। मैं आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं इस समाज का हूँ इसी नाते मैं इस समाज का दर्द जानता हूँ। मैं केवल सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो प्राइमरी स्कूल के छात्र हैं उनको पहले 5 रुपया छात्रवृत्ति मिलती थी और उस समय 1 रुपये किलो देशी घी मिलता था। आज घी की कीमत 100 रुपये किलो हो गयी है और प्राइमरी स्कूल के छात्रों को 25 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। इसको बढ़ाकर 500 रुपये करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। हर सरकार के सामने आर्थिक स्थिति होती है। इस नाते इस 25 रुपये को बढ़ाकर मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को कम से कम 100 रुपये दिया जाय। ठीक इसी तरीके से 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको जो 80 रुपये दिया जाता है उसको 150 रुपये किया जाय। कक्षा 9–10 के छात्रों को जो मिलने वाली छात्रवृत्ति को 300 रुपये किया जाय। जो 11–12 के विद्यार्थी हैं उनको 500 रुपये मासिक दिया जाय। बी० ए० स्नातक के जो विद्यार्थी हैं उनको 1,000 रुपये दिया जाय और स्नातक एम० ए०, एल० एल० बी० और उच्च कक्षाओं के लिये यह 1500 रुपये महीने किया जाय। इतनी महँगी किताबें हो गयी हैं, भोजन इतना महँगा हो गया है। गाँव से शहर में पढ़ाई करने के लिये, लखनऊ जैसे शहर में बच्चे आते हैं। अगर गरीब का बेटा है तो पढ़ाई उसके विपरीत हो गयी है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सुझाव को मान लें। सत्ता पक्ष से सिफारिश करके, कैबिनेट में सिफारिश करके रखिये। इसी तरह से मान्यवर, छात्रावासों के बारे में कहना चाहता हूँ। कभी-कभी ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश को अनुसूचित जाति के घरों में बाँट दिया गया है। धन दौलत बाँट दी गयी है। सत्ता पक्ष इसके बारे में बखान करता है और विपक्ष उस पर कमेन्ट करता है। आज भी शहरों में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए कोई छात्रावास नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जिला स्तर पर 5 छात्रावास कम से कम बनवाये जायं और एक छात्रावास की कैपिसिटी 100 छात्रों की हो। इसी प्रकार से लड़कियों के लिए भी जिला स्तर पर कम से कम एक छात्रावास 100 छात्राओं का बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसी तरह से मेरा एक निवेदन यह भी है कि दुकानों के लिए सरकार अनुसूचित जाति के लिए 38 हजार रुपये देती है आज इतने रुपयों में दुकान कहाँ मिलती है। अगर कोई एक कमरा बनवाता है तो उसमें 60–70 हजार रुपये लग जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि यह 38 हजार की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया जाय। 50 हजार रुपये दुकान खोलने के लिए अलग से व्यवस्था की जाय। चिकित्सा के नाम पर क्या दिया जाता है। शादी के लिए 10 हजार रुपये दिये जाते हैं समाज कल्याण के अधिकारी भी बैठे हैं। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये यह कल्याण विभाग के लोग ले लेते हैं तब जाकर 5-6 हजार रुपये मिलते हैं। इसमें क्या शादी हो सकती है। मेरा निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाय। आज जो विधवा पेंशन मिल रही है वह उस समय जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे, उस जमाने में जितनों को मिलती थी, आज भी उतनों को ही मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि तय संख्या बढ़ाई जाय। जो तमाम निराश्रित और गरीब हैं, उनको पेंशन दी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। मैंने श्रीमती कृष्णा पासवान को बुला लिया है।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आज जितने भी मदिरालय हैं वह सब गरीब मलिन बस्तियों के पास ही खुलते हैं। शराब पीकर लोग दलित बस्तियों में घूमते हैं और उनको परेशान करते हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि दलित बस्तियो में मदिरालय न खोले जायं।

श्री अधिष्ठाता–

आप जो भी कहेंगे, वह रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राम करन आर्य–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

आप जो कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री राम करन आर्य–

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

जो राम करन जी कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्रीमती कृष्णा पासवान–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है इसके लिये मैं आपका तथा सदन का धन्यवाद करती हूँ । मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा एक ही अनुरोध है आँगनबाड़ी की जो कार्यकत्री होती हैं उनको केवल 565/- रुपये प्रतिमाह मिलता है जबकि वह सुबह 8 बजे से लेकर दो बजे तक कार्यक्रम करती हैं चाहे वह टीकाकरण का कार्यक्रम हो चाहे और कोई कार्यक्रम हो उनको 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती है । मान्यवर, एक अध्यापक को वेतन 10–12 हजार दिया जाता है और आँगनबाड़ी की कार्यकत्री को सिर्फ 565 रुपया दिया जाता है । मेरा मंत्री जी से एक अनुरोध है कि बेचारी महिलाओं के लिए जो इतना कम स्केल है इसको बढ़ाया जाए । इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ । धन्यवाद ।

(मेजें थपथपाई गई)

* श्री अमरजीत सिंह ''जनसेवक''–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ आपने मुझे युवा, निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और वाणी के सरस समाज कल्याण मंत्री इन्द्रजीत सरोज ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया मैं इस पर अपने विचार प्रस्तुत करूँ मैं चाहूंगा आप उससे पहले मेरी मनःस्थिति जान लें । मैं आपके माध्यम से दर्खास्त करना चाहता हूँ कि कल राखी का त्योहार था, सुबह से जीजा और साली के विषय में चर्चा हो रही है । मेरा साला मेरे साथ घर में रह रहा है । मेरी साली कल मेरे साले को राखी बांधने घर आई, यह प्रोग्राम बना कि आज 6 बजे से नौ बजे सिनेमा देखने जाया जाएगा, मैंने घर में टेलीफोन किया तो पता चला कि पूरे परिवार के टिकट आ गये हैं और मैं यहीं पर हूँ मेरा घर में क्या कल्याण होगा, 6 से 9 का समय तो निकल गया है कहीं ऐसा न हो कि 9 से 12 बजे तक का भी समय निकल जाए यहां कल्याणकारी बजट पेश हो रहा है और जनसेवक का घर में कल्याण हो गया ।

(इस समय 8 बजकर 5 मिनट)

(हंसी)

मान्यवर, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे महिला कल्याण हो, चाहे सैनिक कल्याण हो, चाहे विकलाँग कल्याण हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण हो, चाहे पिछड़ा कल्याण हो, समाज कल्याण विभाग इन सबका जनक है । हमें बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है आज राजनीतिक दलगत राजनीति किस तरह खुल गई है हमारी बहनें अपने विचार इस बजट पर रख रही थीं उनका हृदय कितना कोमल है बजट के प्रति कितनी मार्मिक भावनायें उन्होंने बजट पर रखीं । लेकिन विपक्ष में बैठे लोगों की राजनीतिक भावनायें किस तरह कलुषित हैं । हमारे समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा रखा गया बजट बहुत अच्छा है मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज कल्याण मंत्री जी ने जो यह समाज उपयोगी यह बजट समाज का रखा है, यह समाज के कल्याण का है दलितों,

---

* वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शोषितों कमजोर, सैनिकों का है मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जो हमारे निषाद जी और हमारी बहन ऊषा वर्मा जी और अपनी ओर से, खास तौर से अधिष्ठाता महोदय आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने सारी बहनों को बोलने का अवसर दिया । बहनों की पंक्ति में संजय गर्ग जी को, घू राम जी को और मुझे, यानि अमरजीत जनसेवक को, भी उस पंक्ति में लाकर खड़ा किया है इसके लिये धन्यवाद देता हूँ और पुनः समाज कल्याण मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए अनुरोध करूंगा, अपनी बहन ऊषा वर्मा जी और निषाद जी से, कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । पुनः सभी से अनुरोध करूंगा और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि अभी नौ से बारह का समय बाकी है कृपया जल्दी पास करा दें ।

श्री सुल्तान बेग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मौहतरमा ऊषा वर्मा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ । मैं एक बात कहना चाहता हूँ । मान्यवर, यह वृद्धावस्था पेंशन या तमाम तरह की पेंशन हैं, इसमें निराश्रित पेंशन योजना इसको अम्बेडकर गाँव को लिया गया है । छः-छः गाँव को लिया गया है और जो विधवा महिलायें हैं उनके पुनर्विवाह करने पर 11 हजार की राशि दी जाती है। निराश्रित महिलाओं की बेटियों के लिए दस हजार रुपये देने का प्राविधान रखा गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो निराश्रित महिलायें हैं क्या वह एस० सी०, एस० टी० के अन्दर ही रहती हैं । जो मुसलमान हैं, जो ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया या फिर पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं जिनके शोहर मर जाते हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । इसके साथ ही अम्बेडकर गाँव की बात कही गयी यह क्या सिर्फ अम्बेडकर गाँव के अन्दर ही योजना लागू की जा रही है । जो मुसलमान महिलाएं हैं या फिर दूसरी जाति की महिलाएं हैं, बेसहारा हैं और जो अम्बेडकर गाँव के अन्तर्गत आती हैं उनको क्या लाभ मिलेगा । मान्यवर, मैं ऊषा वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव को जोड़ा जाय यही मेरी गुजारिश है । जो बहुजन समाज पार्टी के लोग, जो मुसलमान विधायक हैं, मुख्य मंत्री जी हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान औरतों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना है । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, जो लोग सामाजिक, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए इस समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी है । आज ऐसा देखने को आया कि यह समाज कल्याण विभाग एक प्रकार से अनुसूचित जातियों का विभाग है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों को साथ-साथ इस विभाग से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना भी चलाता है । मान्यवर, यह विभाग सरकार सभी वर्ग के लोगों के लिए है । माननीय मंत्री जी ने मादक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए मद्य निषेध कार्यक्रम बनाये हैं वह सभी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं । इसमें मद्य निषेध के लिए समाज कल्याण विभाग ने स्कीम चलायी है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे नेता प्रतिपक्ष दलितों के बड़े हितैषी बनते हैं । आज के समाचार पत्र में दिया है, आज के समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिया है भगवान स्वरूप जाटव की 9 वर्षीय दलित लड़की ओमवती के साथ एक समाजवादी पार्टी के नेता ने बलात्कार किया । यह घटना अलीगढ़ जिले के बरला थाना कस्बे में हुई । मान्यवर, एक और घटना कानपुर में हुई जहाँ रसूलाबाद के एक गाँव में बाबा साहब डा० श्री भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर जूते-चप्पलों की माला पहनायी

गयी । मान्यवर, हम दलित लोग महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, पं० जवाहर लाल नेहरू और बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी सभी का सम्मान करते हैं और सभी का सम्मान भी चाहते हैं । मैं इस कृत्य की निन्दा करता हूँ तथा समाज कल्याण के बजट का समर्थन करता हूँ ।

(व्यवधान)

(श्री एस० पी० गोयल सहित कई माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये, किन्तु श्री अधिष्ठाता महोदय के अनुरोध पर अपने स्थान पर बैठ गये ।)

डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है यह दिशाहीन है इससे जो गरीब हैं उन्हें उम्मीद की रोशनी दिखने की उम्मीद कम ही है । मैंने थारू जनजाति के लोगों के बारे में प्रश्न किया था । मैं कहना चाहता हूँ कि उनके उत्थान के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है । उनके विकास के लिये इसमें कोई योजना नहीं है । यह हमको उत्तर दिया गया है बलरामपुर जनपद में थारू जनजाति के विकास के लिये करीब 25–30 साल पहले थारू जनजाति विकास परियोजना विशुनपुर विश्राम पचपेड़वा बनी थी । मान्यवर, हमारे यहाँ पचपेड़वा ब्लाक जनपद बलरामपुर में यह योजना बनायी गयी थी । लेकिन जो थारू विकास परियोजना का परियोजना अधिकारी उपाध्याय है वह वहाँ कुण्डली मारकर 14–15 वर्षों से बैठा हुआ है । उसने उस परियोजना को उपाध्याय विकास परियोजना बना दिया है । वह परियोजना अधिकारी डा० बनकर आया और परियोजना अधिकारी बनकर रह गया है । मान्यवर, उसके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं उसने भूमि पर कब्जा कर रखा है और लाखों की सम्पत्ति बनाई है । मान्यवर, थारू जनजाति के विकास के लिए मेरा सुझाव है कि थारू जनजाति एरिया में जो प्राथमिक पाठशाला है और तमाम विद्यालय हैं जहाँ पर विद्यालय में कोई अध्यापक नहीं है । जिलाधिकारी ने बी० एस० ए० को कई बार लिखा, मैंने भी लिखा कि जो थारू जनजाति के इलाके जहाँ पर विद्यालय हैं वहां पर अध्यापक की व्यवस्था नहीं है । लेकिन उस बी० एस० ए० नें कोई व्यवस्था नहीं की शिक्षा मित्र पदों की कोई नियुक्ति वहाँ नहीं की मान्यवर, उस बी० एस० ए० के खिलाफ जिलाधिकारी ने 3 बार डी० ओ० लेटर शासन को भेजा है कि उसका स्थानान्तरण कर दिया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । मान्यवर, थारू जनजाति के जो विद्यालय हैं वहाँ अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है इसी तरह से हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति के इलाकों में विद्यालय हैं अम्बेडकर ग्रामों में विद्यालय हैं वहाँ अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही है । यह सरकार संवेदनहीन सरकार है और यह थारू जनजाति के छात्रों को शिक्षा नहीं देना चाहती है यह दलितों के विरोधी हैं । माननीय मंत्री जी बतायें कि थारू जनजाति के विकास के लिए इस बजट में क्या योजना है, कोई योजना नहीं है । मान्यवर, थारू जनजाति के बनाये छाते छप्पर, डलिया और चप्पल की प्रदर्शनी लगाई जाय तो उनका विकास हो सकता है । मैं आखिर में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जो वहाँ थारू विकास परियोजना अधिकारी है उनका स्थानान्तरण कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । जिला बलरामपुर के बी० एस० ए० को तत्काल स्थानान्तरण किया जाय ।

श्रीमती राजरानी–

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के मंत्री जी, द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

मान्यवर, मैं यह सुझाव देना चाहती हूँ कि जो विधवा और वृद्धा अवस्था पेंशन की दर 125 रुपये प्रतिमाह की गयी है इसको बढ़ाकर 500 रु० कर दें ताकि महिलाओं को उसमें गुजर-बसर हो सके और उनके जो बाल-बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई और देखरेख ठीक प्रकार से कर सके। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करती हूँ।

* श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 4 माह पुराने विधायक को बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मैं समर्थन करता हूँ सत्ता पक्ष की बहन जो बोल रही थी विधवा पेंशन के बारे में कि उसे 125 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया जाय तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समय निश्चित तौर पर जो हालात हैं कि 125 लेने के लिए 50 रुपया रिक्शा में खर्च हो जाता है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा रुपया आया नहीं आया। मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूँ एक हास्टल गाजियाबाद के अन्दर है। हे भाई, जरा मेरी बात सुनो। हे भाई का सम्बोधन तमाम सदन के लिए किया है जो हालात तीन दिन पहले मैंने देखे थे वह नगरपालिकाओं से भी गिरा हुआ स्तर था। 1-2 घण्टे के अन्दर पूरे प्रदेश का बजट पास हो गया उसमें कमी इधर की भी हो सकतीहै, उधर की भी हो सकती है इसलिए मैंने हे भाई करके सम्बोधन किया है। मान्यवर, एक हास्टल है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपया है, धर्मेन्द्र देव उस समय वी० सी० हुआ करते थे। श्रमजीवी हास्टल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली के नजदीक बनाया गया था मैं उसके लिए बधाई देता हूँ ; मान्यवर, हमारी माँ, बेटियाँ, बहनें 5 बजे सवेरे उठ कर झाड़ू लगाने जाती हैं, गली मुहल्लों में जाती हैं जो काम हमारी माँ सवेरे उठकर करती हैं वह काम वह समाज के लिए करने जाती हैं मेरा समाज कल्याण मंत्री से अनुरोध है कि जिन-जिन नगरपालिकाओं में समाज सेवी संस्थाओं में जहाँ ये काम करती हैं वहाँ उनको नियमित करने की कार्यवाही की जाय। सैनिक कल्याण के बारे में कहना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों की पत्नियों को नियमानुसार सरकार ने जो प्राविधान किये हैं चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार उनको उसी तरह से अनुदान विशेष सहायता मिलनी चाहिए। जय हिन्द–जय भारत।

श्री पूर्णमासी देहाती–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं केवल दो बातें कहूँगा, यह पूरा सदन माननीय मंत्री जी को बधाई देगा अगर यह इस सदन में घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश में जितने गाँव अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं उन गाँवों में रहने वाले जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं उनके लिए भी दलित के लड़कियों के बराबर शादी के लिए धन मुहैया करायेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो वृद्धा पेंशन दी जा रही है जिले में अधिकारी यह कहते हैं कि नयी पेंशन नहीं हो रही है, जब जो पेंशन पा रहे हैं उसका स्वर्गवास हो

---

* वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा उसकी जगह पर पेंशन कर दिया जायेगा । माननीय मंत्री महोदय हर विधान सभा क्षेत्र में 100–100 वृद्धावस्था पेंशन अलग से जारी करने की व्यवस्था करें । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

श्री राम लाल अकेला–

समाज कल्याण के 2002-2003 के कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । वैसे तो इस विभाग का शुभारम्भ भारत की आजादी के बाद 1948 से हो गया था । भिन्न-भिन्न नामों से एक लम्बा सफर तय करने के बाद 1991-92 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय मुलायम सिंह यादव बने तब उन्होंने इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग रखा । इस विभाग की स्थापना के पीछे एक मूल मकसद था कि सदियों से सताये हुए समाज की कुरीतियों के शिकार बनने वाले निर्धन गरीब बेसहारा लोगों के लिए यह काम करेगा । लेकिन इस समाज कल्याण के बजट को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जो लोग इससे बहुत ही आस लगाये बैठे थे उनके लिए इसमें कुछ नहीं है । मैं बताना चाहता हूँ कि नीले गगन के नीचे, मूसलाधार बारिश में दलित वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है । लेकिन इस समाज कल्याण के बजट में ऐसे करोड़ों दलितों के लिए एक पैसे का प्रबन्ध इस बजट में नहीं किया गया । मंत्री जी ने राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय की बात की है । हमारे बछरावां क्षेत्र में एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है वहाँ केवल साठ बच्चे हैं, एक तरफ अध्यापक नहीं हैं, दूसरी तरफ क्लर्क नहीं हैं और पिछले पांच वर्षों से उस विद्यालय की बिजली कटी हुई है । वहाँ के बच्चे को एक ग्लास पानी भी नसीब नहीं होता । रायबरेली में चार प्रकार के छात्रावास चलाये जाते हैं अम्बेडकर छात्रावास, मूल भारतीय छात्रावास, राजकीय छात्रावास और नवीन छात्रावास इसमें से अम्बेडकर छात्रावास किराये के भवन में चलाये जाते हैं । समाज कल्याण विभाग को इसकी चिन्ता नहीं है और वहाँ पर न तो बिजली है और न ही पीने के पानी के लिए कोई इंतजाम । छात्रावास को देखने से लगता है कि वह छात्रावास नहीं एक सुवरबाड़ा है । मैं कहना चाहता हूँ कि आज दशमेत्तर कक्षाओं में जो छात्रवृत्ति देने का काम किया जाता है । इसके लिए जो पात्रता की आमदनी 49 हजार है मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यह मानक 49 हजार रुपये का है इसे बढ़ा करके एक लाख रुपये कर दिया जाय नहीं तो इससे समाज के लोगों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सहायता अनुदान के संबंध में हमारी बहनों ने कहा है कि शादी के एक वर्ष बाद भी उनको अनुदान प्राप्त नहीं होता है और विभागीय लोग उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सहायता की जो धनराशि 10 हजार रुपये है, उसको बढ़ाकर 20 हजार रु० करने का काम किया जाय । इसके अलावा निराश्रित महिलाओं के लिये जो अनुदान स्वरूप 125 रुपया दिया जाता है, उसको भी बढ़ाकर 500 रुपया किया जाय । यह दलितों की सरकार है और आपको दलितों का दर्द नहीं मालूम । केवल डा० अम्बेदकर का उद्यान बना देने से दलितों का उद्धार नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य जो अब बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा, कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्रीमती ऊषा वर्मा–

मान्यवर, अभी सदन के सम्मानित सदस्यों द्वारा जो अनुदान के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में जो भाषण दिये गये, उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना । मंत्री जी ने भी गम्भीरतापूर्वक सुना ,

होगा । तो जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे, वह भी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उन योजनाओं का विस्तार करने पर बल दिया । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो अनुदान दिया जा रहा है, उस धनराशि को और बढ़ाया जाय । इसके अतिरिक्त एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देहात क्षेत्र की जो महिलायें हैं, वह रात में शौच के लिए सड़कों के किनारे बैठती हैं और जब वाहनों की तेज रोशनी उन पर पड़ती है तो उनको शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है, इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक गाँव में एक-एक शौचालय का प्राविधान किया जाय । इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की जो समस्यायें हैं, उसके लिये सभी जिलों में एक-एक महिला थाने की स्थापना की जाय और उनकी समस्याओं को वहां प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रत्येक जिले में एक-एक कन्या डिग्री कालेज की स्थापना की जाय, जिससे महिलाओं की शिक्षा का विस्तार हो सके । इसके अतिरिक्त आपके बजट में कोई योजना इन सारे कार्यों के लिये नहीं है, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं । चूँकि बजट महिला कल्याण से सम्बन्धित है और नेता सदन भी महिला हैं, इसलिए उन्हें महिलाओं की सुविधाओं के लिए अच्छी घोषणा करनी चाहिए । मान्यवर, चूंकि महिलाओं से सम्बन्धित यह बजट चल रहा है, हमारी मुख्यमंत्री जी भी महिला हैं, महिलाओं से सम्बन्धित यहाँ चर्चा हो रही है, लखनऊ में रहते हुए भी यहां मौजूद नहीं है, उनकी यहां सदन में होना चाहिए था । इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारी मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, गम्भीर नहीं है और जो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया जाता था, उसके लिए भी उनके पास समय नहीं है । आपके बजट में महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है अच्छी, कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ । धन्यवाद ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, महिला कल्याण के बजट के बाद और बजट जो है उन्हें बिना चर्चा के पास करा लें, सभी सदस्यों को घर भी जाना है ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी विधायकगण, भाई-बहन, मैं आभारी हूँ कि हमारे कटौती के प्रस्ताव का आपने समर्थन किया है । मैं सबका आभारी हूँ । मान्यवर, माननीय समाजकल्याण मंत्री जी उस गरीब समुदाय में पैदा हुए हैं, उनके दिल में दर्द है, वह कुछ करना चाहते हैं उनकी बातों से ऐसा लगा । उन्होंने आर्थिक संकट की चिन्ता व्यक्त की है । इससे लगता है कि हमारे सुझावों के बारे में वह कुछ करना चाहते हैं । लेकिन मान्यवर, बड़े दुख का विषय है कि प्रदेश की मुखिया माननीया मुख्यमंत्री जी के सामने आर्थिक संकट नहीं है । माननीय मंत्री जी को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, जनजाति के कल्याण के लिए, विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए, सैनिक कल्याण के लिए उनके दिल में दर्द है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ योजनायें बनाना चाहते हैं और विभाग में योग्य अधिकारी हैं उनकी मदद से जो सुझाव कटौती के प्रस्ताव में दिये गये हैं, उन पर विचार करके ऐसी योजनायें बना सकते हैं । लेकिन माननीया मुख्यमंत्री के सामने आर्थिक संकट नहीं है । एक हजार करोड़ रुपया अम्बेडकर उद्यान के बनाने में, सफेद हाथी, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह संगमरमर

का बनवाने में खर्च हो रहा है, उनके सामने आर्थिक संकट नहीं है । महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, सैनिकों के लिए, जनजातियों के लिए, विमुक्त जातियों के लिए उनके दिल में दर्द नहीं है लेकिन सफेद हाथी बनवाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह संगमरमर का बनवाने के लिए और अम्बेडकर उद्यान के लिए एक हजार करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार है । मान्यवर, यही एक हजार करोड़ रुपया यदि उन दलित बस्तियों में खडंजा लगवाने के लिए दिया जाता । बिजली लगवाने के लिये दिया जाता, नाली बनवाने के लिये दिया जाता, जो आवास विहीन हैं, उनको आवास बनाने के लिये दिया जाता, महिला शौचालय को बनाने के लिए दिया जाता, उनकी बेटियों की शादी के लिए दिया जाता, वृद्धा पेंशन के लिए दिया जाता, विधवा पेंशन के लिए दिया जाता, विकलांगों को पेंशन के लिए दिया जाता तो समाज के गरीबों का उत्थान अवश्य हो जाता । एक हजार करोड़ में तो मान्यवर, निश्चित ही अति दलित और गरीब, अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान हो जाता ।

श्री अधिष्ठाता–

निषाद जी बैठ जाइये, समय समाप्त हो गया है ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, हमें यह उम्मीद नहीं है कि हम लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उस पर कोई विचार हो सकेगा या कोई योजना बन राकेगी । मान्यवर, विधवा पेंशन के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि विधवा पेंशन की पात्रता का जो मानक है, वह विधवा जो गरीबी की रेखा के नीचे है लेकिन उसका जवान बेटा है तो वह गरीब होते हुए भी पेंशन न पा सकेगी, यह दुर्भाग्य है कि तमाम विधवाएं उनके बालिक लड़के हैं लेकिन वह उनको छोड़कर अपना परिवार लेकर के अलग रहते हैं, मां भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है, दूसरों के मकान में काम करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो जाती है तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मानक में सुधार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी आप समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इन बातों को कहते हुए मैं पुनः बल देता हूं कि विमुक्त जाति की सरकार ने जो सूची जारी की है, उसमें शामिल जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष योजना बना करके उनका उत्थान किया जाये, उत्तर प्रदेश राज्य की विमुक्त जाति की सूची में शामिल कर केवट मल्लाह को अनुसूचित में शामिल किया जाय क्योंकि इसमें शामिल भर और राजभर, और मल्लाह जातियों की स्थिति अनुसूचित जाति, जन जातियों से बदतर है । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार हमारे विभाग के ऊपर रखे हैं और जो विपक्ष के साथी हैं वह सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं मैं तो सोचता था कि आलोचना के साथ-साथ जो हमने नई योजनाएं शुरू की हैं, वित्तीय संकट के बावजूद, उस पर हमें शाबाशी देंगे लेकिन चूँकि विपक्ष के साथी हल्ला बोल संस्कृति के लोग हैं वह किसी दूसरे की तारीफ करना नहीं जानते । मान्यवर, बार-बार अम्बेडकर स्मारक के विषय में कहा जाता है, किसी महापुरुष के

नाम पर एक स्मारक बन रहा हूँ, उसमें उन्हें बड़ी तकलीफ होती है लेकिन कभी भी सैफई का नाम नहीं लिया जाता जहाँ अरबों रुपया लगाया गया है, वहाँ किस महापुरुष के नाम पर लगाया गया। माननीय निषाद जी ने कहा कि कोई नई योजना नहीं चालू की गयी, तो मैं बता दूँ कि 16 नये आश्रम पद्धति विद्यालय बच्चों के लिए खोलने का प्राविधान है, 15 बालिकाओं के लिए और 36 आश्रम जो राजकीय पद्धति के विद्यालय हैं उनके उच्चीकरण करने का प्राविधान इस बजट में दिया गया है।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अकेला जी बैठ जाइए, माननीय निषाद जी कृपया बैठ जाइए। कृपया शान्त रहें।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मान्यवर, जहाँ तक जनजाति के विकास के सम्बन्ध में और उनके विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में माननीय निषाद जी ने कहा है, लखीमपुर खीरी के सोहना ग्राम में इण्टरमीडिएट तक एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बनाया जा रहा है और दो राजकीय आश्रम पद्धति का विद्यालय जनजाति के बालकों के लिए उच्चीकरण कर कक्षा–12 तक किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। मुसहर, बॉसकोर, वनवासी के विषय में ताम बातें कही गयीं हैं। निषाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार को है, संसद और राष्ट्रपति को है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। जहां तक पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का सवाल उठाया है और यह कहा है कि धन के अभाव में मुआवजा नहीं दिया जाता। अन्याय, अत्याचार के तहत या राष्ट्रीय परिवार कल्याण लाभ योजना के तहत जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिये गये हैं कि धन की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए और इनमें तुरन्त भुगतान किया जाना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं है तो हम उसकी जाँच करा लेंगे। मान्यवर, और ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में सत्यापन का काम शुरू किया गया है। 19803 अपात्र विधवा पेंशनर्स एवं 3482 अपात्र वृद्धावस्था पेंशनर्स चिन्हित किये गये हैं और उनसे रिकवरी का आदेश दे दिया गया है।

श्रीमती ऊषा वर्मा–

माननीय मंत्री जी, 125 रुपये प्रतिमाह जो विधवा पेंशन मिल रही है वह इस मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है इसे 5 गुना बढ़ाने का सुझाव दिया था उसमें क्या कर रहे हैं ?

(कई मा० सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत सरोज–

उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति से आप सभी परिचित हैं। मान्यवर, इस चर्चा में सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं और जो महिला सदस्या हैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यह महिला कल्याण का बजट है और इसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। श्रीमती ऊषा वर्मा जी ने इसमें कटौती का प्रस्ताव रखा है। यह जो निरीह, निर्धन, असहाय एवं अनाथ हैं उनके कल्याण के लिए बजट है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि माननीया वर्मा

जी अपने कटौती को वापस ले लें अन्यथा अनाथों की हाय लेगेगी । मैं सीताराम निषाद जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती ऊषा वर्मा–

आप 5 गुंने धनराशि बढ़ा दीजिये मैं वापस ले लूँगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेती हैं ।

श्रीमती उषा वर्मा–

मैं कटौती को प्रस्ताव पर बल देती हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं ।

श्री सीताराम निषाद–

चूँकि सरकार ने मेरी किसी बात को स्वीकार नहीं किया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49 , महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,09,75,000 रुपया अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों

को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,57,26,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,68,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,08,51,87,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,20,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

* पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रामभुआल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,79,15,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहें ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं इसके बारे में दो शब्द कहूंगा । यह बजट उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ 56 लाख 60 हजार लोगों के सम्बन्ध में है । जो पिछड़े वर्ग के हैं । सामाजिक, शैक्षिण और आर्थिक दृष्टि से जो बहुत ही बदतर हालत में जीवन बिता रहे हैं । प्रदेश में इनकी संख्या 54.5 प्रतिशत है । इनकी बहबूदी के लिए मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने इस विभाग को बनाया था । इस विभाग के द्वारा जो पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना है उसके कक्षा तीन और चार के तीन-तीन विद्यार्थियों को 6,7,8 के 6-6 विद्यार्थियों को एक विद्यालय में केवल 27 बच्चों को ही वजीफा दिया जाता है । यह नाकाफी है । शेष बच्चे जो पढ़ते हैं वह गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इन सबको छात्रवृत्ति दी जाए । मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा में जाने का मौका नहीं मिला है । प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा के पूर्व प्रशिक्षणों में केन्द्रों की स्थापना करने का सरकार की तरफ से निर्णय लेना चाहिए । प्रदेश के हर मण्डल में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं । मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस दिशा में कुछ प्रयास किया है और फैजाबाद मण्डल में एक कोचिंग सेन्टर स्थापित करने का इन्होंने विचार किया है । इसमें मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज सदन में घोषणा करेंगे कि वह फैजाबाद में पिछड़े वर्गों के कोचिंग सेन्टर बनाने के लिए जो पांच लाख 80 हजार रुपया का इस्टीमेट है कोचिंग सेन्टर को किस तारीख से खोलने जा रहे हैं ? मार्जिन मनी के लिए 15 योजनाएं टर्म लोन के लिए 52 योजनाएं हैं । लेकिन केवल 30 करोड़ का प्राविधान किया है । इस प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं । उनके लिए यह बजट ऊँट के मुंह में जीरा है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी यह जो टर्म लोन और मार्जिन मनी योजना है इसके लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था करें जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिल सके । पिछड़े वर्ग का प्रतिशत 54.5 है, इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजट जो बनाया जाय वह जनसंख्या के अनुपात में बनाया जाय । पिछड़ा वर्ग आयोग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात का परीक्षण करा ले कि पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जबसे पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है, राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्य मंत्री थे तब यह आरक्षण का प्रतिशत 15 था और जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे, उस समय आरक्षण का प्रतिशत 27 किया गया था । आप यह परीक्षण करा लें उस आरक्षण के कोटे को पूरा किया गया है कि नहीं ? जहां पर भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, इसके लिये जो भी अधिकारी दोषी हैं, उनको दंडित किया जाय और आरक्षण के कोटे का जो बैक लाग है वह पूरा कराया जाय । पिछड़ा वर्ग आयोग से मान्यवर, यह जानकारी कराकर शासन द्वारा इस पर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध मैं आपके माध्यम से करता हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में सभी विभागों में जो रिक्तियां हैं, उन पर जो भर्तियां की जायं वह पिछड़ा वर्ग आयोग से सहमति प्राप्त करके की जाय कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को उसमें आरक्षण दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है । उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही चयन सूची को घोषित किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं, यह जो पिछड़ा वर्ग का बजट रखा गया है, उस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बल देता हूं । इसके साथ ही साथ मैं विकलांगों के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री जी से, कि विकलांगों के लिये, जो गरीब हैं, उनके भरण पोषण के लिये, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार से सम्बन्धित हैं, आयु सीमा समाप्त कर दी जाय । सभी आय वर्ग के विकलांगों के भरण पोषण के लिये पेंशन के रूप में उनको आर्थिक सहायता दी जाय क्योंकि वो समाज के सबसे मजबूर व्यक्ति हैं । इसलिये मेरा निवेदन हैं कि उनके भरण पोषण में आयु सीमा समाप्त कर दी जाय । विकलांगों के लिये कक्षा 1 से उच्च स्तर तक जो पढ़ते हैं उनको वजीफा दिया जाय । इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं भी केवल एक सुझाव देना चाहता हूं और कटौती पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग का वजीफा कम्पलसरी नहीं है । अल्पसंख्यक और अनुसूचित जातियों की तरह इनको भी कम्पलसरी किया जाय । कक्षा 1 से 5 तक 3 बच्चों को, 6-7 में, 8 में 3-3 बच्चों को । यह इतने बड़े वर्ग में इतने बच्चों को ही मिलता है, इसको वापस ले लीजिये । अगर वास्तव में पिछड़े वर्ग का कल्याण करना चाहते हैं तो इसको भी कम्पलसरी कर दीजिये या फिर इसकी धनराशि बढ़ा दीजिये ताकि ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के बच्चों को वजीफा मिल सके । हरदोई जनपद में 417 प्राइमरी स्कूल ऐसे थे जिनके अनुसूचित जाति के बच्चों को वजीफा नहीं मिलता था । 8,63,993 रुपये मांगे गये लेकिन वह नहीं दिये गये । कक्षा 6 से 8 तक के 113 विद्यालय बाकी रह गये । मैं कहना चाहता हूं कि इन विद्यालयों को भी वजीफा मिले ताकि उसमें पढ़ने वाले बच्चों को उसका लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सीताराम निषाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री चन्द्र देव राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पिछड़ा वर्ग कल्याण के बजट पर बोलने का समय दिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में समाप्त करिये ।

(इस समय 9 बजकर 5 मिनट)

श्री चन्द्रदेव राम यादव–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूँ । मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो बजट है वह ऐतिहासिक बजट है मैं इसका पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ । आज मान्यवर, हमारे विपक्ष में बैठे निषाद भाई , यादव भाई, प्रजापति भाई सारे पिछड़े लोग जो मुलायम सिंह यादव जी की बात करते थे वह बतायें कि क्या इन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए आयोग बनाया ।

(व्यवधान)

यह अगड़ों की बात नहीं है यह पिछड़ों की बात है बहन मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया आज पूरे प्रदेश में निदेशालय बना और हर जिले में अधिकारी बनाए गए ।

(मेजें थपथापाई गई)

बहन मायावती ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का काम किया, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

(व्यवधान)

* श्री रामभुआल–

मान्यवर, विपक्ष की तरफ से जो श्री सीताराम निषाद द्वारा बजट पर कटौती का प्रस्ताव लाया गया है इन्होंने शायद इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

क्या कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

*डा० वकार अहमद शाह–

यह पिछड़ा वर्ग के हिमायती नहीं है इनकी नीतियों के विरोध में हमारी पार्टी सदन का त्याग करती है ।

डा० वकार अहमद शाह सहित समाजवादी पार्टी से सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 59,79,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वस्त्र उद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, माननीय सदस्य विधान सभा.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदन को दिनांक 16-08-02 को अभिसूचित सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि केन्द्रीयित सेवा पेंशन नियमावली, 1981 को संशोधित कर पेंशन नियमावली, 1995 दिनांक 06-02-96 से लागू की गयी है, उसे दिनांक 06-02-96 को पारिवारिक पेंशन पाने वालों पर भी लागू होना चाहिये ।

2–उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवानिवृत्त लाभ नियमावली, 1981" के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशनर्स को केवल 10 वर्ष तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य थी । उक्त नियमावली में संशोधन कर "उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियमावली, 1995" में पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति मृत्यु पर्यन्त (आजीवन) अथवा पुनर्विवाह, जो पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान की गयी है । उक्त नियमावली, 1995 दिनांक 06-02-96 से प्रभावी होने के कारण यह मांग की गयी कि उक्त नियमावली को दिनांक 06-02-96 के स्थान पर पूर्वगामी तिथि से प्रभावी किया जाये, जिससे 06-02-96 से पूर्व के पारिवारिक पेंशनर्स को इस सुविधा का लाभ मिल सके ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ मानागया ।

3–क्योंकि प्रस्ताव का वित्तीय उपाशय है, इसका परीक्षण वित्त विभाग के परामर्श से किया जा रहा है । वित्त विभाग द्वारा कतिपय सूचनाएँ माँगी गई थी, उन्हें प्राप्त कर पुनः वित्त विभाग के परामर्श हेतु भेजा जा रहा है, ताकि वित्तीय परिस्थितिगत निर्णय लिया जा सके]

प्रदेश के राजकीय शिक्षकों एवं प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयराज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा० शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वस्त्र उद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया है....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[कि प्रमुख सचिव शिक्षा के हस्ताक्षरयुक्त शासनादेश सं०–4307/15-8-3038/99, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के बिन्दु "ख" के प्रस्तर–"1" के अनुसार प्रदेश के राजकीय शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान एवं चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने का प्राविधान किया गया है किन्तु विभागीय अधिकारियों की मनमानी के कारण प्रदेश के राजकीय शिक्षकों/प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान पर्याप्त विलम्ब के पश्चात भी अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है ।

उक्त के संदर्भ में सूच्य है कि शिक्षा विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 20-12-2001 के बिन्दु "ख" के प्रस्तर–1 के अनुसार माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है ।

राजकीय विद्यालयों में एल०टी० शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के संबंध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित किये जाने का प्राविधान है जो शिक्षकों की उपयुक्ता पर विचार कर अपनी संस्तुति देती है । इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा उक्त वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जाते हैं । शासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल०टी० शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है जबकि इन शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गई हो ।

शासनादेश में निहित प्रतिबन्धों के अधीन राजकीय शिक्षकों/प्रवक्ताओं के चयन वेतनमान सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये जा रहे हैं । कतिपय शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरण अपूर्ण होने के कारण उनकी पूर्ति हेतु संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/संबंधित अधिकारी से वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देश भेजे गये हैं । विलम्ब प्रक्रियागत कारणों से हुआ है फिर भी तत्परता से कार्यवाही की जा रही है । प्रकरण पूर्ण होते ही चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर स्वीकृत आदेश निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेशानुसार बाल विकास योजना अकबरपुर कानपुर देहात द्वारा की गयी अ०वा० कार्यकत्री /सहायिकाओं की चयन प्रक्रिया में की गयी धांधली विषयक श्री शिव कुमार बेरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य वस्त्र उद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय विधायक द्वारा प्रश्नगत सूचना में यह शिकायत....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[प्रस्तुत की गयी है कि प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना कानपुर देहात द्वारा निजी स्वार्थवश ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया जिसके लिए वे कतई पात्र नहीं थे एवं अनुसूचित जाति के पदों पर सामान्य जाति के उम्मीदवारों का चयन किया गया एवं उनके द्वारा आरक्षण अधिनियम, 1994 का घोर उल्लंघन किया गया । इससे पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में उनके विरुद्ध धाँधलियाँ पायी थी । जिला विकास अधिकारी कानपुर देहात द्वारा दिनांक 25-7-2002 को जो रिपोर्ट निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को भेजी गयी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

इन शिकायतों पर तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् प्रस्तुत है :–

श्रीमती अल्का सिंह चौहान, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांक 7-12-2000 को ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का जो चयन किया गया था उसके सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ने अपने आदेश दिनांक 17-8-2001 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को जाँच कराने हेतु आदेशित किया गया । उनके द्वारा जिला विकास अधिकारी कानपुर देहात से जांच करायी गयी । जिला विकास अधिकारी कानपुर देहात की जांच आख्या निदेशालय को दिनांक 29-7-2002 को प्राप्त हुई ।

जिला विकास अधिकारी कानपुर देहात की जांच आख्या का सम्यक परीक्षण किया गया । इस परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि श्रीमती अल्का सिंह चौहान द्वारा अकबरपुर बाल विकास परियोजना में जो 25 अभ्यर्थी चयनित किये गये हैं, उनमें से 13 अभ्यर्थी सामान्य जाति के, 10 पिछड़ी जाति के और केवल 02 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं । इस प्रकार इस चयन में प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) 1994 का उल्लंघन किया गया सिद्ध हुआ है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला विकास अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिक वरीयता क्रम के अभ्यर्थी का चयन न करके कम वरीयता क्रम के अभ्यर्थी का चयन किया गया। नियुक्ति पत्र के डिस्पैच में भी अनियमितता परिलक्षित हुई। नियुक्ति-पत्र में अनेक अभ्यर्थियों के नाम अंकित न होकर चयनित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थी के नाम अंकित कर दिये गये।

उक्त गम्भीर शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती अल्का सिंह चौहान, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात को निदेशालय के आदेश संख्या 6–802/बा०वि०परि०/स्था–1/2002-03, दिनांक 19-8-2002 द्वारा निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन काल में श्रीमती सिंह को जिला प्रोग्राम अधिकारी रायबरेली से सम्बद्ध किया गया। इस विभागीय कार्यवाही के लिए निदेशालय में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जिला अधिकारी, कानपुर देहात को निदेशालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3647 दिनांक 20-8-2002 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि श्रीमती अल्का सिंह चौहान को निलम्बन आदेश तांलीम कराकर तत्काल जनपद में कार्यरत वरिष्ठतम बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार दिलाना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 07-12-2000 को चयनित 25 ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन एवं उनकी तैनाती निरस्त करने की भी कार्यवाही प्रभावी रूप से कराना सुनिश्चित करें।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत शिकायत पर शासन द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गयी है।

दिसम्बर, 2001 में कतिपय शिकायतों के आधार पर श्रीमती अल्का सिंह चौहान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन की जांच आख्या निदेशालय में 22 जुलाई, 2002 को प्राप्त हुई। इस आख्या का भी परीक्षण किया गया एवं श्रीमती अल्का सिंह को दण्ड देने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निदेशालय के पत्र संख्या 363/बा०वि०परि०/स्था–1/2002-03 दिनांक 19-8-2002 द्वारा अवसर दिया गया। श्रीमती अल्का सिंह चौहान जब बाल विकास परियोजना अधिकारी सरसौल, जनपद कानपुर नगर के पद पर कार्यरत थीं जब उनके सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की जाँच हेतु श्री एस० पी० सिंह, संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) को जांच अधिकारी नामित किया गया। श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच आख्या अपूर्ण थी। अतः श्री सिंह को पुनः निर्देशित किया गया कि वे समयबद्ध रूप से एक माह में इसकी जांच करके आख्या उपलब्ध करा दें।

उक्त तथ्यात्मक विवरण के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि श्रीमती अल्का सिंह चौहान के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर जाँच करायी गयी। उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं को दृष्टिगत रखे हुए इनको निलम्बित कर दिया गया। उनगे द्वारा 7-12-2000 को चयनित 25 ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन भी निरस्त कर दिया गया और समयबद्ध रूप से विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए जाँच अधिकारी को निर्देशित किया गया।]

शारदा नदी के बायी तरफ शारदा नगर से शारदा पुल तक हो रहे कटान को रोकने के सम्बनध में श्री यशपाल चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय यशपाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16-8-2002 को....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

[जनपद लखीमपुर में शारदा नदी द्वारा बायीं तरफ कटान के कारण ग्राम खैरापुरवा, जंगलवाली, समददावदाल, भूडा-भूडी एवं नावापुर आदि गांवों का अस्तित्व समाप्त होने, कृषि योग्य भूमि नदी में कट जाने तथा ग्राम सुखनीपुरवा, भरतपुर प्रतापी बेहड़ सकल्या, सरगड़न रैनी आदि ग्रामों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न होने की सूचना दी गयी है ।

इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश के विभिनन जनपदों में कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत शारदा नदी पर जनपद लखीमपुर से 25 कि०मी० की दूरी पर शारदा बैराज का निर्माण कराया गया था । शारदा बैराज से सन् 1974 से अनवरत रूप से कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है । शारदा सहायक पोषक नहर के कि०मी० 0.300 पर सिल्ट इजेक्टर स्थित है जिसको शारदा नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ने पर चलाया जाता है । इसके चलाने का उद्देश्य पोषक नहर में अधिक सिल्ट के प्रवेश को रोकना है । यह बैराज का ही एक अंग है । शारदा बैराज से शारदा पुल (ऐरा पुल) तक शारदा नदी के बायीं ओर की कटान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है । जिसका बैराज निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्राम खैरापुरवा, जंगलवाली, समरदहावादाल, भूडा-भूडी, नउवापुरवा आदि गांव शारदा नदी के बायीं तट पर बसे हुए थे जो वर्ष 1994 के बाढ़ से कट गये थे । भूमि की कटान रोकने की सामान्यतः कोई नीति नहीं है ।

शारदी नदी के बायें किनारे पर कृषि योग्य भूम को जल प्लावन से बचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा शारदा नदी के बांये तट पर शारदा बैराज से ऐरा पुल तक एक तटबन्ध का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई 25.80 कि०मी० है तथा परियोजना की अनुमानित लागत रु० 736.00 लाख है । यह परियोजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना से अनुमोदित है तथा निर्माण हेतु धन आवंटन अपेक्षित है । इस तटबन्ध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर ग्राम सुखनीपुरवा, भरतपुर, प्रतापी, बेहड, संकरमदा, सरगरन, रैनी आदि सहित 41 ग्रामों की सुरक्षा के साथ-साथ इससे सम्बन्धित 10949 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को भी जल प्लवन से बचाया जा सकेगा]

जनपद महोबा के कस्बा कबरई में अनुसूचित जाति के कृषि योग्य पट्टे वाली भूमि को जिलाधिकारी महोबा की अनुमति बिना प्लाट बनाकर आवासीय भूमि के रूप में बेचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जिलाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार प्रकरण में पूर्व में भी.....

डा० वकार अहमद शाह—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुखदेव राजभर–

[शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच उप जिलाधिकारी द्वारा की गयी । उप जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या–722/एस०टी०विविध जांच/2001 दिनांक 18-8-2001 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) महोबा को एक आख्या प्रेषित की गयी थी कि श्री हरी सिंह (सागरमल के पुत्र) द्वारा स्वयं एवं दूसरे सहखातेदार श्री किशोरी लाल पुत्र मनीराम द्वारा जरिये मुख्तार आम मौजा गोचीपुरा, कबरई की गाटा संख्या–381 ख रकबा 0.121 हे० व 381 ग रकबा 0.160 हे० में आवासीय उद्देश्य से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिये बैनामा किया गया है जिसमें जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधानों को उल्लंघन हुआ है । उप जिलाधिकारी की इस आख्या के पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 10-9-2001 को जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) की राय ली गयी थी जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपनी आख्या दिनांक 20-9-2001 में यह संस्तुति भेजी थी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय करने पर धारा–167(1) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के आदेश से राज्य सरकार में भूमि निहित होगी । इस राय के पश्चात अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ने अपने पत्र संख्या–10303/31≠परि०लि०–विविध जांच/02 दिनांक 20-9-2001 द्वारा उप जिलाधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे । तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 5-10-2001 द्वारा इस वाद को पंजीकृत कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये थे । न्यायालय द्वारा पक्षकारों को लगभग 04 माह विलम्ब के पश्चात नोटिस जारी किये गये हैं जो तामील शुदा पत्रावली पर संलग्न है । यह पत्रावली वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है । पक्षों द्वारा न्यायालय में अभी तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी और अन्तिम निर्णय होना शेष है । इस न्यायालय में 26-8-2002 की तिथि नियत है जिसमें नियमानुसार शीघ्र निर्णय पारित कर दिया जायेगा । यह भी अवगत कराना है कि खतौनी वर्ष 1407 फ० में खातेदारों के नाम के आगे एक आदेश उप जिलाधिकारी ने मु०नं० 05 दिनांक 9-1-2002 आदेश अन्तर्गत धारा–143 ज०वि० अधिनियम का अमलदरामद अंकित है जिसमें विवादित गाटा संख्या–381 ख व 381 ग को अकृषिक (आबादी) घोषित किया गया है । न्यायालय की मिसिलबन्द के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह वाद न्यायालय में दिनांक 10-9-2001 को पंजीकृत हुआ था तथा इसमें दिनांक 9-1-2002 को अन्तिम आदेश पारित किये गये जिसका अमलदरामद अभिलेखों में दिनांक 8-7-2002 को किया गया है । वर्तमान में यह भूमि आबादी के रूप में अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है । उप जिलाधिकारी को आबादी घोषित करने का अधिकार नहीं है । हां, धारा–143 जमींदारी विनाश अधिनियम में कृषि, बागवानी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन के प्रयोजनों के अतिरिक्त कोई संक्रमणीय भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग यथा औद्योगिक या आवासीय उद्देश्य से करता है तो इस आशय की घोषणा उपजिलाधिकारी द्वारा की जायेगी तदोपरान्त उस भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में निजी विधान लागू होगा व संबंधित भूमि की मालगुजारी नहीं ली जायेगी । प्रतीत होता है कि उपजिलाधिकारी द्वारा आबादी दर्ज करने में विधान का उल्लंघन किया गया है जिसके लिये परीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है । न्यायालय में चल

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया था ।

रहे धारा–166/167/168 ज०वि०अधि० के वाद संख्या–01/2001-02 में नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्राप्त आख्या से ऐसा प्रतीत होता है कि उपजिलाधिकारी द्वारा दिनांक 9-1-2002 के आदेश जानबूझकर कर किये गये एवं भूमि को अमलदरामद कराया क्योंकि प्रकरण पहले से विचाराधीन था । अतः सम्बन्धित दोषी अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं]

जनपद आगरा के कस्बा किरावली में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम बनवाये जाने के संबंध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, किरावली जनपद आगरा में ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास तत्कालीन.....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह) द्वारा दिनांक 22–12–91 को किया गया था स्टेडियम के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–5105/पचास-यु०क०-90–105/90, दिनांक 31–1–91 द्वारा रु० 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी । उक्त धनराशि को पी०एल०ए० में रखा गया था, क्योंकि उक्त स्थल पर उपयुक्त भूमि की व्यवस्था नहीं हो पायी थी तथा स्टेडियम के निर्माण के लिये निर्माण संस्था का भी निर्धारण नहीं हुआ था । स्वीकृत की गयी धनराशि रु० 10.00 लाख जिला अधिकारी, आगरा को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 25–3–92 को उपलब्ध करा दी गयी थी । शासनादेश संख्या–575/पचास-यु०क०–92–105/90, दिनांक 4–4–92 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त स्टेडियम का निर्माण कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम, उत्तर प्रदेश से कराया जायेगा । इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या–331/पचास-यु०क०–95–34/94, दिनांक 31 मार्च, 1995 द्वारा अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिये रु० 7.55 लाख (रुपये सात लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि और स्वीकृत की गयी परन्तु यह शर्त थी कि उक्त धनराशि का व्यय निर्माण कार्य और आगणनों का विस्तृत परीक्षण/कार्य का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा । यह धनराशि भी पी०एल०ए० में रखी गयी थी किन्तु वित्त विभाग इस धनराशि के आहरण हेतु सहमत नहीं हुए ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया था ।

2–निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर मा० विधायक द्वारा यह शिकायत की गयी कि निर्माण कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है । फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग से जांच कराने के लिये निदेश शासन के पत्र संख्या–958/पचास-यु०क०–94–105/90, दिनांक 15–6–94 द्वारा दिये गये । परन्तु कतिपय कारणों से यह जांच नहीं हो पायी । इसी बीच सचिव, युवा कल्याण की अध्यक्षता में बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि अपर निदेशक, युवा कल्याण एवं निर्माण संस्था के वरिष्ठ सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आख्या भेजी जाय । संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय के पत्र संख्या–1068/छः–333/प्राविद/91, दिनांक 9 सितम्बर, 1997 द्वारा शासन को प्रेषित की गयी । शासन द्वारा रिपोर्ट पर विचार कर वह निर्णय लिया गया कि संशोधित आगणन शासन को उपलब्ध कराया जाय । निदेशालय के पत्र संख्या–450/छः–33/प्राविद/91, दिनांक 21 अगस्त, 1998 द्वारा अतिरिक्त वांछित धन का संशोधित स्टीमेट शासन को उपलब्ध कराया गया । तत्पश्चात शासनादेश संख्या–2118/पचास–यु०का०–98–105/90, दिनांक 7 सितम्बर, 1998 द्वारा रु० 7.45 लाख की अतिरिक्त धनराशि अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृत की गयी जिसे निर्माण संस्था को उपलब्ध करा दिया गया । इस प्रकार हालांकि पुराने मानक के आधार पर प्रश्नगत ग्रामीण स्टेडियम की कुल रु० 25.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी किन्तु संशोधित मानक के अनुसार वास्तव में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्माण संस्था को केवल 17.45 लाख (10.00-1-7.45) रुपये की धनराशि ही दी गयी ।

3–प्रश्नगत ग्रामीण स्टेडियम के विषय में दिनांक 20-01-2001 को तत्कालीन युवा कल्याण सचिव की अध्यक्षता में निर्माण संस्था एवं महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी जिसमें निर्माण संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम की ओर से यह अवगत कराया गया कि उक्त मैदान के बीचो-बीच एक मन्दिर भी है तथा पैदान के एक हिस्से में तालाब जैसा जल भराव बना रहता है । शासन स्तर पर यह आपत्ति की गयी कि इस प्रकार की अनुपयोगी भूमि पर ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण क्यों प्रारम्भ किया गया, इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर निर्माण संस्था की ओर से नहीं दिया जा सका । इस प्रकरण में शासन स्तर पर तत्कालीन युवा कल्याण सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23-05-2001 को निर्माण संस्था तथा महानिदेशलय के विभागीय अधिकारियों के साथ पुनः एक बैठक की गयी और निर्माण संस्था को यह आदेश दिये गये कि उक्त निर्माण कार्य बहुत पहले का है अतः समस्त सेन्टेज चार्जेज/लाभांश आदि की कटौती करते हुए उपलब्ध धनराशि से ही प्रश्नगत स्टेडियम को जनोपयोगी बनाने के लिये कार्यवाही करें ।

4–इस विषय में दिनांक 2-7-2002 को युवा कल्याण सचिव द्वारा निर्माण संस्था के अधिकारियों एवं युवा कल्याण, महानिदेशक के साथ की गयी बैठक में यह बिन्दु पूर्ण रूपेण स्पष्ट हुआ कि निर्माण संस्था को कुल रुपया 17.45 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें से अवशेष रु० 2.98 लाख से शेष कार्य पूरे होने हैं । उक्त समीक्षा बैठक में जल निगम की ओर से उपस्थित महाप्रबन्धक ने यह आश्वासित किया था कि निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा ।

5–संक्षेप में प्रश्नगत ग्रामीण स्टेडियम के सम्बन्ध में पुनः यह अवगत कराया जाना है कि प्रस्तावित स्थल का कुल क्षेत्रफल 7.6 एकड़ है । मैदान के एक कोने में एक पक्का मंदिर बना हुआ है और यह भूमि मंदिर ट्रस्ट की थी, जिसे स्टेडियम के लिये युवा कल्याण विभाग को हस्तान्तरित किया

गया । मैदान के एक तरफ तालाब है, जिसमें 2.5 से 4.00 फुट तक पानी बना रहता है । मैदान के मध्य में ईंटों के चबूतरे पर मूर्तियां रखी हैं, जिनकी पूजा होती है । इस भूमि के चयन के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि श्री जगदीश सिंह इन्दौलिया, अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, किरावली ने एक प्रस्ताव मा० तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को दिनांक 4-4-1990 को भेजकर स्टेडियम बनाने की घोषणा करायी थी । भूमि के चयन के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि इस स्थान पर परम्परागत दंगल का आयोजन किया जाता है । स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण, निदेशक, युवा कल्याण से कराया गया, जिसके अनुसार निम्नलिखित निर्माण कार्य हुए हैं :–

04 कमरे, 01 हाल, 01 लाबी, 02 स्टोर कक्ष, 01 प्रसाधन जिम्नेजियम हाल से सटा, 01 पु० एवं 10 महिला प्रसाधन, पिछले हिस्से में 02 बाथरूम, 01 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प, आंशिक बाउन्ड्री वाल ।

6–एक तरफ तालाब होने के कारण स्टेडियम हेतु प्रस्तावित भूमि के समग्र क्षेत्र पर निर्माण कराया जाा उचित एवं सम्भव नहीं होगा क्योंकि जिस भाग में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है उसमें कोई निर्माण कराया जाना समीचीन नहीं है । निर्माण संस्था को अब एथलेटिक्स/अखाड़ा कवर्ड विद टीन शेड, फुटबाल/खो-खो/कबड्डी/हाकी का मैदान का निर्माण करने हेतु निर्देश दिये गये हैं । इस निर्माण कार्य के पूरा होने के उपरान्त इस स्टेडियम में परम्परागत दंगल के साथ ही व्यायामशाला के अतिरिक्त अखाड़े में प्रतिदिन अभ्यास हो सकेगा ।]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपदों में स्थित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजबर)–

मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 नवम्बर, 1996 को हुई बैठक में सहारनपुर–लोनी वाया.....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[शामली–बड़ौत–बागपत–मार्जिनल बांध रोड-आई०एस०पी०टी० दिल्ली, मेरठ-चण्डीगढ़ वाया बड़ौत–शामली–गंगोह-सहारनपुर-सरसावा–यमुनानगर-अम्बाला तथा सहारनपुर–करनाल वाया जंघेरा–रामपुर-गंगोह-न्यू यमुना ब्रिज मार्गों के साथ-साथ अलीगढ़–अरौली-रामघाट–बिजौली, शेरगढ़घाट–औरैया–दिवियापुर–तिर्वा एवं दिवियापुरवालरपुर मार्गों पर उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसों के संचालन की संस्तुति की गयी थी । इस संदर्भ में अलीगढ़-अतरौली-रामघाट, अलीगढ़-अतरौली-बिजौली, शेरगढ़ घाट-औरैया-दिवियापुर-तिर्वा एवं दिवियापुर-बावरपुर मार्गों पर परिवहन निगम की बसों

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के साथ-साथ निजी बसों के संचालन हेतु अन्तिम अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी थी । सहारनपुर-लौनी वाया शामली-बड़ौत–बागपत- मार्जिनल बांध रोड–आई०एस०बी०टी० दिल्ली,मेरठ–चण्डीगढ़ वाया बड़ौत शामली-गंगोह-सहारनपुर-सरसांवा-यमुनानगर–अम्बाला तथा सहारनपुर–करनाल वाया जघेरा-रामपुर-गगोह-न्यू यमुनाब्रिज मार्ग पर उ० राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ निर्धारित परमिट संख्या के संचालकों को चलने की अनुमति दिए जाने हेतु अधिसूचना संख्या–1635/30–2–93–365/85, दिनांक 29 मई, 1993 में खण्ड–''ख'' के पश्चात् खण्ड–''ग'' जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–73सीएम/30-2-99–437–94, दिनांक 16 अप्रैल, 1999 जारी की गयी थी, जिस श्रवणाधिकारी द्वारा विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर दिनांक 11-10-99 को अनुमोदित कर दिया गया था । श्रवणाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 16–4–99 को अन्तिम रूप से प्रकाशन पर अनुमोदन के समय उच्चादेशों के अनुपालन में पुनः प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा विधिक परामर्श के उपरान्त अन्तिम अधिसूचना का प्रकाशन नहीं किया गया और तदोपरान्त प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 16–4–99 को अनुवर्ती अधिसूचना संख्या–683/30–2–2000 437/94, दिनांक 15 अप्रैल, 2000 द्वारा विखण्डित किया गया । विखण्डन विषयक उक्त अधिसूचना दिनांक 15–4–2000 की वैधता को चुनौती देते हुए मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनेक रिट याचिकायें योजित की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने मूलतः अधिसूचना दिनांक 15–4–2000 के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किए थे, परन्तु बाद में स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया । रिट याचिका संख्या–22199/2000, रघुनन्दन गोयल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा इससे सम्बद्ध 04 अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल, 2002 को वर्णित याचिकाओं में अन्तिम निर्णय पारित करते हुए याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया तथा यह अवधारित किया कि उपान्तरण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 16–4–99 का आधार ही भ्रान्तिपूर्ण तथ्यों पर आधारित था क्योंकि याचीगण मेरठ-चण्डीगढ़ मागे के परमिट धारक नहीं थे । इसके अतिरिक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा यह भी व्यवस्था दी गयी है कि उत्तर प्रदेश में हरियाणा राज्य के मध्य पारस्परिक समझौते में मेरठ-चण्डीगढ़ मार्ग पर केवल हरियाणा राजय को ही दो सेवाओं के संचालन की अनुमति है तथा इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कोई परमिट स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था नहीं है ।

2–यह उल्लेखनीय है कि सहारनपुर-दिल्ली वाया ननौता-यानाभवन-शामली-कांधला-बड़ौत-बागपत लोनी मार्ग को मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01 मई, 2001 द्वारा अन्तिम रूप से राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया है । मा० सदस्य द्वारा इंगित तीनों मार्ग उक्त मार्ग को ओवरलैप करते हैं ।

3–सहारनपुर-दिल्ली पर उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम की पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध है । शेष दोनों मार्गों के अन्तर्राज्यीय होने तथा वर्तमान में प्रभावी समझौते के अनुरूप उ०प्र० की बसों का संचालन इन मार्गों के हरियाणा राज्य में पड़ने वाले मार्ग पर अनुमन्य न होने के कारण इन मार्गों पर किसी प्रकार की सेवा संचालित किया जाना संभव नहीं है । इन मार्गों के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भाग पर उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवायें संचालित हैं ।

4–पैरा–3 में स्पष्ट की गयी स्थिति के आलोक में यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध है और किसी कठिनाई होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।]

जनपद चन्दौली के सिंचाई विभाग के चन्द्र प्रभा खण्ड से सम्बन्धित बांधों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जनपद चन्दोली के सिंचाई विभाग के चन्द्रप्रभा खण्ड से ....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[सम्बन्धित मूसा खण्ड, नौगढ़, भैसोड़ा, लतीफगाह चन्द्र प्रभा बांध जो कर्मनाशा व चन्द्र प्रभा नदी पर बनाए गये हैं, के विगत कई वर्षों से मरम्मत न किए जाने व मछली ठेकेदारों के द्वारा इन बांधों का पानी माह अप्रैल व जून के महीने में नदियों में बहा देने की सूचना दी गयी है । जिस कारण से पानी का अभाव हो गया और चकिया तहसील के हजारों किसानों के धान की रोपाई नहीं हो पायी, जानवरों के पानी पीने की समस्या हो गयी, इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

1–चन्द्रप्रभा बांध–

चन्द्रप्रभा बांध चन्द्रप्रभा नदी पर निर्मित है । इससे पानी निकल कर चन्द्र प्रभा नदी के रास्ते मुजफ्फर वीयर पर एकत्रित किया जाता है, जहां से निकोइया, चन्द्रवती नाला, रामपुर चकिया तथा नेवाजगंज की पम्प नहर प्रणाली की नहरें निकलती हैं । गत पांच वर्षों में इस बांध के रखरखाव पर रु० 26.86 लाख व्यय किया गया है । मुजफ्फर वीयर जिस पर इस बांध का पानी एकत्रित किया जाता है के रख रखाव पर गत पांच वर्षों में रु० 2.01 लाख व्यय किया गया । माह अप्रैल व जून के महीनों में मछली ठेकेदारों द्वारा कोई भी पानी नहीं बहाया गया है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–भैसेड़ा बांध–

यह बांध मरहवा नाले पर, जोकि कर्मनाशा नदी की एक सहायक नदी है, पर निर्मित है । इस बांध से छोड़ा गया जल नौगढ़ बांध के जलाशय में आता है । यह बांध नौगढ़ शहर की पेयजल योजना के लिए निर्मित है तथा जल निगम द्वारा इसका उपयोग किया जाता है । इससे कोई सिंचाई नहीं की जाती है । इस बांध से माह अप्रैल से जून के मध्य मछली ठेकेदारों द्वारा पानी नहीं बहाया गया है । गत पांच वर्षों में इस बांध के रख रखाव पर रु० 2.32 लाख व्यय किये गये हैं ।

3–नौगढ़ बांध, मूसा खण्ड बांध, एवं लतीफगाह वीयर–

उक्त तीनों बांध कर्मनाशा नदी पर एक श्रंखला के रूप में निर्मित हैं । नौगढ़ बांध का पानी मूसाखड़ बांध में एकत्रित किया जाता है वहां से पानी नदी के रास्ते लतीफगाह बीयर पर आता है जहां से कर्मनाशा नहरें निकलती हैं । गत पांच वर्षों में उक्त बांधों के रखरखाव पर क्रमशः 24..22 लाख रु० 28.74 लाख एवं रु० 7.99 लाख व्यय किए गये । नौगढ़ बांध एवं लतीफगाह वीयर से माह अप्रैल व जून के महीने में मछली ठेकेदारों द्वारा कोई भी पानी नहीं बहाया गया है ।

मूसा खांड बांध पर मछली पालन का ठेका उ०प्र० राज्य मत्स्य निगम द्वारा किया जाता रहा है । यह बांध जनपद चन्दौली के अन्तर्गत बिहार प्रान्त की सीमा से सटे भाग में स्थित है । माह अप्रैल, 2002 से पूर्व इस बांध का ठेका स्थानीय नागरिकों के पास था किन्तु ठेके का कार्य बीच में ही छोड़ दिये जाने के फलस्वरूप माह 4/2002 से 6/2002 का ठेका मत्स्य निगम द्वारा श्री नगेन्द्र मिश्रा के नाम किया गया । इस अवधि में उक्त ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने के उद्देश्य से जलाशय के गेट खोलकर दिनांक 10–5–2002 से 16–5–2002 के मध्य पानी बहा दिया गया । दिनांक 16–5–2002 को विभागीय अधिकारियों के द्वारा चकिया थाने से पुलिस बल प्राप्त कर पानी बन्द करवाया गया किन्तु ठेकेदार द्वारा पुनः पानी खोल दिया गया । दिनांक 18–5–2002 को अधिशासी अभियन्ता, चन्द्रप्रभा प्रखण्ड मुगलसराय चन्दौली द्वारा पुलिस अधीक्षक, चन्दौली को इस सम्बन्ध में सूचित करते हुये आवश्यक कार्यवाही एवं पुलिस व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया । दिनांक 19–5–2002 को ठेकेदार के विरुद्ध अपराध की लिखित तहरीर सहायक अभियन्ता द्वारा चकिया थाने में भिजवायी गयी किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा न तो अपराध पंजीकृत किया गया और न ही पानी बन्द करवाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराया गया । पुनः दिनांक 22–5–2002 को अधिशासी अभियन्ता, चन्द्रप्रभा प्रखण्ड एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा अपराध पंजीकृत न किये जाने एवं अवैध रूप से पानी बहाये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चन्दौली से सम्पर्क किया गया । दिनांक 23–5–2002 को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ने थाने से पुलिस बल प्राप्त कर उपजिलाधिकारी चकिया के साथ जाकर पानी बन्द करवाया तथा अपराध का पंजीकरण न किये जाने की शिकायत भी की तथा पुनः एक तहरीर लिखकर एस०एस०आई० चकिया को दी । अपराध का पंजीकरण न किये जाने तथा विलम्ब से कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करके सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

इस पानी से बहने से चकिया तहसील में धान की रोपाई पर कोई असर नहीं पड़ा है । क्योंकि उक्त स्थिति के बाद भी इस बांध से पोषित होने वाली नहर प्रणाली 8 जून से निरन्तर चल रही है ।]

नोट :– {xxx} यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बलिया के थानाध्यक्ष नगरा द्वारा ग्राम ताड़ीबडा में कु० रेनू सिंह पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं हवालात में बन्द करने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, उक्त विषय के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार .....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[वादी बासुदेव सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह, साकिन नरौरा की तहरीर पर दिनांक 3–7–98 को मु०अ०स० 150/98 धारा 498ए/304बी भा०द०वि० व 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम अन्तर्गत मृतका श्रीमती मनोरमा पुत्री वासुदेव सिंह के संबंध में दर्ज की गयी । उक्त अभियोग में अभियुक्त पंकज कुमार सिंह एवं कु० रेनू सिंह के गिरफ्तार न होने के कारण दिनांक 16–11–98 को इनके विरुद्ध 83 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही की गई तथा मफरूरी की हालत में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

दिनांक 6–8–2002 को श्री आर०डी० शुक्ला, थानाध्यक्ष नगरा द्वारा अन्य 2 आरक्षियों के साथ कु० रेनू सिंह को गिरफ्तार कर उनके पिता राजेन्द्र सिंह तथा भाई राधारमण सिंह के साथ थाने पर लाया गया जिसका विवरण सामान्य दैनिकी में रपट संख्या–36 समय 23.15 बजे दिनांक 6–8–2002 को दर्ज है ।

गिरफ्तारी के समय थाने पर किसी महिला आरक्षी के न होने के कारण अभियुक्त रेनू सिंह की जामा तलाशी नहीं ली गयी एवं कान्सटेबिल मोहर्रिर को निर्देशित किया गया कि वह महिला आरक्षी को बुलवाने हेतु आर०टी० सन्देश भेजे तथा कु० रेनू सिंह को थाना कार्यालय में उसके पिता तथा भाई की निगरानी में उनके साथ बैठाया गया । कान्सटेबिल मोहर्रिर द्वारा उसी दिन समय 23.30 बजे महिला आरक्षी को बुलाने हेतु आर०टी० सन्देश भेजा गया तथा उक्त सन्देश पर दिनांक 7–8–2002 को प्रातः 10.00 बजे आरक्षी रजनी श्रीवास्तव द्वारा थाने पर अपनी आमद कराई गई तो सामान्य दैनिकी पर रपट संख्या–20 पर अंकित है ।

नोटः– [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रातः 11.30 बजे कु० रेनू सिंह को बीमारी की शिकायत होने सीने में दर्द होने की शिकायत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरा में डाक्टरी परीक्षण कराने के उपरान्त जमानत पर रिहा करके उनके पिता तथा भाई के साथ छोड़ा गया तथा उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया । बिना महिला आरक्षी के कु० रेनू सिंह की गिरफ्तारी का तथ्य प्रकाश में आने पर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा श्री आर०डी० शुक्ला थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध जांच का आदेश दे दिया गया है ।]

जनपद गोण्डा में फर्जी मुहर एवं फर्जी हस्ताक्षर द्वारा अंक पत्र बनाकर नियुक्तियां दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इस मद को एक सप्ताह तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

जनपद हरदोई स्थित गर्रा नदी पर छितरामऊ रसूलाबाद गांव के मध्य रसूलापुर गर्रा घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री विश्राम सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद हरदोई .....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[के बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहने वाली गर्रा नदी पर छितरामऊ रसूलापुर गांव के मध्य रसूलापुर गर्रा घाट पर पक्का/पान्टून पुल बनाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रश्नगत छितरामऊ एवं रसूलापुर ग्राम गर्रा नदी के क्रमशः दायीं एवं बायीं ओर स्थित है । दोनों ग्रामों के मध्य की दूरी गर्रा नदी की चौड़ाई सम्मिलित करते हुए लगभग 2 कि०मी० है । 1991 की जनगणना के अनुसार छितरामऊ की आबादी 1826 व रसूलापुर की आबादी 775 है ।

नोट :– [..] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

छितरामऊ हेतु बिलग्राम सांडी अल्लागंज मार्ग (एम०डी०आर०–26) के किमी०.20 से मार्ग जाता है, जिसकी दूरी 5.90 किमी० है । इसके प्रथम 3 किमी० नीलम पुल से बम्टापुर चिल्लौर मार्ग (राज्य योजना) के अन्तर्गत लेपन स्तर तक निर्मित है । अवशेष 2.90 किमी० लम्बाई जिला योजना 5054 अम्बेदकर के अन्तर्गत रौरा चौराहे से छितरामऊ के नाम से स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 2 किमी० लेपन स्तर तक पूर्ण है व अन्तिम 0.90 किमी० टाप कोट तक पूर्ण है ।

प्रश्नगत रसूलापुर गर्रा घाट के अपस्ट्रीम में 9 किमी० (राज्य मार्ग) पर व डाउन स्टीम 6 किमी० (मुख्य जिला मार्ग) पर गर्रा नदी पर दीर्घ सेतु उपलब्ध है । जिससे यातायात हो रहा है । ग्राम छितरामऊ से जिला, तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय जाने हेतु मार्ग उपलब्ध है ।

रसूलापुर ग्राम हेतु सांडी, शाहाबाद (अन्य जिला श्रेणी मार्ग) के किमी० 3 से कच्चा मार्ग जाता है जिसकी लम्बाई 3 किमी० है । रसूलापुर से जिला, तहसील व ब्लाक मुख्यालय जाने के लिए गर्रा नदी पार करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नगत सेतु मात्र छितरामऊ एवं रसूलापुर के मध्य ही आवागमन के लिए उपयोगी होगा । अतः उक्त पुल/पान्टून पुल बनाने का कोई औचित्य नहीं हैं ।]

जनपद गाजियाबाद स्थित कृष्णानगर मेरठ रोड के आबादी के ऊपर से हाईटेंशन लाइन को तत्काल हटाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह सिशोदिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, कृष्णानगर मेरठ रोड गाजियाबाद क्षेत्र में .....

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[लगभग 8 मकानों के ऊपर से 66के०वी० हाईटेंशन लाइन गुजरती है । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार उपरोक्त 66के०वी० हाईटेंशन लाइन से किसी दुर्घटना की सूचना उ०प्र० पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती है । इस 66के०वी० हाईटेंशन लाइन के निर्माण के बाद भवन स्वामियों द्वारा, विद्युत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए, अनाधिकृत रूप से 66के०वी० हाईटेंशन लाइन के नीचे भवन निर्माण कर लिये गये हैं । 66के०वी० हाईटेंशन लाइन के आसपास भी अन्य भवन स्वामियों द्वारा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भी अनेक भवनों का निर्माण कर लिया गया है , जिसके एवं 66/33/11 के०वी० उपस्थान के शहर की घनी आबादी के मध्य स्थित होने के कारण, उपरोक्त 66के०वी० हाई टेंशन लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित कया जाना भौतिक रूप से संभव नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । दिनांक 26–8–2002 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 9 बजकर 12 मिनट पर सोमवार दिनांक 26 अगस्त, 2002 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 24 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल- 13 विधान सभा (21)–2-5-03–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।